मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 52 जुलाई, 2011 अंक : 1

प्रकाशन तिथि : 2 जुलाई, 2011

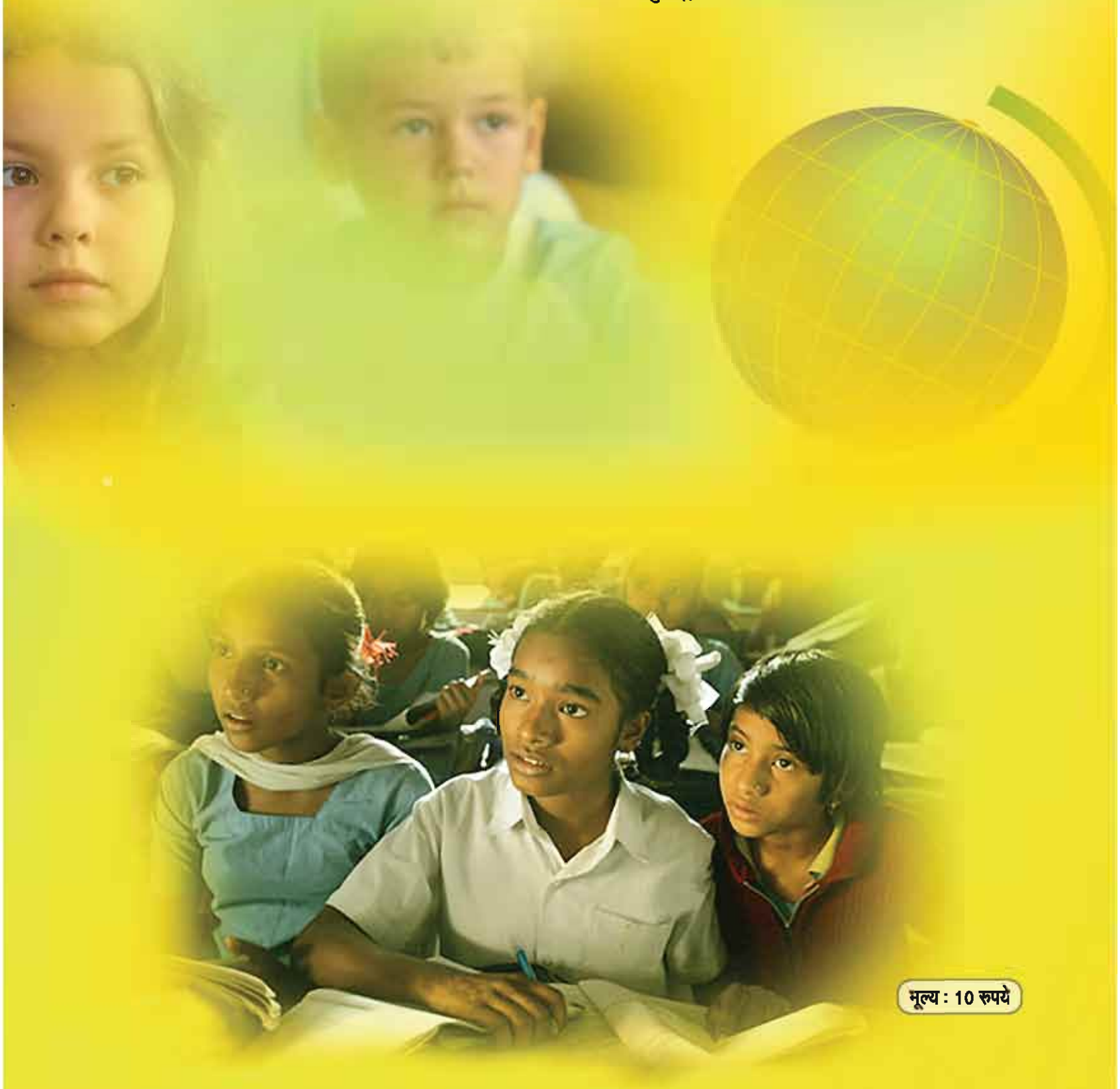

मूल्य : 10 रुपये

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. अजमेर के तत्वावधान में

राजकीय सादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर में विद्यार्थी सेवा केन्द्र स्थापित

विद्यार्थी सेवा केन्द्र के उद्घाटन समारोह में माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते मुख्य अतिथि माननीय शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल एवं अन्य सम्मानित अतिथि महानुभाव।

उद्घाटन अवसर पर माननीय शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.डी. कल्ला, महापौर श्री भवानी शंकर शर्मा, बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग, डॉ. तनवीर मालावत एवं शिक्षा आयुक्त श्री भास्कर ए. सावन्त।

उद्घाटन अवसर पर उपस्थितजन को सम्बोधित करते मुख्य अतिथि शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल। यह उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन जिला मुख्यालय स्तर पर निष्पादित करने के उद्देश्य से जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों पर इन सेवा केन्द्रों की स्थापना बोर्ड द्वारा की जा रही है।

चूरू : रा. बागला उ.मा. विद्यालय स्थित जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र में विद्यार्थी सेवा केन्द्र की स्थापना के अवसर पर डी.सी.टी.सी. कार्ययोजना नामक पुस्तक का लोकार्पण करते माननीय शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल एवं अतिथिगण।

जोधपुर : ग्रीष्मकालीन सॉफ्ट बाल प्रशिक्षण रा.बा.उ.मा. वि., महामन्दिर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर खिलाड़ी बालिकाओं का परिचय प्राप्त करते माननीय शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल एवं बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग।

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 52 अंक : 1

जुलाई, 2011

प्रकाशन तिथि : 2 जुलाई, 2011

प्रधान सम्पादक
भास्कर ए. सावन्त

●

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

●

सहायक
लक्ष्मी नारायण शर्मा
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा संस्थाओं के लिए 100 रु.
- वार्षिक चंदा शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।

रचनाएं भेजने का पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

आइए, करें अच्छी शुरुआत	5	**दिशाकल्प**
विशेष		
नामांकन अभियान : 2011-12 घर-घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे ज़माना	6	
प्रवेश उत्सव है, बच्चों का स्वागत करें	10	**रवीन्द्र सिंह**
होगी शिक्षा सबके पास एक दिन	12	**बजरंग प्रसाद मजेजी**
शिक्षा से अपेक्षा	13	**रूपनारायण काबरा**
सफलता की धुरी है सुनियोजित योजना	14	**डॉ. पुष्पलता शर्मा**
रचनात्मक अधिगम	16	**डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंघवी**
गणित का प्रभावी शिक्षण	18	**जगदीश प्रसाद पालीवाल**
बापू की सीख-2 नीति-धर्म	21	**मो.क. गाँधी**
जल प्रदूषण का प्रभाव एवं नियंत्रण	22	**रामेश्वरलाल**
संवेदनशील होकर भरवाएं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र	35	**गिरिराज प्रसाद किराड़ू**
पुस्तकें करें, राष्ट्र निर्माण	37	**प्रवीण अरोड़ा**
प्रभावी संप्रेषण के आधार	38	**आशीष शर्मा**
प्रकृति का अमूल्य उपहार - ''ग्रीन गोल्ड''	39	**अशोक गुप्ता**
अन्तर्राष्ट्रीय वन वर्ष की सार्थकता	40	**शिवनाम सिंह**
उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द : जीवन व लेखन	41	**रामगोपाल राही**
लहर कार्यक्रम - एक परिचय	43	**निर्मला शर्मा**
विशेष		
शिविरा विचार मंच : बालिका शिक्षा और हम	44	
टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट और प्रशासन व्यवस्था	47	**डॉ. एन.के. खीचा**
शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग का परिचय	49	**साधना जोशी**
अभावों की हार, दृढ़ निश्चय की जय-जयकार	54	**प्रतिध्वनि**

शिविरा पंचांग 2011-12 - पृष्ठ सं. 27-30

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र -23-26, 31-34/
पुस्तक परिचय - 51/भामाशाह - 52

आवरण

नरेन्द्र जोशी

पाठक पीठ

शिविरा पत्रिका के संस्थापक/प्रणेता श्री अनिल बोर्दिया का सोच था कि यह पत्रिका राजस्थान में ही नहीं पूरे शिक्षा जगत में अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण का सबल माध्यम बने। प्रसन्नता है कि अब यह पत्रिका इसी उद्देश्य से प्रतिमान स्थापित करने में लगी है। मई-जून 2011 का अंक महान कवि, संत और शिक्षाशास्त्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को समर्पित है जिसमें उनके शिक्षादर्शन पर श्री ओमप्रकाश सारस्वत और श्री भवानीशंकर का गीतांजलि के महत्त्वपूर्ण अंशों पर लिखा लेख दुर्लभ घटनाओं/प्रसंगों और सारगर्भित विश्लेषण पर आधारित होने से बहुत प्रभावी व मन तक पेंठ करने वाले हैं। अन्य सामग्री भी मेहनत से संजोई गई है। शिक्षक-प्रशिक्षण को आनन्दमयी बनाने के लिए डॉ. दाऊदयाल गुप्ता और श्री मदनलाल पुरोहित के बताये गुर बहुत ही उपयोगी हैं। नये रूप/प्रभावी सामग्री के लिए प्रधान सम्पादक के नेतृत्व में पूरा सम्पादक मंडल बधाई का पात्र है।

– चतरसिंह मेहता, जोधपुर

शिविरा का मई-जून 2011 अंक एकदम बदला हुआ है, रूप-रंग में भी और सामग्री में भी। खूब अच्छा परिवर्तन लाए हैं आप। यों ही आप आगे भी कोशिश करते रहें तो शैक्षिक चिन्तन की नई-नई धाराओं का उद्‌भव होने में भी देर नहीं लगेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

– शिवरतन थानवी, फलौदी

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित शिविरा का मई-जून 2011 का संयुक्तांक अपने आकर्षक रूप में मेरे समक्ष है। दिशाकल्प में शिक्षा आयुक्त महोदय की अपेक्षा के अनुरूप हमारे कदम उत्कृष्टता की ओर बढ़ गए हैं। ग्रीष्मावकाश को अवकाश न मानते हुए चिन्तन, मनन, सृजन एवं अधिगम प्राप्ति का अवसर बताना दिशाकल्प का मर्म है। शिविरा के इस अंक में शिक्षकों की पुरानी पीढ़ी द्वारा तराशे हुए अनमोल मोती हैं जो अत्यन्त आत्मीय स्वर के आवरण में उपलब्ध है। इसके अलावा युवा पीढ़ी के प्रखर स्वर भी पत्रिका में गुंजित है। समन्वय और संतुलन की दृष्टि से यह अंक संग्रहणीय है। पत्रिका के किसी पृष्ठ का कोई कोना व्यर्थ ही रिक्तता का बोध न कराए, यह अभिलाषा संपादक मंडल की रही है, जो शुभ है।

– डॉ. दाऊदयाल गुप्ता, भरतपुर

शिविरा का मई-जून 2011 अंक साज-सज्जा एवं सामग्री की दृष्टि से प्रशंसनीय है। शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना के सम्बन्ध में आपका आत्मीय पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। सम्पादक और रचनाकार के बीच पत्र संवाद से पत्रिका को श्रेष्ठ रचनाएं मिलती हैं, वहीं पत्रिका का स्तर ऊँचा उठता है। यह मेरा 35 वर्ष के पत्रकारिता से जुड़े रहने का अनुभव बताता है। बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।

– रामबाबू माथुर, अजमेर

शिविरा का मई-जून 2011 का अंक निःसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। आयुक्त महोदय का अध्यापकों से सेवारत प्रशिक्षणों में सम्मिलित होने का आह्वान प्रेरणादायी है। आकर्षक मुखावरण के साथ इस रवीन्द्र विशेषांक की सभी रचनाएं उत्कृष्ट हैं। पत्रिका में शैक्षिक गरिमा का स्तर प्रशंसनीय है।

– अरुणा धवन, उदयपुर

शिविरा के मई-जून 2011 के अंक ने बहुत प्रभावित किया। भीतर तक भिगोकर रख दिया। उच्च मूल्यों के रंग में रंग दिया। ऐसी उत्तम कोटि की शिविरा पाकर मैं तो धन्य हो गया। शिविरा का यह अंक अतीव विशिष्ट, प्रेरणास्पद, पुनः-पुनः पठनीय, संग्रहणीय एवं शिक्षा जगत में क्रांति लाने वाला अनुपम अंक है।

– वेदमित्र, जोधपुर

महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती पर शिविरा ने विशेष सामग्री उपलब्ध कराई है। रवीन्द्रनाथ का पहला हिन्दी भाषण और उनकी कविताओं के अनुवाद मन को झंकृत करने वाले हैं। अन्य सभी सामग्री स्तरीय है। शिविरा के इस नये स्वरूप के लिए शिक्षा विभाग को बधाई।

– उपध्यान चन्द्र कोचर, एडवोकेट, बीकानेर

शिविरा मई-जून 2011 का अंक पढ़कर बड़ी ताजगी महसूस हुई। रवीन्द्रबाबू के बारे में विस्तृत जानकारी देकर आपने पाठकों का बहुत भला किया है। निःसंदेह यह अंक पाठकों के लिए अमूल्य धरोहर बन गया है। बेमिसाल है शिविरा पत्रिका। सम्पादक मण्डल को साधुवाद।

– मनुरामसिंह, पूर्व जिशिअ, सीकर

(शेष पृष्ठ सं. 53 पर)

चिन्तन

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः।
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्॥

– चाणक्य नीति 5/19

पृथ्वी में धारण करने की क्षमता सत्य से ही आती है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है, सत्य के बल पर ही वायु का संचरण होता है तथा सर्वस्व की प्रतिष्ठा सत्य में ही है।

सत्यमेव जयते

भास्कर ए. सावन्त
आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा

"प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षा का सरोकार किससे है बल्कि प्रश्न तो यह है कि शिक्षा का सरोकार किससे नहीं है। शिक्षा तो जीवनदायनी है। हम सब शिक्षा के सरोकारी है। हमारे कदम शिक्षा की राह को आसान करें और हमारे प्रयास शिक्षा के संकल्प को साकार करें।"

दिशाकल्प

आइए, करें अच्छी शुरुआत

ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय खुल चुके हैं। नई ऊर्जा, उत्साह एवं उमंग के साथ छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक, शिक्षा के मैदान में आ उतरे हैं– एक नई पारी खेलने के लिए। मैं सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का इस उल्लासमय अवसर पर अभिनन्दन करते हुए शैक्षणिक सत्र 2011-12 के दौरान हर क्षेत्र में उनकी शानदार सफलता की कामना करता हूँ।

हमारे जनमानस में एक उक्ति बड़े विश्वास के साथ कही जाती है– **Well begun is half done,** तो आइए हम सब मिलकर नए शिक्षा सत्र की अच्छी शुरुआत करें।

इस समय दो बातें विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य हैं। प्रथम, राज्य में अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का लागू होना तथा द्वितीय माध्यमिक स्तर की सभी कक्षाओं में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का समावेश होना। इस प्रकार यह संक्रान्ति काल है। परिवर्तन की यह घड़ी आपसे कुछ कहना चाहती है, आपका विश्वास पाना चाहती है। मैं चाहूँगा कि–

- शिक्षक पूर्ण मनोयोग से शिक्षा का अधिकार अधिनियम को समझें तथा उसके प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए एक-एक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें। वे सतत अध्ययन व चिन्तन-मनन कर शिक्षा का प्रभावी धरातल तैयार करें।
- अभिभावक बालक-बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश दिलाकर अपने अभिभावकीय कर्तव्य को पूरा करें। इतना ही नहीं, उनके द्वारा अपने संरक्षित बालक-बालिकाओं की शिक्षा की समुचित सम्भाल भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगी। छात्र-छात्राएं दत्तचित होकर शिक्षा ग्रहण करें तथा अन्य सहगामी प्रवृत्तियों में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास करें।
- शालाएं समाज की दर्पण हुआ करती हैं। अतः माननीय जनप्रतिनिधि, उदारमना भामाशाह एवं अभिभावक शिक्षण संस्थाओं को अपना नैतिक एवं आर्थिक सम्बल प्रदान करें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित शाला प्रबन्धन समितियों को सक्रिय बनाया जावे ताकि उनकी अधिकतम सहभागिता विद्यालयों के संचालन में मिल सके।
- शिक्षा अधिकारी अपनी वार्षिक निरीक्षण योजना बनाएं तथा अन्य कार्यालयी व्यस्तताओं के बावजूद सुदूर गाँव ढाणी तक में स्थित विद्यालयों में अपनी दस्तक दें। वे अपने अनुभव एवं ज्ञान के बल पर संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन करें।
- शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वे संवेदनशील होकर इन छात्र हितैषी योजनाओं का लाभ यथासमय सभी पात्र छात्र-छात्राओं को दिलाएं।
- वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (ICT) का विस्मयकारी युग है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यालयों एवं विद्यालयों में उपलब्ध आई.सी.टी. सुविधाओं का शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। हमने E-Scholar Register बनाया है जिसमें छात्र-छात्रा से सम्बन्धित सभी विवरण समाहित किए गए हैं। दरअसल यह Student Profile है। यह रजिस्टर वेबसाइट **www.ctor.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

खुशहाल राष्ट्र, स्वस्थ समाज एवं सुखी इंसान का स्वप्न शिक्षा ही साकार कर सकती है। प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षा का सरोकार किससे है बल्कि प्रश्न तो यह है कि शिक्षा का सरोकार किससे नहीं है। शिक्षा तो जीवनदायनी है। हम सब शिक्षा के सरोकारी है। हमारे कदम शिक्षा की राह को आसान करें और हमारे प्रयास शिक्षा के संकल्प को साकार करें, बस इसी आशा एवं विश्वास के साथ शिविरा के माध्यम से एक बार पुनः आप सबको बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।

(भास्कर ए. सावन्त)

नामांकन अभियान : 2011-12

घर-घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे ज़माना

राज्य सरकार की बजट घोषणा की पालना में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को चिह्नित करने के उद्देश्य से घर-घर जाकर चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे किया गया था। सर्वे के अनुसार राज्य में लगभग 12.10 लाख बालक-बालिकाएं शिक्षा से वंचित पाए गए हैं।

राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम अप्रैल, 2010 से लागू हो चुका है। अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व हो गया है। अधिनियम की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा में नामांकन अभियान को शामिल किया है।

मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना में शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के सम्मिलित प्रयासों से सम्पूर्ण प्रदेश में वृहत् नामांकन अभियान दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2011 तक चलाया जाएगा। नामांकन अभियान में अधिक से अधिक बालक-बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्न विवरणानुसार कार्य योजना तैयार की गई है–

गतिविधियाँ

जिला स्तर पर बैठक : जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में एक बैठक 15 जून, 2011 तक आयोजित की जाएगी। बैठक में जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समेकित बाल विकास योजना, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, जिला साक्षरता अधिकारी, टी.ए.डी. एवं संस्कृत शिक्षा के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं व उपखण्ड अधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक में जिले में नामांकन अभियान की सफलता हेतु कार्य योजना तैयार की जाकर अधिक से अधिक बालक-बालिकाओं का नामांकन व ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा।

ब्लॉक स्तर पर बैठक : ब्लॉक स्तर पर प्रधान पंचायत समिति की अध्यक्षता में एक बैठक 15 जून, 2011 तक आयोजित की जाएगी। बैठक में उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं उपरोक्त वर्णित विभागों के समस्त अधिकारियों के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में जिला स्तर पर लिए गए निर्णयों पर विचार किया जाकर ब्लॉक से उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी।

विद्यालय स्तर पर बैठक : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया जा चुका है। विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाकर विद्यालय परिक्षेत्र में रह रहे शिक्षा से वंचित सभी बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की कार्य योजना तैयार की जाएगी।

जन चेतना रैली : प्रत्येक वास स्थान पर स्थित विद्यालयों द्वारा जन चेतना रैली आयोजित की जाएगी। रैली में ग्रामस्तरीय समस्त विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। रैली किसी एक विशेष स्थान से प्रारम्भ होकर प्रत्येक शिक्षा से वंचित बालक-बालिका के घर जाएगी तथा अभिभावकों को समझाइश कर एवं उन्हें प्रेरित कर बालक-बालिका का नामांकन सुनिश्चित करेगी। रैली का नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/विकास अधिकारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा। रैली का समापन विद्यालय परिसर में होगा।

संकल्प पत्र भरवाना : जन चेतना रैली के दौरान शिक्षा से वंचित बालक-बालिका के अभिभावकों से सम्पर्क के दौरान उनसे संकल्प पत्र लिया जाएगा, जिसमें अभिभावक अपने बालक-बालिका को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लेगा।

शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की सूची चस्पा करना : प्रत्येक ग्राम के प्रमुख स्थानों पर उस ग्राम में रह रहे शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की सूची चस्पा की जाएगी, जिससे गाँव के प्रबुद्धजनों को शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की जानकारी हो सके तथा वे उनके माता-पिता से सम्पर्क कर उन्हें विद्यालय में प्रवेश करा सकें।

प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा से वंचित दो बालक-बालिका की जिम्मेदारी : प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षा से वंचित दो बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव व विशेष प्रशिक्षण का दायित्व दिया जाएगा। इसका रिकार्ड नोडल संस्था प्रधान द्वारा संधारित किया जाएगा।

वातावरण निर्माण : नामांकन अभियान के वातावरण निर्माण हेतु इलेक्ट्रोनिक व प्रिन्ट मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ग्राम, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर नामांकन अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित स्थानों पर 30 जून, 2011 तक फ्लैक्सी बोर्डों का प्रदर्शन किया जाएगा।

विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन : नामांकन अभियान में जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से जून माह के अन्तिम सप्ताह में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस ग्राम सभा में विभिन्न विभागों के समन्वय से उनकी लाभकारी योजनाओं का समावेश किया जाकर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के माध्यम से अभिभावकों को बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

नारा लेखन : नामांकन अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर नारा लेखन का कार्य सम्पादित किया जाएगा।

पर्यवेक्षण : प्रशासन "गाँव के संग" की तर्ज पर मुख्य सचिव महोदय की तरफ से प्रत्येक जिला प्रभारी सचिव तथा जिला कलक्टर को

अर्द्धशासकीय पत्र लिखा जा रहा है, जिससे प्रबोधन में उच्च स्तर के अधिकारियों का समावेश हो सके।

शिक्षा विभाग में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारियों/संयुक्त निदेशकों, उपनिदेशकों तथा परिषद् में कार्यरत अधिकारियों को अभियान की गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु जिलों का प्रभार दिया गया है। अतः इन अधिकारियों द्वारा नामांकन अभियान के दौरान निम्नांकित दिवसों को जिले का भ्रमण कर नामांकन अभियान की गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रथम भ्रमण कार्यक्रम - 15 जून, 2011

द्वितीय भ्रमण कार्यक्रम - ग्राम सभा दिवस

तृतीय भ्रमण कार्यक्रम - 7 जुलाई से 12 जुलाई, 2011

चतुर्थ भ्रमण कार्यक्रम - 25 जुलाई से 31 जुलाई, 2011

नोडल अधिकारियों द्वारा 15 जून, 2011 को सम्बन्धित जिले का भ्रमण कर जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं समस्त बीआरसीएफ/बीईईओ की बैठक ली जाकर वातावरण निर्माण एवं संचालित की जाने वाली गतिविधियों को समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार संचालित करने हेतु रूपरेखा तैयार की जाएगी।

पुरस्कार

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का अधिकतम नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों, प्रत्येक ब्लॉक से एक शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनी को निम्न प्रकार से पुरस्कृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है–

ग्राम पंचायत– राज्य में कम से कम 200 शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं वाली ग्राम पंचायतों में से जिले में अधिकतम ठहराव एवं नामांकन (कम से कम 100 प्रतिशत नामांकन एवं कम से कम 80 प्रतिशत ठहराव) सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सिफारिश पर विद्यालय में 10 लाख रुपये तक के सिविल कार्यों की स्वीकृति शिक्षा का अधिकार कानून के मापदण्डानुसार दी जाएगी।

शिक्षकों : प्रत्येक ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन एवं ठहराव (कम से कम 20 बालक-बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव) सुनिश्चित करने वाले प्रत्येक ब्लॉक से एक शिक्षक को 2,100 रुपये का नकद पुरस्कार एवं उसे जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता : प्रत्येक ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन एवं ठहराव (कम से कम 10 बालक-बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव) सुनिश्चित करने वाली एक आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1,100 रुपये का नकद पुरस्कार एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

आशासहयोगिनी: प्रत्येक ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन एवं ठहराव (कम से कम 5 बालक-बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव) सुनिश्चित करने वाली एक आशासहयोगिनी को 500 रुपये का नकद पुरस्कार एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

ठहराव हेतु बालक-बालिका की नामांकन तिथि से 31 दिसम्बर तक कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में उपस्थिति आवश्यक होगी।

माननीय शिक्षामंत्री महोदय का संस्था प्रधानों के नाम पत्र

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

क्रमांक : 1462 दिनांक : 11 मई 2011

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
रा.उ.मा.वि./रा.मा.वि./रा.उ.प्रा.वि./रा.प्रा.वि.

विषय : शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के क्रम में।

प्रिय संस्थाप्रधान,

आप सभी को विदित है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के चिह्नीकरण हेतु चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे माह जुलाई, 2010 में करवाया गया था। आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यरत शिक्षकों के सहयोग से यह वृहद् कार्य सम्पन्न हो सका है, जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। इस सर्वे में राज्य में लगभग 12.10 लाख बालक-बालिकाएँ शिक्षा से वंचित पाए गए हैं। राज्य में विशेष रूप से बालिकाओं का शिक्षा से वंचित रहना चिन्ता का विषय है।

राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् हम सब का दायित्व हो गया है कि राज्य में चिह्नित शिक्षा से वंचित समस्त बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2011 तक प्रदेश में नामांकन अभियान चलाया जाएगा। नामांकन अभियान के दौरान वातावरण निर्माण करना, ग्राम सभा एवं अन्य बैठकों का आयोजन करना, अभिभावकों से सम्पर्क करना तथा प्रभावी पर्यवेक्षण करना, प्रमुख गतिविधियाँ रहेंगी। यह आवश्यक है कि आपके स्तर पर संचालित होने वाली समस्त गतिविधियाँ निश्चित समयावधि में सम्पन्न हों ताकि नामांकन अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एवं आपके अधीनस्थ शिक्षक/शिक्षिकाएं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे इस नामांकन अभियान की समस्त गतिविधियों में रुचि लेकर अपने परिक्षेत्र के शिक्षा से वंचित चिह्नित बालक-बालिकाओं का न केवल नामांकन ही करवाएँ अपितु उनका ठहराव भी सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि नामांकन एवं ठहराव में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत/शिक्षक/आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शिक्षा जगत के इस पुनीत यज्ञ में आहुति देंगे एवं प्रवेश को प्रारम्भिक शिक्षा में सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगे तथा आप अपने ब्लॉक में उत्कृष्ट कार्य कर पुरस्कार से सम्मानित होंगे।

शुभकामनाओं सहित।

"हर एक पढ़ेगा, राजस्थान बढ़ेगा"

शिक्षा मंत्री
राजस्थान सरकार

राज्य में शिक्षा से वंचित बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक है। अतः बालिकाओं के अधिकाधिक नामांकन हेतु उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त निम्न गतिविधियों का समावेश किया गया है।

माँ-बेटी सम्मेलन : मॉडल कलस्टर विद्यालय स्तर पर शिक्षा से वंचित बालिकाओं की माताओं तथा बालिकाओं के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

प्रिप्रेटरी कैम्प : कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में बालिकाओं के प्रवेश हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन करना। बैठकों में शिक्षा से वंचित बालिकाओं तथा आवासीय ब्रिज शिविरों में नामांकित बालिकाओं के अभिभावकों को केजीबीवी के विषय में जानकारी देकर केजीबीवी में बालिकाओं में प्रवेश हेतु उनकी सहमति प्राप्त की जाएगी।

पढवा को हेलो : शिक्षकों तथा लोक कलाकारों के सामूहिक कला जत्थे के सहयोग से ग्राम पंचायतवार **पढवा को हेलो** का आयोजन किया जाएगा। (इस गतिविधि का आयोजन बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जालौर, अजमेर एवं सवाईमाधोपुर में किया जाएगा।)

समस्त अभिभावकों, जन प्रतिनिधिगणों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं शिक्षकों द्वारा नामांकन अभियान की सभी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सक्रिय भूमिका निभाने पर ही नामांकन अभियान में आशातीत सफलता प्राप्त हो सकेगी।

प्रेरणा गीत

घर घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना।

निश्चय हमारा ध्रुव-सा अटल है,
काया की रग-रग में निष्ठा का बल है,
जागृति शंख बजाएंगे, बदलेंगे जमाना,
घर-घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना।

बदली हैं हमने अपनी दिशाएं,
मंज़िल नई तय करके दिखाएं,
धरती को स्वर्ग बनाएंगे, बदलेंगे जमाना,
घर-घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना।

श्रम से बनाएंगे माटी को सोना,
जीवन बनेगा उपवन सलोना,
मंगल सुमन खिलाएंगे, बदलेंगे जमाना,
घर-घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना।

कोरी कल्पना की तोड़ेंगे कारा,
ममता की निर्मल बहाएंगे धारा,
समता के दीप जलाएंगे बदलेंगे जमाना,
घर-घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना।

शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु माह जुलाई, 2011 में चलाये जाने वाले नामांकन अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में

विवरण : • वातावरण-निर्माण करना– 1. ग्राम के प्रमुख स्थानों पर नारा लेखन का कार्य सम्पन्न कराना – **समयावधि 7 जुलाई, 11 तक।** 2. जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर के प्रमुख स्थानों (यथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन/न्यायालय परिसर/उपखण्ड कार्यालय/जिला कार्यालय इत्यादि) पर फ्लेक्सी बोर्ड का प्रदर्शन – **30 जून, 2011 तक।** 3. माह जून के अन्तिम सप्ताह में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। उक्त ग्राम सभा में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की सूची पढ़कर सुनाने तथा शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधान बताने की कार्यवाही की जानी है। उक्त ग्राम सभा में डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म भी दिखाई जायेगी, जिससे शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो – **30 जून, 2011 तक।**

• गतिविधियाँ : 1. जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु रूपरेखा तैयार करना – **15 जून, 2011 तक।** 2. ब्लॉक स्तर पर प्रधान पंचायत समिति की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, उप खण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु रूपरेखा तैयार करना – **15 जून, 2011 तक।** 3. विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी – **जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक।** 4. विद्यालयों द्वारा जन चेतना रैली का आयोजन। जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक। 5. शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की सूची का गाँव के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन करना – **05 जुलाई तक।** 6. शिक्षकों, जन प्रतिनिधियों, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों द्वारा शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क कर, उन्हें बालक-बालिकाओं के नामांकन हेतु प्रेरित करना तथा उनसे संकल्प-पत्र भरवाना। सम्पर्क अभियान में साक्षरता विभाग के प्रेरकों का भी सहयोग लिया जायेगा। संस्था प्रधानों द्वारा अपने क्षेत्र में आ रहे वास स्थानों को इस प्रकार विभाजित किया जायेगा की उपरोक्त सदस्यगण द्वारा वास स्थान में आ रहे शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के प्रत्येक अभिभावक से सम्पर्क कर, उन्हें प्रेरित किया जा सके – **माह जुलाई, 2011** 7. प्रत्येक शिक्षक साक्षरता प्रेरक एवं मदरसा पैराटीचर्स को शिक्षा से वंचित दो बालक-बालिका का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी देना – **माह जुलाई का प्रथम सप्ताह।** 8. वेब पोर्टल पर उपलब्ध V.E.R./W.E.R. (Village/Ward Education Register) में अंकित शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के नामांकन सम्बन्धी सूचना को नोडल प्रधानाध्यापक द्वारा आदिनांक करवाया जाना – **माह जुलाई में 15 एवं**

31 जुलाई को तथा बाद में माह के अन्तिम दिवस को।

• **पर्यवेक्षण (Monitoring) :** 1. शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, संयुक्त निदेशकों, उपनिदेशकों को तथा परिषद में कार्यरत अधिकारियों को अभियान की गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु जिले का प्रभार दिया गया है। अतः उक्त अधिकारियों द्वारा नामांकन अभियान के दौरान निम्नांकित दिवसों को जिले का भ्रमण कर नामांकन अभियान की गतिविधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। प्रथम भ्रमण कार्यक्रम - 15 जून, 2011, द्वितीय भ्रमण कार्यक्रम - ग्राम सभा दिवस, तृतीय भ्रमण कार्यक्रम - 7 जुलाई से 12 जुलाई, 2011, चतुर्थ भ्रमण कार्यक्रम - 25 जुलाई से 31 जुलाई, 2011 । समस्त नोडल अधिकारियों द्वारा 15 जून, 2011 को जिले का भ्रमण कर जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, अति. जिला परियोजना समन्वयक एवं समस्त बीआरसीएफ/बीईईओ की बैठक ली जाकर वातावरण निर्माण एवं संचालित की जाने वाली गतिविधियों को समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार संचालित करने हेतु रूपरेखा तैयार की जायेगी – **15 जून, 2011 ग्राम सभा दिवस 7 जुलाई से 12 जुलाई, 2011, 25 जुलाई से 31 जुलाई, 2011**

पुरस्कार : ग्राम पंचायत को– राज्य में कम से कम 200 शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं वाली ग्राम पंचायतों में से जिले में अधिकतम ठहराव एवं नामांकन (कम से कम 100 प्रतिशत नामांकन एवं कम से कम 80 प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सिफारिश पर विद्यालय में 10 लाख रुपये तक के सिविल कार्यों की स्वीकृति (शिक्षा का अधिकार कानून के मापदण्डानुसार) दी जायेगी।

शिक्षकों को– प्रत्येक ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन एवं ठहराव (कम से कम 20 बालक-बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव) सुनिश्चित करने वाले प्रत्येक ब्लॉक से एक शिक्षक को 2,100 रुपये नगद दिया जाना एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को– प्रत्येक ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन एवं ठहराव (कम से कम 10 बालक-बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव) सुनिश्चित करने वाली एक आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1,100 रुपये नगद दिया जाना एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

आशा सहयोगिनी– प्रत्येक ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन एवं ठहराव (कम से कम 5 बालक- बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव) सुनिश्चित करने वाली एक आशा सहयोगिनी को 500 रुपये नगद दिया जाना एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

ठहराव हेतु बालक-बालिका की नामांकन तिथि से 31 दिसम्बर तक कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में उपस्थिति आवश्यक होगी।

उक्त पुरस्कारों के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न बैठकों के तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा – **1 जुलाई से 26 जनवरी, 2011**

माँ-बेटी सम्मेलन : 1. मॉडल कलस्टर विद्यालय स्तर पर शिक्षा से वंचित बालिकाओं की माताओं तथा बालिकाओं के सम्मेलन का आयोजन कराना – **15 जुलाई से 30 जुलाई, 2011**

• **प्रिप्रेटरी कैम्प :** 1. केजीबीवी में बालिकाओं के प्रवेश हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन करना। बैठकों में शिक्षा से वंचित बालिकाओं तथा आवासीय ब्रिज शिविरों में नामांकित बालिकाओं के अभिभावकों को केजीबीवी के विषय में जानकारी देकर उन्हें केजीबीवी में प्रवेश हेतु सहमति प्राप्त करना – **01 से 30 जुलाई, 2011**

• **पढ़वा को हेलो :** 1. शिक्षक तथा लोक कलाकारों के सामूहिक कला जत्थे के सहयोग से ग्राम पंचायतवार **पढ़वा को हेलो** का आयोजन कराना। (इस गतिविधि का आयोजन बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, अजमेर एवं सवाई माधोपुर में किया जायेगा। – **15 जुलाई से 15 अगस्त, 2011**

अंधेरा रह न पाएगा

मिटाएंगे धरा पर अब, अंधेरा रह ना पाएगा,
खुशी से देश सारा यह, हमारा लहलहाएगा।
युगों से चल रही आई अविद्या और बेकारी,
दिलों में जल रही थी द्वेष और दुख की महामारी।
सुलगती आ रही चिनगारियों को हम मिटाएंगे,
निरक्षरता, गरीबी और बेकारी हटाएंगे।
करो संकल्प सब मिल कर, मनोबल जाग जाएगा।
प्रगति उनकी रुकी रहती भरोसे भाग्य जो रहते,
समय आलस्य में खोते थपेड़े हैं वही सहते।
नहीं पाते कभी मंज़िल कि जो बहते कगारों पर,
सफलता है टिकी संकल्प साहसमय विचारों पर।
युवक अब देश का कोई न श्रम से जी चुराएगा।
समझ लो चरण विश्वासी, हमारे रुक नहीं सकते,
किसी के सामने हम चिर प्रवासी झुक नहीं सकते।
दुहाई राष्ट्र देता है, हमें मंज़िल बुलाती है,
अनेक दीन दुखियों की, हमें पीड़ा रुलाती है।
अगर दो साथ तुम भी तो, चमन यह चहचहाएगा।
मिटाएंगे धरा पर अब ...

प्रवेश उत्सव है, बच्चों का स्वागत करें

❑ रवीन्द्र सिंह

ग्रीष्मावकाश समाप्त हो चुका है। शाला के द्वार फिर बच्चों के लिए खुल गए हैं। विषय प्रशिक्षण लेकर अध्यापक भी विद्यालय लौटे हैं। लम्बे अवकाश बाद छात्र कुछ नया सीखने को आतुर हैं। क्या नया सिखाने के लिए अध्यापक भी ...? शाला में पधारे अधिकांश बच्चे स्कूली वातावरण से परिचित हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जिनके लिए अध्यापक व सहपाठी नये हैं तथा कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने अपने नन्हें-नन्हें कदमों से निशां शाला के प्रांगण में धरे हैं। नये पंखों के साथ पहली बार घर से स्कूल तक नई उड़ान भरी है। शाला आने की खुशी व उत्सुकता साफ उनके चेहरे से पढ़ी जा सकती है। यदि कुछ सहमा हुआ है, तो जरूर शाला वातावरण का परिचय किसी ने उसे पूर्व में दे दिया होगा। साथियों, वह छात्र घर छोड़कर नये वातावरण में कभी अपने आपको अकेला व कभी नए साथियों के बीच शाला गतिविधियों को निहारता, अजीब स्थिति से गुजर रहा होगा। गले में बस्ता लटकाए, छोटी सी जिन्दगी में पहली बार, किसी जिम्मेदारी का अहसास भी कर रहा होगा। अभिभावकों ने अपने जिगर के टुकड़े की पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों के कन्धों पर डाल दी है। वे इसे शिक्षित करेंगे, जीवन जीने का ढंग सिखाएंगे तथा उनके अधूरे अरमानों को पूरा करेंगे।

गुरुजनो, कितना विशेष दिन है, जुलाई माह का प्रथम दिन। अपने आने का आदर भाव हर कोई छात्र चाहता है। बच्चों के साथ मिलना चाहता है। यह अवसर तो उसे केवल हम ही दे सकते हैं। कहीं न कहीं भय है उसमें, खो जाने का, बच्चों से पिट जाने का, अनुशासन के पाठ सीखने का, इन सभी बातों से सुरक्षा व भरोसा तो केवल हम ही दे सकते हैं ना।

बच्चा मानव संसाधन का सबसे बड़ा उपहार है। बच्चे का जन्म लेना ही इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने अभी इन्सान से उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसके अच्छा इन्सान बनाने में अध्यापक का पूर्ण दायित्व है।

शिक्षा के अधिकार अन्तर्गत अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है जबकि विद्यार्थियों के नामांकन व ठहराव दर के बीच सन्तुलन बिगड़ा हुआ है। प्रशासन व शिक्षा विभाग इस बाबत चिन्तातुर हैं।

कैसी विड़म्बना है? आज बच्चों के लिए शाला में सभी सुविधाएं हैं, सुन्दर इमारत है, निःशुल्क शिक्षा है, अर्द्ध अवकाश में पका हुआ भोजन है फिर भी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम है। शायद इसी स्थिति ने ही कवि को यह कहने के लिए बाध्य किया होगा–*एक मंजर यूं नज़र आया, कि मैं डर गया/हाथ में रोटी थी जिसके, वो भिखारी मर गया।*

समझ में नहीं आया, भूख उसकी मर गई या भूख से वो मर गया। बन्धुओ, मानना पड़ेगा हमारे शिक्षण में कहीं न कहीं कमी तो है। हम अपनी बात बदलते परिवेश में नवीन ढंग से नहीं कह पा रहे। यदि आप इसे हृदय से स्वीकार करें तो मैं बड़ी आशा के साथ पंजाबी की इन पंक्तियों को कह सकूँगा–*मैं लभ के लियाओना हां कित्थों कलमां/ तुसी फुलां जोगी जरा जमीन रखना।*

अर्थात् आप जमीन तैयार रखना, मैं आपके लिए फूलों की अच्छी कलमें लेकर आता हूँ।

शिक्षक कैसा हो– बच्चा छः माह अपनी माँ को देखता रहता है फिर वह समझ जाता है कि माँ उसे क्या सिखाना चाहती है। बड़ी खुशी से माँ के आदेशों की अनुपालना, सांकेतिक मुद्राओं व हाव-भावों से करता है क्योंकि माँ का दूध भावों का दूध है। मां के स्पर्श से उसे आत्मिक आनन्द व उसकी आंचल से उसे सुरक्षा मिलती है। फिर एक दिन माँ पर उसका भरोसा इतना बढ़ जाता है कि गली में गुजर रहे बैलून वाले को पूर्ण दृढ़ता से कह देता है– भाई, रुक जाओ, मैं अभी माँ से पैसे लाकर देता हूँ। माँ को यदि दूध से कहीं अधिक, अपनी फिगर की चिन्ता है तो मातृत्व की कमी, बच्चे के सम्पूर्ण विकास में रुकावट पैदा कर देगी। अध्यापक का कार्य माँ की तरह बच्चे को एक-एक कदम चलना सिखाना है। शाला में भी बच्चा उसी विश्वास के साथ आता है, विश्वास को मजबूत बनाए रखना अध्यापक का धर्म है। अध्यापक बच्चे को देखता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हजारों निगाहें अध्यापक को देख रही होती है। जिसमें बच्चा, अभिभावक व समाज सभी शामिल हैं। अध्यापक को यह देखना है कि जो वह कह रहा है, क्या वह वैसा कर रहा है?

शिक्षक का व्यवहार लोकतान्त्रिक होना चाहिए। प्रवेश लेने वाला बच्चा जब शाला आता है उसकी सबसे ज्यादा निगाहें अध्यापक पर होती है। इसलिए अध्यापक की हर क्रिया को वह बारीकी से देखता है। यदि उसे शिक्षक के व्यवहार में मिठास, कोमलता व आदर नहीं मिलता तो वह तुरन्त पहचान लेता है। समझ लो, शाला त्याग की प्रवृत्ति उसमें जन्म ले लेती है। जागरूक अभिभावकों के बच्चे तो ऐसे नीरस व भयमुक्त वातावरण को स्वीकार कर ही लेते हैं क्योंकि उसकी तो घर और स्कूल दोनों ओर से लगाम कसी रहती है लेकिन गरीब, अनपढ़ व लापरवाह माता-पिता के बच्चे ड्राप-आऊट के शिकार बन ही जाते हैं। अध्यापक के व्यवहार से सम्बन्धित एक शाला की सत्य और आम अध्यापकों के लिए एक सामान्य सी घटना से आपको मैं रूबरू करवाता हूँ।

एक नन्हा बच्चा जो अपनी बड़ी बहिन के साथ पहले दिन स्कूल आया। खूब उछल कूद कर रहा था। उसकी ये बाल क्रीड़ाएं अनुशासन चाहने वाली अध्यापिका को रास नहीं आई जैसे ही अध्यापिका ने उसे डराने के लिए अपना हाथ उठाया, नादान बच्चे ने भी गुस्से में अपना हाथ उठाने का संकेत दे डाला। अध्यापिका ने गुरु प्रतिष्ठा का प्रश्न समझ उसे

सजा दे ही दी। अगले दिन बच्चा शाला तो आया लेकिन उसकी मुस्कान, चंचलता, स्वाभाविकता व भोला बालपन दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह सहमा-सहमा, आंखें बचाकर बार-बार उसी अध्यापिका को ही देख रहा था। बच्चे द्वारा हाथ उठाने का आप कारण समझें। बाल बचपन हर किसी पर अपना अधिकार जतलाता है उसकी स्वतन्त्रता में बाधक बनी शिक्षिका को माँ की भाँति समझ, वह हठ व गुस्से का इजहार कर अपना विरोध जतलाने की कोशिश कर रहा था। जो अनादर का अर्थ नहीं जानता लेकिन अध्यापिका ने मातृत्व जैसा नहीं केवल शिक्षिका जैसा व्यावसायिक व्यवहार किया। दिखाई देने वाली इस सामान्य घटना का क्या परिणाम निकला? बाल अभिव्यक्ति के मुखरित होने में समस्या पैदा हो गई व आत्मीयता का रिश्ता टूट गया। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बच्चे को समूह में तिरस्कार, उपहास व प्रताड़ित न किया जाये। हो सके तो प्रत्येक बच्चे को उसके अपने नाम से सम्बोधित किया जाये। बच्चा केवल प्यार की भाषा जानता है। जो बच्चों को जितना अधिक प्यार देता है वह बच्चों का उतना अधिक प्रिय शिक्षक होता है। ऐसे अध्यापकों से बच्चों का इतना मधुर सम्बन्ध बन जाता है कि वे अध्यापक को अंगुली पकड़ कर अपनी कक्षा में ले जाते हैं। यहाँ तक कि उद्दण्डी विद्यार्थी को अपनी गलती से उभरने व सुधरने हेतु प्रेम ही सबसे बड़ी दवा है।

हमारा पहला कदम बच्चे को शाला से जोड़ना है न कि शिक्षा से, शाला का वातावरण आकर्षक व भयरहित है तो यह आदर्श स्थिति होगी। यदि ऐसा नहीं तो, तब एक विकट स्थिति होगी। अध्ययन बिन्दुओं से पिछड़े हुए बालक की भरपाई कभी भी हो सकती है लेकिन शाला से विमुख हुए बालक को पुनः शिक्षा से जोड़ना कठिन कार्य हो जाता है। अतः शाला में विद्यार्थी का पहला कदम उसकी उच्च योग्यता का अन्तिम कदम बने इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को गुरुमित्र बन शाला का स्वच्छन्द उन्मुक्त व रसमय वातावरण बनाना होगा। शिक्षक को बालक की झिझक, शंका, भय, उत्सुकता, प्रसन्नता, जिज्ञासा एवं स्वाभाविक क्रियाओं का हमराज बनकर घर जैसा वातावरण शाला में बनाना होगा। उसका शिक्षक से सम्बन्ध केवल शाला में ही नहीं बल्कि गली, बाजार में भी बालक के मिलने पर, मुस्कान के साथ अभिवादन स्वीकार करना होगा। कभी-कभार मार्गदर्शक बनकर विभिन्न विषयों पर उससे अनौपचारिक वार्ता करनी होगी। बालक स्वयं में एक जीवित ग्रन्थ है उसे पढ़ने वाला ही सही मायने में शिक्षा शास्त्री है। छात्र को आडी-टेडी लाइने खींचने दीजिए एवं मौज मस्ती में मन्द-मन्द गुनगुनाते रहने दीजिए। छात्र को प्रोत्साहन देते रहें। ''तू जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकता'' यह उलाहना भूल कर भी न दें। सम्भलने पर वह विद्यार्थी आपसे भी आगे निकल सकता है। प्रतिदिन शिक्षक को कक्षा में कुछ नया करके दिखलाना होगा। यदि शिक्षण को विषय के अतिरिक्त छात्र के जीवन घटकों से जोड़ दिया जाए तो अधिगम प्रभावी हो सकता है। प्रो. यशपाल इसलिए ही चिन्तित हैं कि स्कूल के सवालों का बच्चों की जिन्दगी के सवालों से फर्क है।

खेल के माध्यम से बच्चे, कठिन बातें सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। अतः बच्चों को सारा दिन, कठोर अनुशासन में एक ही जगह पशुओं की तरह एक खूंटी से बाँधे हम कब तक रख पाएंगे जबकि दूसरी ओर बचपन दीवारों से बाहर आना चाहता है। छोटी कक्षाओं में, कोई बड़ा गेम नहीं, तो कम से कम सीधी लाइन बनाकर, छुक-छुक रेलगाड़ी बनाकर ही उन्हें आप छोड़ दे, फिर देखना, वे अपने आप शाला का चक्कर लगाकर अपने स्टेशन पर आकर रुक जाएंगे। बताइए, इसमें आपका क्या लगा? यदि जरूरत समझें तो किसी दिन आप उन्हें शैक्षणिक भ्रमण हेतु स्कूल से बाहर भी ले जा सकते हैं। गुरुजनों के साथ पौधों की पत्तियाँ इकट्ठा करते, तितलियाँ पकड़ते, तालाब के निकट आते ही मेढ़कों का पानी में गोते लगाते देख, इन्हें कितना मजा आता होगा। तो क्यूं हम उन्हें बचपन के असली आनन्द से वंचित रख रहे हैं।

सरकारी विद्यालयों में कई बच्चे गरीब नहीं, बल्कि बहुत ही गरीब होते हैं। वे अपनी मजबूरी व अभिव्यक्ति कहने में असमर्थ होते हैं। तू ड्रैस पहन कर क्यों नहीं आया, स्कूल देर से क्यों आया, कापी, पेन्सिल आदि क्यों नहीं लाया। इन सब बातों का जवाब बच्चों को पढ़ने से ही मिलेगा।

साथियों, अपनी मेहनत की कमाई से गरीब बच्चों को गणवेश सिलवाकर व स्टेशनरी दिलवाकर आप पुण्य का काम कर सकते हैं।

स्कूल में बच्चों के प्रति स्वागत के ये भाव हो जाएंगे, तो सच मानों हर घर के दरवाजे, शाला की ओर खुल जाएंगे। ये विद्यालय बच्चों से भर जाएंगे। तब ये विद्यालय न सरकारी होंगे न निजी, बस होंगे तो केवल बच्चों के अपने।

–अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. नं. 3
रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर

अब अंधेरा जीत लेंगे

ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के
अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के

पूछती है झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के

बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जानकर
अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के

नया सूरज अब उगेगा देश के हर गांव में
अब इकट्ठे हो चले हैं लोग मेरे गांव के

चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से
बेड़ियाँ खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के

देखो यारो जो सुबह लगती थी फीकी आज तक
नया रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के

ज्ञान का दीपक जलेगा देश के हर गांव में
रोशनी फैला रहे हैं लोग मेरे गांव के

बिन पढ़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जानकर
अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग मेरे गांव के

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

होगी शिक्षा सबके पास एक दिन

❑ बजरंग प्रसाद मजेजी

केन्द्र सरकार ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) राज्य सभा में 20 जुलाई 09 तथा लोकसभा ने 4 अगस्त 09 को पारित किया है। इसके अनुरूप राजस्थान सरकार ने भी धारा 38 की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **'राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य - बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011'** पारित कर प्रमुख शासन सचिव द्वारा आदेश की क्रियान्विति हेतु आदेश प्रसारित कर दिये हैं। देश में कुल जनसंख्या में 6-14 वर्ष के बालकों की संख्या 22 करोड़ मानी गई है। इसमें से विद्यालयों में 18.7 करोड़ अर्थात् 96.5 प्रतिशत बालकों के प्रवेश के आंकड़े प्रसारित हुए हैं, लगभग 3 करोड़ बालक अनामांकित है। इसमें 1.25 करोड़ बालक बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। विश्व में 100 में से 27 बालक औसतन महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भारत के मानव संसाधन मंत्री का कथन है कि यहाँ 100 में से 12 बालक ही महाविद्यालय की शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। इसे सन् 2020 तक 30 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य केन्द्र सरकार ने लिया है। यह एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। वर्तमान में देश की स्थिति यह है कि कक्षा-5 तक 60 प्रतिशत, कक्षा-10 तक आते-आते 50-55 प्रतिशत बालक स्कूल छोड़ देते हैं। बालक के प्रवेश से अधिक ठहराव की समस्या आती है।

शिक्षा में प्रवेश एवं ठहराव (सुधार) के सरकारी प्रयास (आयोगों का गठन)

शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिये तत्कालीन सरकारों ने समय-समय पर आयोग का गठन कर, प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिये सुझावों पर क्रियान्विति की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में 20 नवम्बर 1959 को पार्ट-I आर्टिकल 28 तथा पार्ट-II 42-45, पार्ट-III 46-54 कुल 54 आर्टिकल में बालक को पूर्ण रूप से विकसित कर बालक में शिक्षा के द्वारा मानवीय गुण शांति, सहनशक्ति, स्वतंत्रता, समानता, पारस्परिक दायित्व बोध हेतु सुनागरिक बनाने वाली शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। भारत ने डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता (1964-66) में आयोग गठित किया। कोठारी आयोग ने 1966 में ''राष्ट्रीय शिक्षा आयोग'' के द्वारा देश की विषमता की ओर ध्यान दिलाया तथा बालकों को शिक्षा की समान पद्धति अपनाने हेतु पड़ौसी पाठशाला 'नेबरहुड स्कूल' की अवधारणा देते हुए सभी बालक (सभी वर्ग, गरीब-अमीर) के लिए समान शिक्षा नीति की आवश्यकता बताई। इसी आधार पर ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति'' 1986 घोषित हुई, जिसके अनुसार शिक्षा को व्यापारिक रूप देने का विरोध किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि ''निश्चित स्तर तक प्रत्येक शिक्षार्थी को बिना किसी जाति, धर्म, स्थान अथवा लिंगभेद के बिना अच्छी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो।'' इसी आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) ने प्रथम बार ''राष्ट्रीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा रूपरेखा'' 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिये सिद्धान्तों पर अमल की दृष्टि से मूल्यांकन और परीक्षा सुधारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। इसमें शिक्षण की पूरी अवधि के मध्य सीखने के प्रत्येक क्षेत्र में बालक की प्रगति का ''व्यापक और सतत मूल्यांकन'' व्यवस्थित रूप से किये जाने पर जोर दिया। अविभक्त इकाई, मूल्यांकन द्वारा कक्षोन्नति किये जाने का प्रावधान किया। मानव संसाधन मंत्रालय ने 1992 में स्कूली छात्रों पर शैक्षिक बोझ कम करने के लिए प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में ''राष्ट्रीय सलाहकार समिति'' नामक रिपोर्ट दी। यशपाल समिति ने परीक्षाओं के सम्बन्ध में सिफारिश करते हुए कहा कि बच्चों का रटंत से छुटकारा दिलाने के लिए मौजूदा प्रश्नावली पैटर्न के स्थान पर अवधारणा आधारित प्रश्न पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। विश्व समुदाय ने 1990 में ''सबके लिए शिक्षा'' (Education for all) प्रस्ताव पारित किया। उसी आधार पर देश में 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) प्रारम्भ किया। शिक्षा के सुधार के प्रयत्नों में ''राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा'' 2005 में कहा गया कि सुधार के लिए स्कूली पाठ्यक्रम को तोड़ा मरोड़ा न जाये तथा परीक्षा के बोझ को कम करने का प्रयत्न किया जाये। वैसे स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा, सीखो कमाओ, पायलेट शिक्षा योजना, अविभक्त इकाई योजना, आदर्श विद्यालय, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी आदि योजनाओं के द्वारा प्रवेश के प्रयास तथा ठहराव हेतु रुचिकर आकर्षक विद्यालय बनाये जाने के प्रयोग किये जाते रहे हैं। बालक को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की विशद विवेचना करें तो पाएंगे कि यह अत्यावश्यक अधिनियम है। परन्तु, व्यावहारिक क्रियान्विति सरकार, शिक्षक, अभिभावक और बालक के लिए चुनौतिपूर्ण डगर है। अधिनियम में विचारणीय तथ्यों पर ध्यान दिया जाना सफलता के लिए आवश्यक है–

बाल शिक्षा अधिकार नियम की संकल्पना–

1. 6-14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देना।
2. बालकों को प्राथमिक शिक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये जिसके अनुसार उचित स्तर, निर्धारित छात्र संख्या-शिक्षक अनुपात में योग्य शिक्षक, जल, सुविधाएं, खेल मैदान, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, उपयुक्त भवन हो।
3. बालक की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम निर्माण हो।
4. गांवों के स्कूलों की स्थिति और पढ़ाई स्तर को बेहतर किया जाये।
5. शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर-शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखा जाये।
6. धारा 12(1) के अनुसार निजी विद्यालयों को 25 प्रतिशत बालकों को प्रवेश दिया जाये।
7. आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश।
8. कक्षा-8 तक कोई अनुत्तीर्ण न होगा। प्रवेशोपरांत क्रमोन्नति दी जायेगी।

उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 'राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 में प्रावधान वर्णित किये हैं–

1. भाग-2 विद्यालय प्रबन्ध समिति (3) संरचना और कृत्य।
2. भाग-3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का

अधिकार (6) विशेष प्रशिक्षण।

3. भाग-4 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व।
4. भाग-5 विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। (10) कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह बालकों का प्रवेश। (11) राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति।
5. भाग-6 अध्यापक (16) न्यूनतम अर्हता (17) अध्यापकों के वेतन भत्ते, सेवा शर्ते 21 प्रत्येक विद्यालय में शिष्य-अध्यापक अनुपात बनाये रखना।
6. भाग-9 बाल अधिकारों का संरक्षण 26, 27, 28 ।

बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की संकल्पना एवं प्रावधानों के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। परन्तु, चुनौतियाँ भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है–

- भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से 29 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के पक्के भवन नहीं है तथा 49 प्रतिशत विद्यालयों के चहारदीवारी नहीं है। जबकि 59 प्रतिशत विद्यालयों में पृथक शौचालय नहीं है।
- शिक्षकों के लगभग 12 लाख पद रिक्त हैं।
- बाल शिक्षा अधिकार नियम के अनुसार 60 बालकों पर 2, 90 पर 3, 120 पर 4, 150 से अधिक छात्र संख्या पर एक प्रधानाध्यापक अतिरिक्त, 200 छात्रों पर 5 अध्यापक होना चाहिए। कक्षा-6 से 8 के लिए 35 बालकों पर एक शिक्षक 200 बालकों पर 7 अध्यापक तथा एक प्रधानाध्यापक अतिरिक्त होना चाहिए।
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा के बीच बड़ी खाईं है।
- बालक के विद्यालय में नहीं आने के कारणों को जानना और निवारण करना – ये बालक हैं– (i) रेल की पटरियों के सहारे बसी हुई बस्तियाँ (स्लीमस)। (ii) भिखारियों के बालक (iii) खेतीहर, होटलों में कार्यरत, अखबार बेचने वाले पानी की बोतल बेचने वाले, मवेशी चराने वाले, घुमक्कड़ जाति के बालक (iv) बालश्रम में लगे कारखानों, घरों में काम करने वाले बालक।

उक्त चुनौतियों का निराकरण, सरकार के प्रयत्न, शिक्षकों के प्रयत्न, अभिभावकों का सहयोग से बालकों के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं।

–से.नि., प्रधानाध्यापक
सांपला (अजमेर)

शिक्षा से अपेक्षा

❑ रूपनारायण काबरा

वर्तमान में शिक्षा के समक्ष एक ही चुनौती है कि वह आने वाली 'कॉम्प्लेक्स एवं फास्ट' दुनिया के संदर्भ में एक सक्षम पीढ़ी तैयार करे जो आने वाले तीव्र झंझावातों एवं परिवर्तनों से तादात्म्य कर अपने पैर जमाये रख सके और अपने सर्वकालिक जीवन मूल्यों को बनाये रख सकें।

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ ही उसकी जीवन संघर्ष योग्यता एवं सामन्जस्य क्षमता में विकसित कर सुखी सामाजिक, पारिवारिक एवं वैयक्तिक जीवन का निर्माण करे इसी में शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्थकता है।

शिक्षा की गुणवत्ता वस्तुतः इसी में है कि शिक्षित व्यक्ति में मानवीयता, बन्धुत्व एवं सहिष्णुता से परिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित हो और भविष्य के साथ तादात्म्य रखते हुए आगे बढ़ सके।

अभिभावक एवं शिक्षक तथाकथित अनुशासन एवं अपनी महत्त्वाकांक्षा के चक्कर में अपनी सत्ता दिखाने तथा अपने अहम् की तुष्टि में बालक के साथ जो अन्याय करते हैं वह उससे कई गुना अधिक होता है जो हम उसके लिये करते हैं यथा भोजन, वस्त्र, पढ़ाई, खिलौने इत्यादि जिसका हम बार-बार ढिंढोरा पीटते हैं।

तिरस्कार, अपमान, अविश्वास एवं दूसरे से उसकी तुलना बालक की आत्मछवि को आहत करता है। वह निराशा और आत्म प्रताड़ना में डूबता-उतरता आत्महत्या तक की ओर भी बढ़ने लगता है। शारीरिक दंड व बेरहम पिटाई तो अमानवीय नृशंसता है। निन्दनीय है, त्याज्य है। आप द्वारा दी गई बेरहम सजा व तिरस्कार उसको हीन भावना से भर देते हैं और अनेक बालक तो दमित प्रतिशोध भावना से भर जाते जिससे वे भविष्य में एक कुसमंजित व्यक्ति एवं समाज कंटक के रूप में अथवा अपने ही परिवार के लिए एक समस्या बन जाता है।

बालक को चाहिए आपका ढेर सारा प्यार, सहानुभूति, स्वतंत्रता, प्रेरणा व प्रोत्साहन। उसकी अटपटी नई सूझ पर ध्यान दिया जाय और उसकी अन्तर्निहित प्रतिभा को प्रस्फुटित होने का वातावरण एवं अवसर दिये जाएं।

आज का बालक अत्यन्त संवेदनशील है। उसको सही हैंडलिंग की आवश्यकता है। याद रखिये यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चे की भावनाओं एवं शख्सियत को ठेस पहुँचाने के गम्भीर परिणाम होते हैं।

शिक्षक से यदि राष्ट्र निर्माण की अपेक्षा रखते हैं तो उसे मुक्त वातावरण देना होगा, उसे अभिनव साधन-सुविधा देनी होगी और उसे ही सामाजिक क्रांति का अभिकर्ता स्वीकारना होगा। उसके स्वाध्याय, प्रशिक्षण, मुक्तचिन्तन, प्रयोगधर्मिता एवं सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देना होगा। कोई भी नदी अपने उद्गम से ऊपर नहीं वह सकती और गंगा को गंगोतरी पर तो निर्मल, समर्थ और सम्पन्न होना ही होगा आगे की यात्रा के लिये। शिक्षक ही शिक्षा की गंगोतरी है इसे स्वीकारना होगा।

सही शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अन्तर्निहित ब्रह्मभाव जाग उठता है। सुशिक्षा परीक्षाओं के घेरे में बंद शिक्षा नहीं वह तो जीवन की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, विश्वास, सेवा एवं प्रेम की शिक्षा है।

विश्व का असीम ज्ञान भंडार स्वयं हमारे मन में है। मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति देना एवं विकसित करना ही शिक्षा है।

यदि सतत विकासमान विज्ञान के साथ नैतिकता का शिक्षण-प्रशिक्षण नहीं हुआ तो विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति के दुरुपयोग से स्व-आमंत्रित विनाश अवश्यम्भावी है। गति देना विज्ञान काम है परन्तु दिशाबोध विज्ञान से संभव नहीं, दिशा तो आत्मज्ञान ही देता है या फिर समर्थ गुरु।

–ए-438, किशोर कुटीर
वैशाली नगर, जयपुर-302021

विद्यालय योजना

सफलता की धुरी है सुनियोजित योजना

❑ डॉ. पुष्पलता शर्मा

सहायक अध्यापिका के पद पर कार्य ग्रहण किये छः माह भी व्यतीत नहीं हुए थे कि एक दिन प्रधानाध्यापिका जी ने बुलाकर विद्यालय की वार्षिक योजना बनाने के आदेश दिये। बी.एड. प्रशिक्षण के समय विषय अध्यापन की दैनिक पाठ-योजना बनाना अवश्य सीखा था, किन्तु विद्यालय की वार्षिक योजना-निर्माण से अनभिज्ञ थी। प्रधानाध्यापिका जी के समक्ष मुँह खोलने का साहस न जुटा पाने के कारण शाला-प्रभारी से मार्गदर्शन माँगा तो उन्होंने विशेष मुस्कान के साथ कहा– ''अरे ! इसमें क्या परेशानी है? नकल ही तो करनी है। आपका हस्तलेख सुन्दर है, इसलिए यह कार्य आपको सौंपा है।

मैं हैरान। योजना-निर्माण और सुन्दर हस्तलेख का सम्बन्ध समझ में नहीं आया। प्रधानाध्यापिका जी के समक्ष जाकर डरते-डरते निवेदन किया कि वार्षिक योजना के लिए कुछ बिन्दु बताने का कष्ट करें ताकि योजना-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर सकूँ। प्रधानाध्यापिका जी ने अपनी आलमारी में से एक पंजिका निकाली और बताया कि इसकी सुन्दर और स्वच्छ हस्तलेख में नकल कर दूँ तथा कक्षावार छात्रा-संख्या में परिवर्तन कर दूँ। विद्यालय योजना-निर्माण का यह मेरा प्रथम अनुभव/प्रशिक्षण था।

नई राजकीय सेवा, नया वातावरण, नये साथी, नई उम्र, नया उत्साह और कुछ कर गुजरने की चाह ने मन-मस्तिष्क में अन्तर्द्वन्द्व उत्पन्न कर दिया। मन मानने को तैयार नहीं, यह कैसी योजना ? और बुद्धि कहे चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। जो आदेश/निर्देश मिले हैं, उनकी पालना करो। सहयोगियों की राय, अपनी अज्ञानता, संस्था प्रधान के मन में अपने प्रति किसी मिथ्या अवधारणा के भय एवं बौद्धिकता ने मन की आवाज को दबा दिया और निर्देशानुसार विद्यालय की वार्षिक योजना बनाकर प्रस्तुत कर दी गई। पर मन के किसी कोने में असन्तोष कुलबुला रहा था।

कुछ वर्षों में ही राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित प्रधानाध्यापकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में विद्यालय की वार्षिक योजना पर विस्तृत चर्चा ने मुझे असन्तोष की स्थिति से मुक्त किया। शिविरा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में विद्यालय की वार्षिक योजना निर्माण के लिए समस्त बिन्दु स्पष्ट हो चुके थे। उक्त प्रशिक्षण के उपरान्त आगामी सत्रों में विद्यालय निर्माण में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई।

कोई भी विचार या कार्य जब व्यावहारिक रूप ग्रहण करता है तो उसके लिए सिद्धान्त एवं मानदण्डों का जन्म हो जाता है और उनकी कसौटी पर कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण होता है। विद्यालय योजना निर्माण के भी कुछ मानदण्ड हैं।

शिविरा द्वारा विद्यालय की वार्षिक योजना का प्रारूप निर्धारित कर एक परिशिष्ट निकाला गया और योजना बनाने के लिए दिशा दी गई। विद्यालयों में सामान्यतः उस प्रारूप में पूर्व में बनाई गई योजना के आंकड़ों को बदलकर विद्यालय की वार्षिक योजना निर्धारित तिथि को उच्चाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करने की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है और पुनः आगामी सत्रारम्भ या कभी परिवीक्षण अधिकारी के आगमन पर ही योजना की पंजिका बाहर निकाली जाती है। विद्यालय की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियाँ अपने पुराने ढर्रे पर चलती रहती हैं। संस्था प्रधान भी सन्तुष्ट, स्टाफ भी सन्तुष्ट। विभिन्न विद्यालयों में किये जाने वाले दलीय परिवीक्षण के समय भी यही स्थिति सामने आती थी।

नव पदस्थापित, पदोन्नत या अति उत्साही एवं गिनेचुने जो संस्था प्रधान अपने विद्यालय की योजना बनाने में विशेष रुचि लेते हैं, उनकी विद्यालय योजना में विद्यालय विकास एवं विद्यार्थियों की विविध क्षेत्रीय उपलब्धियों में संस्था प्रधान और स्टाफ के व्यक्तित्व एवं परिश्रम की छाप अवश्य देखी जा सकती है।

'युज्' धातु से बने योजना शब्द का अर्थ है जोड़ने की, समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया। विद्यालय संसाधनों एवं विद्यालय परिवार के चहुँमुखी विकास के लिए किया जाने वाला वार्षिक आकलन, संकलन, लक्ष्यों-उद्देश्यों, उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रबोधन की रीति एवं मूल्यांकन विधि का स्वरूप निर्धारण ही तो विद्यालय की वार्षिक योजना है। दूसरे शब्दों में नये सत्र के लिए विद्यालय के भौतिक व मानवीय संसाधनों की अवगति एवं उनके परस्पर योजन के स्वरूप को, पूर्वानुमान को विद्यालय योजना कहा जा सकता है। भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित कर उनका समुचित उपयोग करने की व्यवस्था करना संस्था प्रधान का प्रथम कर्तव्य है।

विद्यालय योजना का निर्माण क्यों?

वैयक्तिक भिन्नता के कारण किसी भी कार्य को सम्पन्न करने के तरीके भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। किन्तु किसी संस्था के सुव्यवस्थित संचालन के लिए निश्चित योजना आवश्यक है, अन्यथा दिग्भ्रमित होने का भय बना रहता है। निम्नांकित बिन्दु स्पष्ट करेंगे कि विद्यालय योजना का निर्माण क्यों– **1.** विद्यालय की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने एवं भावी विकास और उन्नयन के लक्ष्य निर्धारण के लिए। **2.** शिक्षकों के अध्यापन एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की जानकारी लेने एवं उन्नयन हेतु प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारण करने के लिए। **3.** विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के विस्तार करने एवं सम्यकतया संचालन व्यवस्था द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए। **4.** शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों में सतत अवलोकन, यथा समय निर्देशन, नियमित प्रबोधन एवं मूल्यांकन द्वारा गुणात्मकता लाने की तैयारी के स्वरूप निर्धारण के लिए। **5.** विद्यार्थियों के व्यावसायिक निर्देशन हेतु विविध विषयों, क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए। **6.** विद्यार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। **7.** शिक्षक

एवं कर्मचारी वर्ग के विद्यालय स्तर पर लम्बित प्रकरणों की जानकारी लेने, निस्तारण करने तथा उच्च स्तर के प्रकरणों का निस्तारण कराने के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए। **8.** आवंटित बजट, छात्रनिधि एवं शाला विकास निधि का आवश्यकता एवं नियमानुसार उपयोग करने तथा माँग अनुसार अतिरिक्त बजट प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा अन्य स्रोतों से राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए। **9.** निर्धारित समय में वाँछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुचित व्यवस्थापन और जवाबदेही के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए।

उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि शाला परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए चिन्तन करके निश्चित अवधि में क्रियान्विति हेतु तत्परता लाने में विद्यालय की वार्षिक योजना की महती भूमिका है।

विद्यालय योजना निर्माण कैसे ? योजना-निर्माण में विद्यालयी संसाधनों की प्रचुरता या अभाव, आवश्यकता के अनुरूप उसे पूरा करने हेतु संस्था-प्रधान के लिए वित्तीय स्रोतों के सम्बन्ध में शिक्षक वर्ग विद्यार्थी-प्रतिनिधियों, मंत्रालयिक कर्मचारी एवं अभिभावकों की बैठकों में लोकतांत्रिक भावना के साथ प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा करके, विचार जानना, सुझाव आमंत्रण असहमति की स्थिति में कारणों का निवारण कर सर्वसम्मति अपनाना वाँछित है ताकि योजना की क्रियान्विति में सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव आ सके। शाला परिवार के साथ विस्तृत चर्चा के अभाव में योजना एकांगी रह जायेगी और उसकी क्रियान्विति में तत्परता नहीं आ पायेगी।

आगामी सत्र के लिए भावी योजना की तैयारी वर्तमान सत्र से ही प्रारम्भ करना वाँछित है क्योंकि वार्षिक परीक्षा आयोजन, परिणाम तैयार कर घोषित करने तक सत्र का अन्तिम कार्य दिवस आ जाता है। इस अवधि की व्यस्तता योजना के लिए चिन्तन के अनुकूल नहीं होती।

अतः संस्था प्रधान सत्र के प्रारम्भ में ही स्टाफ की प्रथम बैठक में आगामी सत्र में अपेक्षित परिवर्तन, परिष्कार, सुधार, संशोधन हेतु शाला परिवार के सदस्यों के मस्तिष्क में आने वाले विचारों, सुझावों को उनकी अपनी दैनन्दिनी में तिथि सहित अंकित करने के निर्देश दे सकते हैं। सत्र के मध्य में आने वाली कक्षागत, विषयगत, विद्यार्थी से सम्बद्ध समस्याओं का अंकन भी उपयोगी हो सकता है। मासिक बैठकों, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के दिवसों में कुछ समय निकाल कर विषयाध्यापक एवं पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र की उपयोजना बनाकर प्रस्तुत करें।

समायोजन कालांशों में संस्था-प्रधान स्वयं विभिन्न कक्षाओं में जाकर छात्राओं से चर्चा करके उनकी अपेक्षाओं, आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करें एवं अपनी निजी दैनन्दिनी में अंकित करें। सत्रान्त में सबकी दैनन्दिनियों से बिन्दुओं को समेकित कर, स्वकीय सूचनाओं से मिलान के आधार पर योजना निर्माण में अग्रसर हों ताकि विद्यालय योजना-निर्माण की औपचारिकता के स्थान पर आवश्यकतानुरूप व्यावहारिक विद्यालय योजना बनाई जा सके।

विद्यालय अध्यापकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, फर्नीचर, कमरों का संग्रह मात्र नहीं है। जैसे फर्नीचर, सामान, वाँछित सुख-सुविधाओं और व्यक्तियों से भरा हुआ मकान घर नहीं होता। जब तक मकान में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण, पारस्परिक सहयोग एवं मानसिक जुड़ाव नहीं होगा तब तक मकान घर नहीं हो सकता। वैसे ही विद्यालय संस्थाप्रधान, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी-कर्मचारी, अभिभावक एवं विद्यालय विकास समिति-सदस्यों के पारस्परिक सौहार्द्र एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक जुड़ाव में ही विद्यालय की सार्थकता है। विद्यालय की धुरी है संस्थाप्रधान जिसे राष्ट्रीय शिक्षानीति के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की आपूर्ति को ध्यान में रखकर शिविरा पंचांग की अनुपालना सुनिश्चित करनी है, समर्पण और निष्ठा के साथ विद्यालय योजना के साथ उसके क्रियान्वयन हेतु साधन जुटाने हैं, समन्वय करना है और उन्नयन की दिशा में अग्रसर होना है।

संस्था-प्रधान के मस्तिष्क में अपने स्टाफ की रुचियों एवं क्षमताओं का एक प्रारूप अवश्य होना चाहिए। स्टाफ की संख्या अधिक होने पर निजी डायरी में इस प्रारूप का अंकन उपयोगी होगा। इस प्रारूप के आधार पर स्टाफ के सदस्यों की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप शैक्षिक और सहशैक्षिक कार्य सौंपने एवं उनकी जवाबदेही निश्चित करने से योजना की क्रियान्विति में तत्परता आयेगी।

शैक्षिक क्षेत्र में परीक्षा परिणाम उन्नयन बिन्दु के अन्तर्गत वर्तमान सत्र में कितने विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ठ हुए उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में या ए बी सी डी ग्रेड प्राप्त कर कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और कितने अनुत्तीर्ण रहे। उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण आदि के आँकड़े स्पष्ट होने चाहिए। आगामी सत्र में कितने विद्यार्थियों को विशेष योग्यता के साथ विभिन्न श्रेणियों में उत्तीर्ण कराने का लक्ष्य रखा जायेगा। विषयोन्नयन के लिए कौनसे नवाचार अपनाये जायेंगे, उनका प्रबोधन कब, कैसे किया जायेगा। इसका स्पष्ट उल्लेख योजना में समाहित आ सकता है। यही उपलब्धि प्रतिशत वार्षिक कार्य समीक्षा प्रपत्रों में अंकित होना चाहिए। मात्र परीक्षा परिणाम अंकित करने से गत सत्र एवं वर्तमान सत्र के परीक्षा परिणाम की तुलनात्मक समीक्षा नहीं हो पायेगी। स्टाफ के लिए आयोज्य मासिक बैठकों में योजना के विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा भी वाँछित है ताकि योजना की त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक प्रगति उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करने में कठिनाई न हो।

विद्यालय योजना में लचीलापन होना चाहिए ताकि परिस्थिति, निर्देशानुसार उसमें परिवर्तन या संशोधन किया जा सके।

ज्ञानार्जन में पुस्तकालयों की उपयोगिता सर्वसिद्ध है। किन्तु शिविरा द्वारा निर्धारित साप्ताहिक कालांशों में कहीं भी पुस्तकालय कालांश का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्थाप्रधान स्वविवेक एवं शाला-परिवार की सहमति से विद्यार्थियों के लिए भाषा कालांशों में एक दिन पुस्तकालय के लिए निर्धारित कर पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालय की सार्थकता को बनाये रख सकता है। विभागीय समय से एक घण्टा पूर्व अथवा एक घण्टा पश्चात् पुस्तकालयी उपयोग के लिए व्यवस्था को विद्यालय योजना में दर्शा सकता है।

सहशैक्षिक गतिविधियों में खेलों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक शिक्षक के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ प्रत्येक विद्यार्थी की खेलों और स्पोर्ट्स में सहभागिता के आँकड़े विद्यालय योजना में प्रस्तुत करते हुए समय-समय पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन अपेक्षित है। खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के

अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., स्काउटिंग, गाइडिंग में, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का चार्ट अपने सामने रखकर ही पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के लिए योजना बनानी चाहिए ताकि कालांशों एवं अध्यापकों का पारस्परिक गतिरोध न हो।

जब तक स्टाफ के व्यक्तिगत प्रकरणों का सेवा पुस्तिका संधारण, अवकाश स्वीकृति, सेवापुस्तिका में प्रविष्टि, सेवाओं का सत्यापन, वेतनवृद्धि स्वीकृति, समय पर वेतन आहरण, वेतन स्थिरीकरण, स्थाईकरण, एरियर, यात्रा एवं चिकित्सा पुनर्भरण बिलों हेतु बजट राशि उपलब्ध कराना आदि। निस्तारण लम्बित रहता है, तो शिक्षण कार्य में शिथिलता का कारण बन सकता है। अतः मंत्रालयिक, कार्यालयी स्तर के कार्यों को भी विद्यालय योजना में स्थान देना चाहिए। स्टाफ के लम्बित प्रकरणों का आकलन एवं निर्धारित अवधि में निस्तारण, प्राप्त बजट के उपयोगार्थ गठित समितियों से समय पर प्रस्ताव प्राप्त कर, उनका औचित्य, आवश्यकता के अनुसार क्रियान्वयन भी योजना में समाहित करना वाँछित है।

विद्यालय योजना में अनुपयोगी सामान के निस्तारण एवं मरम्मत योग्य सामान की मरम्मत के लिए भी अवधि निर्धारण एवं प्रबोधन उपयोगी होगा। संस्थाप्रधान को चाहिए कि स्टाफ के सदस्यों को अपनी प्रतिभा, कौशल एवं क्षमता-प्रदर्शन के लिए स्वतंत्रता प्रदान करे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संस्थाप्रधान योजना, उपयोजना-निर्माण के बाद ध्यान देना ही बन्द कर दे या उनके द्वारा अपनाये गये तरीकों में अनावश्यक हस्तक्षेप करे। समय-समय पर प्रबोधन करते हुए अपना परामर्श दिया जा सकता है। सारांशतः विद्यालय में भौतिक, शैक्षिक, सहशैक्षिक उन्नयन के लिए सत्र पर्यन्त किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा को विद्यालय योजना कहा जा सकता है या निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक-मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित कर वर्तमान स्थिति में सुधार एवं उत्कृष्टता लाने हेतु उपलब्ध साधनों के सर्वोत्तम उपयोग की चिन्तन प्रक्रिया का लिखित रूप विद्यालय योजना है।

जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में प्रेषित विद्यालय योजना की समीक्षा और क्रियान्वयन का प्रबोधन प्रतिवेदन विद्यालयों में पहुँचने से योजना निर्माण कर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, अन्यथा उनमें उदासीनता आ जाती है। परिवीक्षण अधिकारियों द्वारा योजना का गम्भीर अवलोकन एवं उनकी टिप्पणियाँ भी योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी हो सकते हैं। किन्तु जब तक छात्र-अध्यापक अनुपात में सुधार नहीं होगा। रिक्त पदों की आपूर्ति नहीं होगी, प्रतिनियुक्तियों की परम्परा चलती रहेगी, तब तक विद्यालय योजना कागजी योजना बनकर रह जायेगी। उसकी क्रियान्विति पर प्रश्न चिह्न लगा रहेगा।

– नीलकंठ, पवनपुरी, बीकानेर

रचनात्मक अधिगम

❑ डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंघवी

रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, सीखना (अधिगम) ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है और सिखाने (अध्यापन) का उद्देश्य ज्ञान का सृजन करना है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री अथवा गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं, जिसे अनुभव की श्रेणी में रखा जा सकता है।

विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन में अध्यापकों की भूमिका भी बढ़ सकती है, यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में ज्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जाएँ, जिसमें बच्चे व्यस्त हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। इस दृष्टि से शिक्षक को रचनात्मक होना चाहिए और विद्यार्थियों को अन्तःक्रिया के अवसर प्रदान करने चाहिए।

विद्यालय शिक्षा में अध्यापकों को उन अनुभवों का आयोजक समझा जाता है, जो बच्चों के सीखने में सहायक होता है। इस दृष्टि से शिक्षक रचनात्मक अधिगम की पृष्ठभूमि में पारस्परिक अन्तःक्रिया के माध्यम से ज्ञान-सृजन की परिस्थितियाँ तैयार कर उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है।

प्रक्रिया– रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति निर्माण हेतु निम्न प्रक्रिया हो सकती है–

परिस्थिति निर्माण– अध्यापन से पूर्व विद्यार्थियों के समक्ष प्रकरण की पृष्ठभूमि में रेखाचित्र, चित्र, दृश्य संकेत, कहानी, घटना वर्णन आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति निर्मित की जा सकती है।

अवलोकन– विद्यार्थी को प्रकरण से सम्बन्धित दृश्यावली अथवा चित्रावली को अवलोकन का पर्याप्त अवसर प्रदान कर टिप्पणी लेखन अथवा प्रस्तुति हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

सन्दर्भीकरण– विद्यार्थी प्रकरण आधारित विषयवस्तु का अवलोकन कर लेते हैं, तब वे स्वयं के विश्लेषण को पाठ से सम्बद्ध कर सकते हैं, यह सन्दर्भीकरण की श्रेणी में आता है।

संज्ञानात्मक शिक्षार्थन– अवलोकन व सन्दर्भीकरण में विद्यार्थी की सक्रियता पश्चात् शिक्षक अधिगम बिन्दु की व्याख्या एवं विश्लेषण कर समेकित रूप से संज्ञानात्मक शिक्षार्थन कर सकता है।

सहयोग– इस प्रक्रिया अन्तर्गत विद्यार्थी समूह बनाकर अधिगम बिन्दु की व्याख्या करते हैं व अभ्यास द्वारा निपुणता प्राप्त करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के इस कार्य में सहयोग देकर मार्गदर्शन करता है।

निर्वचन सृजन– अधिगम बिन्दु के बारे में विद्यार्थी विश्लेषण, अभ्यास उपरान्त अपनी परिकल्पना को प्रमाणित करने हेतु स्वयं का निर्वचन उत्पन्न करता है अथवा प्रमाण तर्क सहित प्रस्तुत करता है।

बहुविध व्याख्या– निर्वचन सृजन पश्चात् विद्यार्थी अपने विश्लेषण एवं पाठ की मदद से समूह/कक्षा के अन्दर और बाहर अपने तर्क की रक्षा करते हैं। इस प्रकार अलग-अलग प्रतिक्रियाओं के मध्य वे अपनी व्याख्या तक पहुँचने का उत्तर पाते हैं।

बहुविधि अभिव्यक्तियाँ– उपर्युक्त वर्णित प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात् विद्यार्थी प्रस्तुत अधिगम बिन्दु अथवा प्रकरण के आगे-पीछे जाकर हर सन्दर्भ को विविध घटनाओं से जोड़ने के प्रयास करते हैं और देखते हैं कि एक ही प्रकार का विषय विविध ढंग से दिखाया जा सकता है अथवा अभिव्यक्त किया जा सकता है।

शिक्षक की भूमिका– रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति के सन्दर्भ में शिक्षक एक उत्प्रेरक है, जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञान सृजन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन करता है।

उदाहरण

प्रक्रिया	विज्ञान	भाषा
1. परिस्थिति निर्माण	विद्यार्थी 'सजीव जगत' पर एक प्रकरण पढ़कर अपने पास-पड़ौस के पेड़-पौधों एवं जीव-जन्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं। यथा- आम, बरगद, बबूल, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि।	विद्यार्थी 'ईदगाह' कहानी पढ़कर उसकी पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ रेखाचित्र एवं कहानी के संक्षिप्त वर्णन के साथ देख सकते हैं।
2. अवलोकन	विद्यार्थी अपने परिवेश के सजीव जगत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर उनका परिचयात्मक विवरण तैयार कर सकते हैं।	'ईदगाह' कहानी में वर्णित मेले का दृश्य आसपास लगने वाले मेले में घटित होते विद्यार्थी देख सकते हैं।
3. सन्दर्भीकरण	विद्यार्थी अपने द्वारा तैयार किए गए विवरण के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण कर पाठ से सन्दर्भ मिला सकते हैं।	विद्यार्थी 'ईदगाह' कहानी में आए पात्र 'हामिद' के क्रियाकलापों का विश्लेषण कर स्वयं से तुलना कर सकते हैं।
4. संज्ञानात्मक शिक्षार्थन	शिक्षक यहाँ स्पष्ट कर सकता है कि एक सजीव के क्या-क्या क्रियाकलाप हो सकते हैं? किसी एक सजीव का उदाहरण लेकर भी स्पष्ट किया जा सकता है।	शिक्षक 'ईदगाह' कहानी के किसी एक घटनाक्रम को आधार बनाकर विद्यार्थियों से कहानी की आधार सामग्री को स्पष्ट कर सकता है।
5. सहयोग	विद्यार्थी समूह बनाकर सजीवों के वर्गीकरण, क्रियाकलाप आधारित सामग्री तैयार करते हैं, शिक्षक उनका मार्गदर्शन कर सकता है।	विद्यार्थी समूह बनाकर कहानी की व्याख्या करते हैं, शिक्षक उन्हें समेकित कर वाचन का तरीका बता सकता है।
6. निर्वचन सृजन	विद्यार्थी विश्लेषण उपरान्त सजीवों की गति, संवेदनशीलता, संतानोत्पत्ति, श्वसन, उत्सर्जन, भोजन आदि के बारे में अपनी प्राक्कल्पना को प्रमाणित करने के लिए तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।	विद्यार्थी कहानी का सम्यक् विश्लेषण कर स्वयं का निर्वचन उत्पन्न कर सकता है कि प्रत्येक घटनाक्रम के बारे में उसकी राय क्या है ?
7. बहुविध व्याख्या	विद्यार्थी अपने विश्लेषण एवं प्रकरण की मदद से सजीवों के बारे में किए जाने वाले तर्क से अपने तर्क की रक्षा करते हैं और वे कई तरह से अपनी व्याख्या तक पहुँचने के उत्तर पा सकते हैं।	विद्यार्थी अपनी कक्षा अथवा समूह के अन्दर और बाहर तुलना कर यह समझ विकसित कर सकते हैं कि 'ईदगाह' कहानी पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं।
8. बहुविध अभिव्यक्तियाँ	इस प्रक्रिया में हर सन्दर्भ को सजीवों के क्रियाकलापों एवं घटनाओं से जोड़ने का प्रयास कर विद्यार्थी यह देखते हैं कि इसमें निहित जो सामान्य सिद्धान्त हैं, वह व्यक्त हो रहा है।	पाठ से जुड़े हुए रेखाचित्र, मेले का दृश्य और अन्य प्रभावों के आधार पर विद्यार्थी यह देखते हैं कि एक ही प्रकार के विषय और चरित्रों को विविध ढंग से दिखाया जा सकता है।

अधिगम गतिविधि एवं रचनावाद– अध्ययन-अध्यापन संस्थितियों में रचनात्मक अधिगम हेतु एक शिक्षक अपने उद्देश्य को तब ही प्राप्त कर पायेगा, जब उसे इनके मध्य सह-सम्बन्ध का ज्ञान हो। अधिगम गतिविधि एवं रचनावाद का सह-सम्बन्ध इस प्रकार है–

अधिगम गतिविधि एवं रचनावाद : सहसम्बन्ध

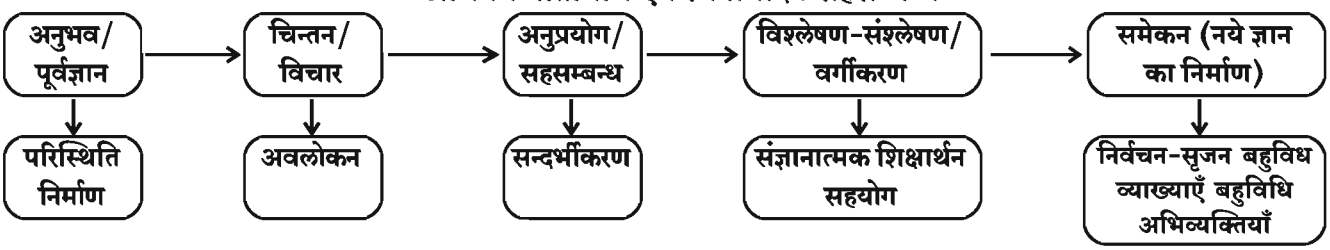

निष्कर्षतः एनसीएफ 2005 में उल्लिखित रचनात्मक अधिगम की अवधारणा और ज्ञान-सृजन में विद्यार्थियों की भूमिका को सृजन की परिस्थितियों हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है, बशर्ते कि शिक्षक उत्प्रेरक के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करे।

– वरिष्ठ व्याख्याता, डाईट, चित्तौड़गढ़

गणित का प्रभावी शिक्षण

❑ जगदीशप्रसाद पालीवाल

बालक के जीवन में शिक्षा का प्रारम्भ भाषा व गणित से ही होता है। परिवार में माता-पिता, भाई-बहन व अन्य सदस्यगण इन दोनों विषयों का ज्ञान विभिन्न रूपों में देते रहते हैं। इसके बाद बालक शाला में क्रमशः कक्षा 1 से 8 तक भाषा व गणित के साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान ग्रहण करता है। समय के परिवर्तन के साथ तथा देश व समाज की आवश्यकताओं एवं विज्ञान तथा तकनीकी विकास के अनुसार, विषयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में देश के अन्य राज्यों की भाँति, राजस्थान में भी सभी प्रकार की शालाओं में, प्रत्येक कक्षाओं के सभी विषयों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें लागू करने के प्रयास चल रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) के स्तर पर तो यह प्रयास किया जा रहा है कि गणित व विज्ञान के पाठ्यक्रम तो राष्ट्रीय स्तर पर, सभी राज्यों में प्रत्येक कक्षा स्तर पर, एक समान किया जावे। ऐसी स्थिति में कक्षा 8 से 12 तक तो गणित में पाठ्यक्रम व पाठ्य-पुस्तकों के संदर्भ में परिवर्तन होंगे, जिसका सीधा प्रभाव बालकों व शिक्षकों पर ही पड़ेगा तथा दोनों के ऊपर, गणित-शिक्षण की दृष्टि से, शिक्षा विभाग, राज्य व अभिभावक तथा अन्य अभिकरणों, सभी को मिलकर सक्रिय एवं आवश्यक प्रयास करने होंगे, तभी हमारे बालक गणित का प्रभावी शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

शिक्षा के क्रम में, माध्यमिक शिक्षा के स्तर का अध्ययन बालक के जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राथमिक व उच्च शिक्षा, दोनों के बीच की जोड़ने वाली स्थिति की कड़ी है, जिसका मजबूत होना, बालक के भावी जीवन को सफल होने में तथा प्रगति के लिए, सही दिशा में निर्णय लेने का मुख्य आधार होता है। अभिभावक भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा की उपलब्धियों के आधार पर, बालक के भविष्य का निर्णय करते हैं। उम्र व बुद्धि के अनुसार भी बालक परिपक्वता की स्थिति में पहुँचने लगता है। बालक की रुचि, अभिवृत्ति व्यवहार, आदत व शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर ही मुख्यतया उसके अभिभावक, शिक्षक व बालक स्वयं अधिकतर निम्न में किसी एक स्थिति का चयन, बालक के भावी जीवन के लिए करते हैं– **(अ)** बालक को उच्च शिक्षा के लिए, संकाय व विषयों आदि का चयन कर, अध्ययन हेतु व्यवस्था आदि। **(ब)** किसी विशेष तकनीकी कौशल का अल्प-अवधि का प्रशिक्षण दिलवाकर, जीविकोपार्जन योग्य बनाना। **(स)** किसी व्यवसाय, व्यापार, गृह या पैतृक व्यवसाय, कृषि, पशुपालन आदि के लिए तैयार करना आदि-आदि।

इसके अलावा पारिवारिक परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थितियाँ (विकलांग, मंदबुद्धि, रोगग्रस्त आदि होना) भी, भावी जीवन के निर्णय में अपनी भूमिका का प्रभाव डालती हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों के लिए तो समाज, सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं, अनेक अभिकरणों, छात्रवृत्तियों आदि द्वारा सहयोग प्रदान कर, समस्या का हल बालक के लिए किये जाने के प्रावधान हैं, बशर्ते बालक तत् सम्बन्धी पात्रता रखता हो।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति-परिवर्तन के साथ युग-परिवर्तन होता रहता है। युग-परिवर्तन के कारण ही, राष्ट्र की व्यवस्थाएँ, सामाजिक परिवर्तन मानव की आवश्यकताएँ, विचार-व्यवहार, पारिवारिक स्थितियाँ आदि भी परिवर्तित होती रहती हैं। हर युग की अपनी अलग-विशेष आवश्यकताएँ होती हैं, जिनके अनुसार ही मानव जीवन की व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। राष्ट्र संचालन के लिए भी उसके अपने उद्देश्यों का निर्माण युग-परिवर्तन के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं, जैसे भारत की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है। हमारे देश में प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानता आदि जैसी व्यवस्थाएँ संविधान में हैं। हमारे देश की उच्च स्तरीय गौरवमयी सभ्यता व संस्कृति रही है। राष्ट्रीय व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में भी आज लोकतांत्रिक व संविधान के अनुसार उद्देश्यों का समावेश आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रीयता, नैतिकता, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य अधिकार, स्वतन्त्रता तथा समानता आदि वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास जैसे गुणों व योग्यताओं का विकास बालकों में करके, देश के लिए अच्छे स्तर के भावी नागरिकों का निर्माण करने वाली, दार्शनिक-आधार की शिक्षा ही देश का मूल आधार हैं। यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि सामाजिक-परिवर्तन व बालक के समाजीकरण व व्यवहार में परिवर्तन का सबसे महत्त्वपूर्ण, सशक्त व प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। वर्तमान युग विज्ञान व तकनीकी विकास का युग है, जिसका प्रमुख आधार विज्ञान व गणित ही है, अतः राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया गया है कि शिक्षा में माध्यमिक स्तर तक विज्ञान एवं गणित बालकों को अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाएँ। आज कोई भी प्रवेश परीक्षा, नौकरी हेतु प्रतियोगिताओं की परीक्षा, प्रायः गणित के ज्ञान बिना उत्तीर्ण करना संभव नहीं है, तथा चयन हेतु योग्यता सूची में उच्च स्थान पाना भी संभव नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र के वैज्ञानिक साधन, उपकरण, घरेलू व व्यावसायिक तथा औद्योगिक कार्यों में, विज्ञान व गणित के ज्ञान की जानकारी आवश्यक है। जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में मानव का स्थान वैज्ञानिक उपकरण व साधन जैसे कम्प्यूटर आदि ले रहे हैं तथा मानव जीवन उन पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें कक्षा 9 व 10 के स्तर पर बालकों को गणित का प्रभावी अध्ययन-अध्यापन कराकर, देश के विकास के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना है।

कक्षा 9 व 10 के स्तर पर प्रभावी गणित शिक्षण के लिए वर्तमान में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन किया गया है। अतः सेवारत शिक्षकों को शिविर में नये पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, शिक्षण विधियाँ आदि की जानकारी देकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे छात्रों को प्रभावी अध्ययन करा सकें, क्योंकि यह भी सत्य है कि शिक्षा का स्तर, शिक्षक के स्तर से ही मापा जाता है। किसी भी नये शैक्षिक परिवर्तन को प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, व्यावहारिक रूप में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानसिक रूप से तैयार करना, नई विषयवस्तु की जानकारी देना आवश्यक है। इसके लिए नये कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण, शिविर, साधन, निरीक्षण, कार्यान्वयन कार्यक्रम (Programme of Action), मॉनिटरिंग, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, बजट-प्रावधान,

प्रोत्साहन, सुविधाएँ, निर्देशन, परिवर्तित-शैक्षिक सामग्री आदि की व्यवस्थाएँ प्रशासनिक स्तर की जानी आवश्यक हैं, तभी हम उसे सही ढंग से व्यवहार में लागू कर सकते हैं। पूर्व में, शिक्षा जगत में राष्ट्रीय शिक्षानीति 1968, अनेकों आयोग, समितियाँ आदि राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर बनाये गये, प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये गये, लेकिन इन सभी व अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का पूर्णतया सफल व लागू नहीं होने के ऐसे ही कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यक्रम राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर काफी मात्रा में सफल रहा, क्योंकि उसके लागू करने में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर अच्छे सुनियोजित प्रयास व उपरोक्त वर्णित सभी व्यवस्थाएँ की गईं। राष्ट्रीय शिक्षानीति, 1986 में भी गणित विषय के शिक्षण के महत्त्व सम्बन्धी निम्न विचार व्यक्त किये गये हैं–

"**Mathematics Education–** Mathematics should be visualised as the vehicle to train a child to think, reason, analyse and articulate logically. Apart from being a specific subject, it should be treated as a concomitant to only subject involving analysis and reasoning.

With the introduction of computers in schools, educational computing, and emergence of learning through the understanding of cause-effect relationship and the interplay of variables, the teaching of mathematics will be suitably re-designed to bring it in line with modern technological devices."

शिक्षकों के लिए– 1. "To promote equality, it will be necessary to provide for equal opportunity to all not only in access, but also in the condition for success." **2.** "Minimum level of learning will be laid down for each stage of education." (Inservice Teacher Education Package, Module-27S, Page 201")

अतः कक्षा 9 व 10 के स्तर पर प्रभावी गणित शिक्षण के लिए राज्य-सरकार, शाला व शिक्षक तथा अन्य सम्बन्धित शैक्षिक अभिकरणों को प्रमुख रूप से मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, जो निम्नानुसार हैं– **(1)** गणित विषय के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु निर्धारित करते समय, ऐसी विषयवस्तु शामिल करें, जो राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों, समाज की वर्तमान वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकताओं, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमताओं को विकसित करने, जीविकोपार्जन में सहायक तथा विभिन्न नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को योग्य बना सके तथा उन्हें उच्च शिक्षा हेतु तैयार करें। **(2)** माध्यमिक स्तर के बालकों की आयु, रुचि, मानसिक स्तर तथा उपरोक्त लिखित बातों की पूर्ति के आधार पर गणित-शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी, शिक्षक कर सके। **(3)** पाठ्यक्रम बोझिल व कठिन न हो। गणित शिक्षकों को प्रायः यह शिकायत रहती है कि पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है। अतः वर्ष भर के कार्य-दिवसों को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का साइज निर्धारित किया जावे। **(4)** राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य, जैसे– व्यक्तित्व का निर्माण, बालक का सर्वांगीण विकास, लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय मूल्यों का विकास, राष्ट्रीयता की भावना, कर्तव्य-अधिकार, सहयोग, सहनशीलता, समायोजन, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना, चेतनता, नियमितता, ईमानदारी आदि जैसे गुणों का विकास गणित शिक्षण के माध्यम से, कक्षा शिक्षण में, शाला की अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से, खेलकूद, गणित परिषद आदि गतिविधियों के माध्यम से, बालकों में विकसित करें। **(5)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं– • छात्रों में चिन्तन, तर्क, विश्लेषण, तर्क संगत अपनी बात को कहने की क्षमताओं का विकास करना। • छात्रों में चित्र बनाने, नापने, अनुमान लगाने, सारणियाँ बनाने व पढ़कर उपयोग करने, सही प्रदर्शन करने, गणना करने जैसी योग्यताएँ विकसित करना। • छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। • छात्रों को गणित का उपयोग अन्य विषयों के लिए, जैसे भौतिक व रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, भूगोल आदि में करने की क्षमता विकसित करना। • गणित के ज्ञान का उपयोग आधुनिक तकनीकी के साधनों व उपकरणों को सही ढंग से उपयोग लेने योग्य बनाना। जैसे– कम्प्यूटर, केलकुलेटर आदि। • गणित के तथ्यों, सूत्रों, सिद्धान्तों, विधियों, संकेतों, गणना की मूलभूत प्रक्रियाओं का ज्ञान व अवबोध, कुशलता व उपयोगिता की योग्यता विकसित करना ताकि छात्र दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने में व उच्च शिक्षा के अध्ययन में इनका उपयोग कर सके। • छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। • भारत व विश्व के सभी गणितज्ञों के प्रति सम्मान व उनकी देन की प्रशंसा कर स्वयं भी प्रेरणा प्राप्त करना आदि। **(6)** वर्तमान स्थिति में शाला स्तर पर गणित के शिक्षण में परीक्षा को ध्यान में रखकर, शिक्षक तत्परता से पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रयत्न करता है। कक्षा शिक्षण व वार्षिक परीक्षाओं में, गणित शिक्षण के केवल ज्ञान, अवबोधन, उपयोजन तथा कुछ अंश में कौशल की ही पूर्ति शिक्षण में व परीक्षा में होती है, शेष उद्देश्यों जैसे रुचि उत्पन्न करना, अभिवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तित्व का निर्माण सम्बन्धी कार्यों को शिक्षक न तो शालाओं में करते हैं, न ही इसकी परीक्षा ले पाते हैं, क्योंकि इन गुणों को विकसित करने के लिए कक्षा-शिक्षण के अलावा अन्य गतिविधियाँ व साधन काम में लेने होते हैं जैसे, चार्ट-मॉडल बनवाना, मेलों का आयोजन, साहित्यिक व सांस्कृतिक, खेलकूद, प्रदर्शन, गणित परिषद्, गणित प्रयोगशाला, विज्ञान मेलों, प्रतियोगिताओं में भाग लेना तथा मनोवैज्ञानिक उपकरणों, निरीक्षण, साक्षात्कार, लेख-प्रतियोगिता, क्विज आदि कार्यों को सम्पन्न करवाना पड़ता है, जिनका शालाओं में अभाव है, अतः शिक्षक गणित के सम्पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है। इन कमियों को दूर करके शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। **(7)** कमजोर, मंदबुद्धि, पिछड़े बालकों, आर्थिक रूप से कमजोर बालकों पर विशेष ध्यान देकर, उन्हें सहायता करें। **(8)** कक्षा के शिक्षण में पाठ समाप्ति के पश्चात् छात्रों की कमजोरी का पता लगाकर निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण भी करें। **(9)** प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए, संदर्भ पुस्तकें, महान गणितज्ञों की जीवनियाँ, निर्देशन, कमजोर बालकों की सहायता करने, विज्ञान मेलों,

प्रदर्शनी, प्रतियोगिताओं आदि में भाग लेने, जैसे कार्यों में सहायता व प्रेरणा प्रदान करें। **(10)** सभी छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के अलावा गणित सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाने हेतु संदर्भ पुस्तकें, पत्रिकाएँ आदि पढ़ने हेतु प्रेरित करें। **(11)** राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में गणित कक्ष, प्रयोगशाला, गणित क्लब, गणित-परिषद का निर्माण हो तथा कक्षा 9 व 10 सम्बन्धी पाठ्यक्रम की सभी विषयवस्तुओं से सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री व उपकरण, चार्ट, मॉडल, संदर्भ पुस्तकें, पत्रिकाएँ, छात्रों द्वारा रचित आशुरचित उपकरण, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा रेलवे, रोडवेज, बैंक, पोस्ट-ऑफिस, जीवन बीमा निगम, आयकर, शेयर सम्बन्धी सारणियाँ, बचत की योजनाएँ सम्बन्धी सामग्री, दैनिक मजदूरी व बैंक ब्याज गणना की टेबल्स, कम्प्यूटर केलकुलेटर आदि का ज्ञान सम्बन्धी सामग्री शालाओं में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि शिक्षक समय-समय पर इनका शिक्षण व अतिरिक्त समय में उपयोग करके बालकों को ज्ञान दे सके। **(12)** वार्षिक योजना में साहित्यिक, सांस्कृतिक, विज्ञान-मेले, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, लेखन प्रतियोगिताएँ, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के गणित प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लेना, आदि के कार्यक्रम शाला योजना में गणित शिक्षक तैयार करके, छात्रों को तैयार करें। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यों से गणित के शेष उद्देश्यों जैसे– रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व-निर्माण तथा राष्ट्रीय व शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति, इन्हीं कार्यक्रमों से होनी सम्भव हैं। **(13)** शिक्षण को प्रभावी बनाने में शैक्षिक तकनीकी का भी उपयोग करें। जैसे– फिल्म, फिल्म-स्ट्रिप, रेडियो, टेप-रिकार्डर, लेप-टॉप, टेलीविजन, चित्र-विस्तारक यंत्र (Epidiascope), ओवर-हेड प्रोजेक्टर (O.H.P.), मॉडल, ज्यामिति बॉक्स, घन, गोला, त्रिकोणमिति सम्बन्धी उपकरण (Sextant etc.) आदि। इसमें छात्र रुचि लेंगे तथा गणित के तथ्यों को समझाने में शिक्षक को सहायता मिलेगी। **(14)** बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, ठोस-ज्यामिति आदि सिद्धान्तों, सूत्रों, प्रमेयों (Theorems) को सरलता से समझाने व उपयोगिता बताने में निम्न मॉडल का उपयोग कक्षा शिक्षण में करें– (i) $(a+b)^2$ का मॉडल (ii) $(a+b)^3$ का मॉडल (iii) पाइथागोरस प्रमेय का मॉडल (iv) ऊँचाई व दूरी की समस्या सम्बन्धी मॉडल (v) वृत्त, गोला, शंकु, घन, घनाभ, बेलन आदि के मॉडल। (vi) वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल आदि सूत्रों को समझाने के चित्र या मॉडल का प्रयोग करें। (vii) त्रिभुज के विभिन्न गुणों, प्रकारों, प्रमेयों आदि समझाने के चित्र या मॉडल। (viii) ग्राफ शिक्षण में जनसंख्या, पैदावार, परीक्षा परिणाम, साक्षरता छात्र प्रवेश संख्या आदि के ग्राफ का प्रदर्शन, चार्ट, चित्रों आदि का उपयोग करें। **(15)** कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षक, दैनिक जीवन की समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों को हल करने का उपयोग करें, ताकि छात्रों में रुचि उत्पन्न हो तथा गणित की व्यावहारिक उपयोगिता समझे तथा शिक्षक को शिक्षण में सरलता रहेगी, जैसे– **(अ) प्रश्न–** एक गांव में पाँच कुएँ हैं, जिनकी गहराई क्रमशः 16, 18, 20, 24 व 25 मीटर है। बताओ, वह छोटी से छोटी रस्सी कितनी लम्बाई की होगी, जो पाँचों कुओं में काम आ सके? (समस्या का हल L.C.M. के उपयोग से निकलेगा) **(ब) प्रश्न–** दो गांव रामपुर व गंगापुर के कुछ टेड़ी-दूरियों से पास से रेल लाइन गुजरती है। रेलवे विभाग किस स्थान पर स्टेशन बनाये, ताकि स्टेशन दोनों गांवों से बराबर दूरी पर हो? (ज्यामिति के प्रमेय-सिद्धान्त की सहायता से हल होगी) **(16)** शिक्षक नये सूत्रों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं को सीधे ही कक्षा में छात्रों को बताकर, प्रश्न हल नहीं करें, बल्कि इनकी स्थापना, पूर्व ज्ञान आधारित, दैनिक जीवन के उदाहरण तथा आगमन-निगमन-विधि, विश्लेषण-संश्लेषण विधि आदि का उपयोग कर, भलीभाँति समझावे, फिर प्रश्न स्वयं हल करें, तत्पश्चात् गृह कार्य देकर, उसकी जाँच करें। कमियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण करें तो शिक्षण प्रभावी होगा। कभी-कभी प्रोजेक्ट विधि से भी शिक्षण करें। पोस्टऑफिस, बैंक आदि की प्रणालियों व बचत योजनाओं, रेलवे व रोडवेज के स्टेशनों पर समय सारणी, दूरी-किराया सारणी, कम्प्यूटर व केलकुलेटर आदि के उपयोग को दिखाने हेतु भ्रमण कार्यक्रम भी बनावें, तो ज्ञान, कुशलता व उपयोगिता, रुचि की छात्रों में वृद्धि होगी। **(17)** वर्तमान मात्र वार्षिक परीक्षा की निर्भरता के स्थान पर C.B.S.E. की भाँति सतत व समग्र मूल्यांकन प्रणाली मूल्यांकन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, उससे छात्रों व अध्यापकों दोनों को ही लाभ रहेगा, परीक्षा का भय समाप्त होगा, आर्थिक व्यय भी कम होगा, वर्ष में एक बार का बोझ दिमाग से दूर होगा, अतः शिक्षण का कार्य प्रभावी बनेगा। सार यह है कि गणित शिक्षक, प्रभावी शिक्षण हेतु ''विषयवस्तु क्या है?'' के स्थान पर ''विषयवस्तु में क्या है?'' के दर्शन व शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग करें। केवल पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु का कक्षा-शिक्षण ही करने से गणित की उपयोगिता और उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं हैं।

–प्रधानाचार्य (से.नि.)
पुलिस लाइन के सामने, बीकानेर-334001

गणित क्यों नहीं आई मुझे !

मुझे अंकगणित विषय अच्छा नहीं लगता। मेहनत करके जितना कुछ सीखा था, वापिस भूल गया हूँ। जहाँ बहुत जरूरत हो, वहाँ भी गणित को सीखने में अनादर का भाव। गणित की महत्ता बताने मुझको बिठा दो तो बहुत कम आँकूँ। प्राथमिक शाला के पाठ्यक्रम में मैं इसे बहुत हल्का स्थान देता हूँ।

एक बार दूसरी कक्षा में गणित की पढ़ाई चल रही थी। अध्यापकजी श्यामपट्ट पर सवाल सिखा रहे थे। लड़के उनके सामने मुँह फाड़े देख रहे थे। एक छात्र को झपकी आ गई, और अध्यापकजी ने चॉक का प्रहार किया। वह लड़का मैं हूँ। उस दिन क्या मुझे अच्छा लगा होगा ?

गणित के प्रति अरुचि का, भले ही दूर का, पर पहला कारण कहीं वह सजा तो नहीं है? आगे चलकर इस विषय में रुचि बढ़ाने के मार्ग में कहीं वही मूल मनोभाव विरोध का काम तो नहीं कर रहा है? स्वयं गणित विषय पढ़ाने के विरुद्ध मेरी शिक्षा विषयक विचारणा कहीं मेरे निजी कटु अनुभव की परिणति तो नहीं है? मुझे तो यही प्रतीत होता है। कारण, गणित के प्रति किसी और वजह से मुझे दुश्मनी नहीं। बीजगणित और रेखागणित मुझे बहुत प्रिय हैं। शिक्षक ने ही मुझे अंकगणित का द्वेष्टा बनाया है। हमारी वर्तमान रुचि-अरुचि, पक्ष-विपक्ष, पसंद-नापसंद के पीछे छुटपन के कैसे-कैसे खट्टे-मीठे अनुभव विद्यमान रहते हैं, यह हमें खोजने की जरूरत है। आज हम जो कुछ हैं, उसकी जड़ें हमारे बाल्यकाल में हैं। बाल्यकाल में हम बँध जाते हैं।

इससे पहले कि बालकों को कड़वे-मीठे अनुभव कराए जाएं यह सोचने की जरूरत है कि उनका कैसा दृढ़ प्रभाव जीवन-पर्यन्त विद्यमान रहता है और क्षति पहुँचाता है।

('शिक्षक हो तो' से –गिजुभाई)

बापू की सीख-2

नीति-धर्म

❑ मो. क. गाँधी

महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में उनके विचार बहुत उपयोगी हैं। वस्तुतः वे एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा सम्बन्धी 21 रचनाएं 'बापू की सीख' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। शिविरा के सुधि पाठकों के लिए उन्हें शृंखलाबद्ध प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा है पाठक इन विचारों को पठन, मनन के साथ आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। —वरिष्ठ सम्पादक

जिस वस्तु से हमारे मन में अच्छे विचार उठते हों वह हमारी नीति, सदाचार का फल मानी जाती है। दुनिया के साधारण शास्त्र बताते हैं कि दुनिया कैसी है। नीति का मार्ग यह बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस मार्ग के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि मनुष्य को किस तरह आचरण करना चाहिए। मनुष्य के मन के भीतर सदा दो दरवाजे होते हैं : एक से वह यह देख सकता है कि वह खुद कैसा है, दूसरे से उसे कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना कर सकता है। देह, दिमाग और मन तीनों को अलग-अलग देखना समझना हमारा काम है। पर इतना ही करके रुक जाय तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अन्याय, दुष्टता, अभिमान आदि का क्या फल होता है और जहाँ ये तीनों इकट्ठे हों वहाँ कैसी खराबी होती है, यह जान लेना भी जरूरी है, और जान लेना ही काफी नहीं है; बल्कि जानकर आचरण करना है। नीति का विचार तो शिल्पकार के नक्शे के जैसा है, जो यह बताता है कि घर कैसा होना चाहिए। हम घर बना चुके हों तो नक्शा हमारे लिए बेकार हो जाता है। वैसे ही आचरण करना हो तो नीति का विचार नक्शे की तरह बेकार हो जाता है। बहुतेरे नीति के वचन याद करते हैं, उस विषय पर भाषण करते हैं। पर उसके अनुसार चलते नहीं, और चलना चाहते भी नहीं। कितने ही तो यही मानते हैं कि नीति के विचारों को इस लोक में नहीं, परलोक में अमल में लाना चाहिए। यह कुछ सराहने लायक विचार नहीं माना जा सकता। एक विचारवान मनुष्य ने कहा है कि हमें सम्पूर्ण होना हो तो हमें आज से ही नीति के अनुसार चलना है, चाहे इसमें कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़ें। ऐसे विचार सुनकर हमें चौंक न उठना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर तदनुसार व्यवहार करने में प्रसन्न होना चाहिए। महान् योद्धा पेम्ब्रोक जब ओबेरोक के युद्ध की समाप्ति पर अर्ल डरबी से मिला तो उन्होंने उसे खबर दी कि लड़ाई जीत ली गई। इस सूचना पर पेम्ब्रोक बोल उठा, "आपने मेरे साथ भलमनसी नहीं बरती। मुझे जो मान मिलता वह आपने मेरे हाथ से छीन लिया। मुझे लड़ाई न लड़नी थी।" इस प्रकार नीति-मार्ग में जब किसी को जिम्मेदारी लेने का हौसला हो तभी वह उस रास्ते पर चल सकेगा।

खुदा या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सम्पूर्ण है, उसके बड़प्पन, उसकी दया, उसके न्याय की सीमा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो उसके बंदे समझे जाते हैं, नीति-मार्ग को कैसे छोड़ सकते हैं? नीति का आचरण करने वाला विफल हो तो इसमें कुछ नीति का दोष नहीं है, बल्कि जो लोग नीति-भंग करते हैं, वे ही अपने-आपको दोषभाजन बनाते हैं।

नीति-मार्ग में नीति का पालन करके उसका प्रतिफल प्राप्त करने की बात ही नहीं। मनुष्य कोई भला काम करता है तो शाबासी पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भलाई किये बिना उससे रहा नहीं जाता। खुराक और भलाई दोनों की तुलना करने पर भलाई ऊँचे प्रकार का आहार सिद्ध होगी और कोई दूसरा आदमी भलाई करने का अवसर दे तो भलाई करने वाला अवसर देने वाले का एहसानमंद होता है, वैसे ही जैसे भूखा अन्न देने वालों को दुआएं देता है।

यह नीति-मार्ग ऐसा नहीं है कि उसकी बात करते हुए बिल्कुल ऊपर-ऊपर से मनुष्यता आ जाय। उसका अर्थ यह नहीं है कि हम थोड़े अधिक मेहनती हो जाएं, थोड़ा अधिक पढ़-लिख लें, थोड़ा अधिक साफ-सुथरे रहें, इत्यादि। यह सब उसके अंदर आता है, पर इतने के मानो तो यह हुए कि हम केवल सरहद पर पहुँच पाए। इस मार्ग के अंदर इनके सिवा और बहुत-कुछ मनुष्य को करना होता है और वह सब यह समझकर करना होता है कि वह हमारा कर्तव्य है, हमारा स्वभाव है– यह सोचकर नहीं कि वैसा करने से हमें कोई लाभ होगा।

***

नीति-विषयक प्रचलित विचार वजनदार नहीं कहे जा सकते। कुछ लोग तो मानते हैं कि हमें नीति की बहुत परवाह नहीं करनी है। कुछ मानते हैं कि धर्म और नीति में कोई लगाव नहीं है। पर दुनिया के धर्मों को बारीकी से देखा जाय तो पता चलेगा कि नीति के बिना धर्म टिक नहीं सकता। सच्ची नीति में धर्म का समावेश अधिकांश में हो जाता है। जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं; बल्कि नीति के खातिर नीति के नियमों का पालन करता है, उसको धार्मिक कह सकते हैं। रूस में ऐसे आदमी हैं जो देश के भले के लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। ऐसे लोगों को नीतिमान समझना चाहिए। जेरेमी बेंथम को, जिसने इंगलैण्ड के लिए बहुत अच्छे कानूनों के नियम ढूंढ़ निकाले, जिसने अंग्रेज जनता में शिक्षा के प्रसार के लिए भारी प्रयास किया और जिसने कैदियों की दशा सुधारने के यत्न में जबर्दस्त हिस्सा लिया, नीतिमान मान सकते हैं।

फिर सच्ची नीति का यह नियम है कि हम जिस रास्ते को जानते हों उसको पकड़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जिसके बारे में हम जानते हों कि वह सही रास्ता है–फिर उस रास्ते से हम परिचित हों या न हों–उस पर हमें चलना ही चाहिए। यानी जब हम जानते हों कि अमुक रास्ता सही है, सच्चा है, तब निर्भय होकर उस पर कदम बढ़ा ही देना चाहिए। इसी नीति का पालन किया जाय तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

इसलिए नीति और सच्ची सभ्यता तथा सच्ची उन्नति सदा एक साथ देखने में आती है।

अपनी इच्छाओं की जाँच करें तो हम देखेंगे कि जो चीज हमारे पास होती है उसको लेना नहीं होता। जो चीज अपने पास नहीं होती उसकी कीमत हम सदा आंकते हैं। पर इच्छा दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपना निज का स्वार्थ साधने की। ऐसी इच्छा को पूरा करने के प्रयत्न का नाम अनीति है। दूसरी प्रकार की इच्छाएं ऐसी होती हैं कि हमारा झुकाव सदा भला होने और दूसरों का भला करने की ओर होता है। हम कोई भला काम करें तो उस पर हमें गर्व से फूल न जाना चाहिए। हमें उसका मूल्य नहीं आंकना है; बल्कि सदा अधिक भला होने और अधिक भलाई करने की इच्छा करते रहना चाहिए। ऐसी इच्छाओं के पूरा करने के लिए जो आचरण किया जाय उसको सच्ची नीति कहते हैं।

हमारे पास घर-बार न हो तो इसमें लज्जित होने की कोई बात नहीं है; पर घर-बार हो और उसका दुरुपयोग करें, जो धंधा-रोजगार करें उसमें लोगों को ठगें तो हम नीति के मार्ग से च्युत हो गये। जो करना हमें उचित है उसे करने में नीति है। इस तरह नीति की आवश्यकता हम कितने ही उदाहरणों से सिद्ध कर सकते हैं। जिस जन-समाज या कुटुंब में अनीति के बीज– जैसे फूट, असत्य इत्यादि– देखने में आते हैं वह जन-समाज, कुटुंब गिरकर टूट जाता है। फिर धंधे-रोजगार की मिसाल ली जाय तो हम देखेंगे कि ऐसा आदमी एक भी नहीं दिखाई देता जो यह कह सके कि सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। न्याय और भलाई का असर कुछ बाहर से नहीं हो सकता, वह तो हममें ही रहता है। चार सौ साल पहले यूरोप में अन्याय और असत्य अति प्रबल थे। वह समय ऐसा था कि लोग घड़ी भर शांति से न रह सकते थे। इसका कारण यह था कि लोगों में नीति न थी। हम नीति के समस्त नियमों का दोहन करें तो देखेंगे कि मानव-जाति का भला करने का प्रयास ही ऊँची नीति है। इस कुंजी से नीति-रूपी संदूक को खोलकर देखा जाय तो नीति के दूसरे नियम हमें उसमें मिल जाएंगे।

'धर्म-नीति' से

जल प्रदूषण का प्रभाव एवं नियंत्रण

❑ रामेश्वरलाल

'सर, हैण्ड पम्प में पानी आ गया परन्तु जल का रंग पीला है।' छात्र गिलास में जल लाया, उसका रंग हल्का भूरा था। इस वर्ष वर्षा अधिक हो जाने के कारण विद्यालय के पास के तालाब में पानी भर गया था। किन्तु जल प्रदूषित था, बालकों को उक्त हैण्ड पम्प से जल लेने से रोक दिया गया था। छात्रों में इस बात को जानने का कौतूहल था कि जल का रंग हल्का भूरा क्यों है। स्वच्छ क्यों नहीं है। विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक ने भी बताया कि 'सर मेरे मकान में जो हैण्ड पम्प है, उसमें भी ऐसा ही जल आया है। यह प्रदूषित जल है, पास में एक कारखाना स्थापित है। उसका गंदा जल भूमि में जाता है, हो सकता उसका प्रभाव हो। इसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को जल प्रदूषण के प्रति जानकारी देना उचित समझा। वैसे तो छात्र विभिन्न कक्षाओं में इस सम्बन्ध (जल प्रदूषण) में अध्ययन करते हैं। बाल सभा के माध्यम से जल प्रदूषण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। जल प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। विद्यालय के बालकों को अवगत करवाया गया कि प्रदूषित जल के कारण कई प्रकार के खतरनाक रोग जैसे- हैजा, अतिसार, जीवाण रोग, पीलिया, आंत्र ज्वर घातक बीमारियाँ फैलती हैं। ठोस प्रदूषकों से युक्त जल सेवन करने से कई प्राणघातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

विषाक्त रसायनों से प्रदूषित जल के कारण जलीय पौधों तथा जन्तुओं की मृत्यु हो जाती है। नदियों एवं तालाबों के जल में पलने वाली मछलियों में कीटनाशी दवाओं के कारण पारे जैसी भारी धातु जमा होती रहती है। अतः इन मछलियों के भोजन से मानव मस्तिष्क को हानि पहुँच सकती है, यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। देश में जल-प्रदूषण की स्थिति सभी नदियों, झीलों और तालाबों में देखी जा सकती है। नदियों द्वारा गंदगी ढोने की यह प्रक्रिया केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जारी है। परिणामस्वरूप पानी अनेक स्थानों पर प्रदूषित हो चला है। अनेक स्थानों पर यह समुद्री जीवों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। सागर के तटवर्ती जलीय भाग में खनिज तेल के रिसाव से उत्पन्न ऑयल *हिलक्स* तथा कारखानों से विषाक्त अपशिष्टों के विसर्जन के कारण अधिकांश सागरीय जीव मर जाते हैं, जिस कारण परिस्थितिकीय विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपायों की आवश्यकता है। इसकी सफलता के लिए विद्यालय स्तर पर शिक्षक एवं बालकों का सहयोग अपेक्षित है। हमें आम जनता को जल प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न प्रभावों के विषय में अवगत कराना होगा। शिक्षकों एवं बालकों के द्वारा आम जनता में जल प्रदूषण के विभिन्न पक्षों के विषय में जन जागरण द्वारा जल प्रदूषण का सही ज्ञान करा सकते हैं।

- घरों से निकले कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने की आदत के लिए जाग्रत् करना।
- पोलिथीन के प्रयोग पर रोक।
- औद्योगिक इकाइयों/कारखानों से निकले अपशिष्टों को शोधित करके विसर्जित करने के सम्बन्ध में जनता को जाग्रत् करना।
- सरकार के समाज के प्रति दायित्व के सम्बन्ध में जागरूक करना।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाये गये नियमों एवं कानूनों से अवगत करवाना तथा लागू करवाने के लिए चेतना जाग्रत करना।
- केन्द्रीय जल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये कानून के सम्बन्ध में जानकारी देना।
- विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेला/प्रदर्शनी एवं रैली आयोजित करना।

हमारे देश में अन्धविश्वास तथा धार्मिक दृष्टिकोण के कारण भी जल प्रदूषण को बल मिला है। अतः शिक्षक एवं बालकों को हमारे देश की जनता की इस मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ निश्चय एवं प्रयास करने की आवश्यकता होगी। हमें यदि प्रदूषण से बचना है, तो हम सब मिलकर इसके बचने के उपाय करें, तब ही पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे।

– प्रधानाचार्य
महरड़ा भवन, सुरमलिकपुरा (जयपुर)

आदेश परिपत्रः जुलाई, 2011

□ 1. न्यायिक प्रकरणों में तथ्यात्मक प्रतिवेदन यथासमय पेश हों। □ 2. राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम-11 में संशोधन □ 3. विज्ञप्ति - गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में। □ 4. अध्यापकों अथवा अन्य कर्मचारियों द्वारा विद्यालय में शराब पीने/पीकर आने अथवा बालिकाओं से अभद्र व्यवहार की रोकथाम बाबत। □ 5. पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में। □ 6. संभाग मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के लिए वर्तमान में संचालित नोडल प्रधानाध्यापक का कार्यभार कम करने तथा नोडल विद्यालय के गठन बाबत। □ 7. भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत। □ 8. नामांकन अभियान 2011-12 के सम्बन्ध में □ 9. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2011-12 के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण। □ 10. विद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक सेवावाहिनी योजना पुनः प्रारम्भ □ 11. सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (CCRT), नई दिल्ली द्वारा आयोज्य प्रशिक्षणों के लिए प्रकोष्ठ का गठन □ 12. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के संचालन के सम्बन्ध में दिशानिर्देश : वर्ष 2011-12 □ 13. आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत ऑनलाइन बजट आवंटन एवं विभागीय वेबसाइट पर बजट आवंटन अपलोड करने बाबत □ 14. राजकीय विद्यालयों की भूमि/भवन के उपयोग से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराएं □ 15. कक्षा आठवीं के लिए विषयवार प्रति सप्ताह कालांश निर्धारण □ 16. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के दस नए कार्यालय स्वीकृत। □ 17. पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति हेतु राशि के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में अन्तिम तिथि 1.8.2011

1. न्यायिक प्रकरणों में तथ्यात्मक प्रतिवेदन यथासमय पेश हों

• कार्यालय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • **परिपत्र** • यह ध्यान में लाया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर/जोधपुर में लम्बित अपीलों में जवाब प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा अपील की बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन लम्बी समयावधि तक अधिकरण में नियुक्त स्थायी प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं जिसके फलस्वरूप प्रकरण में नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं हो पाता है एवं प्रकरण के प्रतिरक्षण में भी प्रभारी अधिकारी एवं स्थायी अधिवक्ता/पैनल लायर को कठिनाई उत्पन्न होती है। पूर्व में भी समय-समय पर विभाग के अधिनस्थ अधिकारियों एवं कार्यालयों को यह निर्देश दिये गये हैं कि अपील प्राप्ति के 15 दिवस में प्रकरण का बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जावे किन्तु उक्त निर्देशों का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि अधिकरण के समक्ष लम्बित अपीलों एवं समस्त न्यायिक प्रकरणों में सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी एवं कार्यालय अपील प्राप्ति के 15 दिवस में बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायें एवं उक्त तथ्य की जानकारी आयुक्तालय के विधि अनुभाग को दी जायेगी एवं माह की एक निश्चित दिनांक तय कर उक्त प्रकरणों की समीक्षा कर मासिक मानचित्र के रूप में सूचना प्रेषित की जावें। तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करवाये जाने में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे। • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राज., बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/विधि/बी-3/विविध/पेनल लायर/09-10 दिनांक 4.5.11

2. राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम-11 में संशोधन

• राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग • सं. एफ2(6)डीओपी/ए-11/84 जयपुर, दिनांक : 27.05.2011 • **अधिसूचना** • भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्– 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है। (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 11 का संशोधन– राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 11 के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– ''परन्तु उन विधवाओं/विच्छिन्न विवाह महिलाओं को, जिन्हें बी.एस.टी.सी. या बी.एड. की अपेक्षित अर्हता को शिथिल करने के पश्चात् अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गयी है, उस तारीख से नियमित किया जायेगा जिसको वे बी.एस.टी.सी. या बी.एड. की अर्हता अर्जित करें। वे बी.एस.टी.सी. या बी.एड. की अर्हता अर्जित करने के लिए अध्ययन छुट्टी स्वीकृत किये जाने की भी पात्र होंगी। • राज्यपाल के आदेश और नाम से, ह. शासन उप सचिव।

3. गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता अनिवार्य

• कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/19626/11-12 दिनांक 4.5.11 • **विज्ञप्ति** • विषय– गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में। • उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय आदेश क्रमांक प.3(4) शिक्षा-5/94 दिनांक 10.3.95 द्वारा गैर सरकारी प्राथमिक स्तर तक के विद्यालय चलाने पर मान्यता से छूट दी गई थी।

पूर्व में भी नियमों के तहत सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता लेना अनिवार्य था तथा वर्तमान में लागू किये गये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत भी सभी निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता लेना अनिवार्य है।

अतः पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक प.3(4)शिक्षा-5/94 दिनांक 10.3.95 को प्रत्याहरित कर **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के तहत सभी प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) के लिए गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को भी मान्यता लेना अनिवार्य होगा। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।**

4. अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा विद्यालय में शराब पीने/पीकर आने अथवा बालिकाओं से अभद्र व्यवहार की रोकथाम बाबत।

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक-शिविरा/माध्य/मा/स/22467/06 दिनांक 26.5.11 • **विषय** : अध्यापकों अथवा अन्य कर्मचारियों द्वारा विद्यालय में शराब पीने/पीकर आने अथवा बालिकाओं से अभद्र व्यवहार की रोकथाम बाबत। • राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-12(9)प्राशि/2011 जयपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2011 के अनुसार कतिपय

अध्यापकों द्वारा विद्यालय परिसर में शराब पीने/पीकर आने अथवा बालिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटनाएँ शासन के ध्यान में आई हैं। ऐसी अप्रिय घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों एवं अध्ययनरत बालिकाओं के मन में असुरक्षा की भावना तो उत्पन्न होती ही है साथ ही विभाग की छवि भी धूमिल होती है। इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी के विरुद्ध तुरन्त कठोर कार्यवाही किया जाना अत्यावश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में आप अपने समस्त अधीनस्थ को निर्देशित करें कि किसी भी शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी द्वारा विद्यालय परिसर में मदिरा पान करने अथवा विद्यालय में मदिरा पीकर आने अथवा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने जैसे कृत्य करने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि– **(1) सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी के खिलाफ तत्काल विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित करें तथा (2) सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी के खिलाफ पुलिस थाने में तुरन्त प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवायें।**

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें। • ह. उप निदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

नोट– अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) प्रा. शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/विविध/10-11 दिनांक 4 मई 2011 द्वारा भी इसी आशय का आदेश दिया गया है।

5. पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक- शिविरा/माध्य/मा/स/जल संरक्षण/2010-11 दिनांक 27.5.11 • विषय : पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक- प.21(4) शिक्षा-1/प्राशि/2007 जयपुर, दिनांक 29.4.11 के अनुसार आप अधीनस्थ विद्यालयों को निर्देश प्रदान करें कि पेयजल समस्या के समाधान में निम्न कार्यवाही करें– **बिन्दु सं.-1 :** स्कूल शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा गांवों में दीवारों पर जल संरक्षण सम्बन्धी नारे लिखवायें। **बिन्दु सं.-2 :** स्कूल में पेयजल की स्थिति व इससे निपटने के उपाय हेतु वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करना ताकि बच्चों के माध्यम से अधिक घरों में पेयजल संकट व इसके उपायों का संदेश पहुँच सके।

उपर्युक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें तथा प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट भिजवाई जा सके। • ह. उप निदेशक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

6. संभाग मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के लिए वर्तमान में संचालित नोडल प्रधानाध्यापक का कार्यभार कम करने बाबत।

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक- शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3623/07 दिनांक 26.04.11 • विषय : संभाग मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के लिए वर्तमान में संचालित नोडल प्रधानाध्यापक का कार्यभार कम करने तथा नोडल विद्यालय के गठन बाबत। • प्रसंग : आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर के अ.शा. पत्रांक 44376 दिनांक 03.02.11 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय तंत्र में समुदाय की सहभागिता के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर, ब्लॉक, कलस्टर एवं ग्राम पंचायत स्तर का फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों के लिए एक नोडल प्रधानाध्यापक की व्यवस्था की हुई है, जिसके अधीन 5-12 विद्यालय आते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र के लिए वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के तहत एक नोडल विद्यालय के अधीन लगभग 20 विद्यालय आते हैं, जिसके कारण शहरी क्षेत्र के नोडल प्रधानाध्यापक समय पर न तो परिवीक्षण, प्रबोधन कर पाते हैं और न ही नियत समय पर सूचनाओं के संकलन एवं प्रेषण कर पाते हैं।

अतः शहरी क्षेत्र के लिए वर्तमान में संचालित नोडल प्रधानाध्यापक का कार्यभार कम करने तथा निर्धारित समय में सूचनाओं के संकलन/प्रेषण तथा परिवीक्षण व प्रबोधन के लिए समस्त संभाग मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में 10-12 विद्यालय पर नोडल विद्यालय का गठन करें जिससे कि परिवीक्षण, प्रबोधन व सूचना सम्बन्धी कार्य नियत समय पर सम्पन्न हो सके। • ह. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

7. शाला भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक- शिविरा/माध्य/साप्र/डी-2/3517/11-12 दिनांक 04.05.2011 • विषय : भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत। • उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले के अन्तर्गत कार्यालय/विद्यालयों जिनमें भवन मरम्मत आदि की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव साधारण मरम्मत, रंग-रोगन अथवा शौचालय मरम्मत जिनमें अनुमानित व्यय लगभग 0.50 लाख (मात्र पचास हजार रु.) तक होना हो, के प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को निम्नांकित सूचनाओं के साथ शीघ्र भिजवाने की कार्यवाही करें– **1.** सम्बन्धित कार्यालय/विद्यालय भवन का उक्त वर्णित कार्य करवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा मरम्मत हेतु लागत राशि के तकमीना/अवमान। **2.** सम्बन्धित उप निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा। **3.** विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भिजवाये जावें **(निर्धारित प्रपत्र संलग्न)**। • ह. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

शाला भवनों की मरम्मत हेतु भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का प्रपत्र

जिले का नाम : ..... मण्डल का नाम : .....

1. विद्यालय का नाम : .....
2. भवन राजकीय/किराये का है/ : ..... दानदाता द्वारा निर्मित है।
3. प्रस्तावित मरम्मत कार्य का विवरण : ..... (प्रस्ताव संलग्न करें)
4. अनुमानित लागत राशि : ..... (तकनीकी अधिकारी के अवमान की प्रति लगावें)
5. जन सहयोग से प्राप्त की जाने वाली राशि का विवरण : .....
6. विभाग द्वारा स्वीकृत योग्य राशि : .....
7. भवन सा.नि.वि. की सूची में है? अथवा विभागीय सूची में है : .....
8. भवन शहरी क्षेत्र में स्थित है या ग्रामीण क्षेत्राधीन माना जाता है : .....
9. गत 05 वर्षों में मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई राशि का विवरण मय स्कीम योजना सहित प्रस्तुत करें :

वर्ष	स्वीकृत राशि	किस योजना के तहत

10. भवन के राज्याधीन एवं विभाग की सूची में शामिल होने का वर्षः.....
11. भवन कच्चा/पक्का बना हुआ है : .....
12. भवन में वर्तमान निर्मित कमरों का विवरण-साईज सहित लिखें : .....
13. शाला परिसर में खाली पड़ी भूमि का विवरण-साईज सहित लिखेंः.....
14. विशेष विवरण : .....

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय पदनाम की मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी की पूर्ण औचित्यपूर्ण अनुशंसा : .....

उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

8. नामांकन अभियान 2011-12 के सम्बन्ध में

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक जी/4166/प्र.उ./11-12/30 दिनांक 9.5.11 • विषय : नामांकन अभियान 2011-12 के सम्बन्ध में। • प्रसंग : प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक 1102 दिनांक 04.05.2011 • उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे में चिह्नित शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश कराने हेतु नामांकन अभियान दिनांक 01 जुलाई से 31 जुलाई 2011 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। इसी उद्देश्य से राज्य में 01 जुलाई से 31 जुलाई 2011 के मध्य चलाए जाने वाले नामांकन अभियान में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है।

नामांकन अभियान के दौरान संचालित की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में सम्पन्न होने वाले कार्य एवं समयावधि का विवरण संलग्न है। संलग्न विवरणानुसार गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें। आपके अधीन समस्त अधीनस्थों को गतिविधियों के समयबद्ध संचालन हेतु निर्देशित करें ताकि 06 से 14 वर्ग आयु का कोई भी बालक-बालिका नामांकित होने से वंचित न रहे। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। (***नोट*–अभियान के दौरान संचालित की जाने वाली गतिविधियाँ प्रारम्भ में पृष्ठ 6-9 पर दी गई है। कृपया वहाँ अवलोकन करें।** *–व.सं.*)

9. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2011-12 के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण।

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांकःशिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/अ.सं.छा./पू.मै./2011-12/ दिनांक 16.6.11 • **विज्ञप्ति** • विषय : अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh and Renewal) हेतु सत्र 2011-12 के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण। **अंतिम तिथि 15.08.2011**

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में सत्र 2011-12 में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करने की **अंतिम तिथि 15.08.2011** है। वर्ष 2011-12 में इस छात्रवृत्ति योजना में निम्नानुसार संख्या में छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं–

मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
68175	**1080**	**11745**	**135**	**12**	**81,147**

छात्रवृत्ति की शर्तें–

1. छात्र/छात्रा के द्वारा पिछली अंतिम परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की गई हो, परन्तु कक्षा 1 एवं 2 उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए उनके अभिभावक/संरक्षक की मात्र आय को ही आधार माना जायेगा।
2. छात्र/छात्रा के अभिभावक अथवा संरक्षक की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन में छात्र/छात्रा के द्वारा अर्जित अंकों के बजाय गरीबी को अधिभार (Weightage) दिया जायेगा।
3. छात्र/छात्रा द्वारा उसी कक्षा और सत्र के लिए अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
4. एक परिवार में दो से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देय नहीं है। अतः एक परिवार से अधिकतम दो विद्यार्थियों का ही आवेदन करवाया जा सकता है।
5. कुल विद्यार्थियों का 30 प्रतिशत भाग छात्राओं के लिए आरक्षित (Ear-marked) है। यदि इस आरक्षित संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं हुईं तो शेष छात्रवृत्तियाँ पात्र छात्रों को नियमानुसार स्वीकृत कर दी जायेंगी।

छात्रवृत्ति की दरें

क्र.	मद	छात्रावासी विद्यार्थी	गैरछात्रावासी विद्यार्थी
1.	कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश शुल्क	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)
2.	कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण शुल्क	350 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	350 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए
रख-रखाव भत्ता (अधिकतम 10 माह)			
1.	कक्षा 1 से 5 तक	शून्य	100 रुपये प्रति माह
2.	कक्षा 6 से 10 तक	600 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक व्यय (जो भी कम हो)	100 रुपये प्रति माह

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र/छात्राओं को निर्धारित नवीन आवेदन पत्र समस्त औपचारिकता को पूर्ण कर अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा कराना है। आधे अधूरे एवं औपचारिकताओं की पालना नहीं किये हुए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा एक रजिस्टर संधारित कर उसमें कक्षावार प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा-जोखा रखा जायेगा। किसी पात्र छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र नहीं भिजवाने, नियमों व शर्तों के विरुद्ध कोई आवेदन-पत्र अग्रेषित करने पर दोषी विद्यालय/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के विरुद्ध सम्बन्धित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

इस छात्रवृत्ति योजना के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) हैं। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र नोडल अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र की फोटो प्रतियाँ करवाकर भी काम में ली जा सकती है। आवेदन पत्र व यह विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं, भले ही वे पंजीकृत मदरसों/शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों में अध्ययनरत संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में हों, के आवेदन पत्र भरवाने, प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने पर पात्र छात्र/छात्राओं की वरीयता सूची बनाने, निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक सूचनाओं की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी तैयार करवाकर जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) के कार्यालय में समय पर उपलब्ध करवाने का दायित्व सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) का होगा। अतः किसी भी सेट-अप/विभाग/बोर्ड के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र संस्थाप्रधानों द्वारा अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को जमा करवाये जायेंगे।

कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं को अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करने हैं। आवेदन पत्र के कॉलम 8 में छात्र-छात्रा द्वारा अंकित जन्मतिथि को संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के एस.आर. रजिस्टर (छात्र प्रवेशांक रजिस्टर) से मिलान कर प्रमाणीकरण कॉलम 22 (iv) के अनुसार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ गत उत्तीर्ण परीक्षा की प्रमाणित अंकतालिका संलग्न की जानी आवश्यक है। संस्था प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को अपने से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय में जमा करवाये जाने हैं।

गत वर्ष 2010-11 में जिन छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, उन्हें भी पात्रता/नियमानुसार छात्रवृत्ति के नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवेदन पत्र भरना है। सभी छात्रों (नूतन एवं नवीनीकरण दोनों) के लिए एक ही आवेदन पत्र निर्धारित किया गया है। नवीनीकरण के लिए छात्र/छात्रा के द्वारा पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गत सत्र में जिन छात्र/छात्राओं का इस छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है, वे अपने चयन की जानकारी वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त कर लें ताकि नवीनीकरण का आवेदन-पत्र भरने में सुविधा रहे।

छात्र-छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय, छात्र/छात्रा द्वारा कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे होने एवं परिवार में अधिकतम दो विद्यार्थियों का ही छात्रवृत्ति आवेदन करने का नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र सादे कागज पर प्राप्त कर संलग्न करना होगा। • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

10. विद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक सेवावाहिनी योजना पुनः प्रारम्भ

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • परिपत्र • विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में देश की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति चेतना जागृत करने तथा उसके संरक्षण के प्रति कर्त्तव्य भाव विकसित करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना का संचालन जुलाई 2011 से किए जाने का निर्णय लिया गया है।

किसी भी समाज में संस्कृति का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। साहित्य, कला और संगीत इत्यादि पीढ़ी-दर पीढ़ी विचारों, भावनाओं, विश्वासों का संचरण करते हुए लोगों को स्मरण कराते रहते हैं कि उनके पूर्वज क्या सोचते थे तथा सौन्दर्यपूर्ण सांस्कृतिक विकास के उनके प्रतिमान क्या थे। देश की सांस्कृतिक विरासत के संवर्द्धन, संरक्षण तथा उसके प्रसार को सुनिश्चित करना विद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना के संचालन का उद्देश्य है।

पूर्व में यह योजना नगरीय विकास विभाग के तत्त्वावधान में संचालित की जाती रही है। राज्य सरकार, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के तत्त्वावधान में दिनांक 05.02.2010 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक प.21(20) शिक्षा-1/प्राशि/2010 दिनांक 23.02.2010 के निर्णय बिन्दु – 01 के अनुसार भविष्य में यह योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजना कहलायेगी तथा इसका नोडल विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग होगा। सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिए राज्यस्तरीय कोर ग्रुप निम्नानुसार गठित किया जाता है–

1.	आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	अध्यक्ष
2.	शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	सदस्य
4.	मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	सदस्य
5.	वरिष्ठ लेखाधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
6.	श्री रणजीत सिंह, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., कटराथल, सीकर	सदस्य
7.	श्री रामजीलाल गिल, व.अ., रा.उ.मा.वि., रामसरा, चूरू	सदस्य
8.	श्री ओमप्रकाश सारस्वत, वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका एवं नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव

सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना का विद्यालयों में संचालन 01.07.11 से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न करणीय कार्यवाही राज्य सरकार के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.21(20) शिक्षा-1/प्राशि/2010 दिनांक 23.2.10 के अनुसार की जायेगी। **मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (समस्त) इस योजना के प्रभावी व सफल संचालन के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उत्तरदायी होंगे।** • ह. भास्कर ए. सावंत, आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा-माध्य/प्रकाशन/सां.ध.वा./2011 दिनांक 6.6.2011

सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना के उद्देश्य

1. राजस्थान प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रति बालकों में छात्र जीवन से ही चेतना जागृत कर उनके संरक्षण हेतु उनमें सकारात्मक सोच पैदा करना।

शिक्षा विभाग, राजस्थान
पंचांग, 2011-2012

*राजस्थान की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2011–12 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का **आयोजन** अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करें। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंसा पर निदेशक, प्रारम्भिक/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।*

सामान्य निर्देश :– 1. शिक्षण सत्र 2011–12 दिनांक 01 मई, 2011 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया एवं शिक्षण कार्य भी 01 मई 2011 से आरम्भ हो जायेगा। पुनः नियमित शिक्षण कार्य 1 जुलाई, 2011 से आरम्भ होगा। 2. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2011 रहेगी। 3. मध्यावधि अवकाश 20 से 30 अक्टूबर, 2011 तक रहेगा। 4. ग्रीष्मावकाश 17 मई से 30 जून, 2012 तक रहेगा। 5. केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो/दूरदर्शन पर घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। 6. यदि किसी कारणवश रेडियो/दूरदर्शन/लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा। 7. यदि किसी वर्ग/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश **सभी** विद्यालयों मे लागू नहीं होगा। 8. शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लिखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को ठीक मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाये।

प्रवेश :– 1. कक्षा एक में प्रवेश हेतु आयु सीमा नहीं है किन्तु विद्यार्थियों की सही आयु को ही रिकॉर्ड में अंकित किया जावे। 2. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक नामांकन में लक्ष्य की उपलब्धि अर्जित करने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि नहीं है। 3. राज्य कर्मचारी/माता–पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जावे। 4. यदि किसी परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जावे। 5. सत्र 2010–11 में ड्राप आउट एवं अनामांकित बच्चों के लिए संचालित आवासीय/गैर आवासीय शिविरों के बालक–बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान प्रतिमाह इनकी ट्रेकिंग कर सूचना प्रेषित करें। 6. चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे में चिह्नित ड्रापआउट एवं अनामांकित बालक–बालिकाओं के माता–पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। 7. ड्रापआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, स्कूल रैडीनेस कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा तथा इन बच्चों एवं विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। (प्रारम्भिक शिक्षा)

प्रार्थना सभा :– प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 20 मिनट (दो पारी विद्यालयों में विद्यालय समय के निर्देश बिन्दु एक के अनुसार का समय निर्धारित है। जिसमें वन्दे मातरम्, प्रार्थना, श्लोक पाठ, अनमोल वचन, प्रेरक प्रसंग, देशभक्ति गीत, दैनिक समाचार, ध्यान/मौन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि कार्यक्रम आयोजित किये जावें।

विद्यालय प्रबन्धन :– विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी) द्वारा किया जायेगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जायेंगी :– 1. एक मुश्त स्कूल ग्रान्ट जिसमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जैसे चॉक, डस्टर, डस्टबिन, बाल्टी, लोटा, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती हैं। 2. विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव हेतु एकमुश्त निर्धारित राशि प्रदान की जायेंगी, जिससे विद्यालय का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। 3. प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जॉच की जावे तथा रिकॉर्ड संधारित किया जावे। 4. नव क्रमोन्नत राप्रावि/राउप्रा विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास एवं सम्बलन हेतु प्राप्त टीएलई अनुदान राशि से दिशा–निर्देशानुसार विद्यालय उपयोगी सामग्री क्रय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे।

विद्यालय समय :– एक पारी/दो पारी विद्यालयों की व्यवस्था निम्न प्रकार से रहेगी :–

1. एक पारी विद्यालय :– (1) 1 जुलाई, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 तक प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक। (2) 1 अक्टूबर, 2011 से 15 मार्च, 2012 तक प्रातः 10.30 से सायं 4.30 बजे तक। (3) 16 मार्च, 2012 से ग्रीष्मावकाश आरम्भ होने तक प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक।

दो पारी विद्यालय :– (1) 1 जुलाई, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 तक प्रातः 7.00 से सायं 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे) (2) 1 अक्टूबर, 2011 से 29 फरवरी, 2012 तक प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे) (3) 1 मार्च, 2012 से ग्रीष्मावकाश तक प्रातः 7.00 से सायं 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)

विद्यालय समय संबंधी निर्देश :– 1. दो पारियों के मध्य 10 मिनट का अन्तराल रहेगा। इस 10 मिनट की पूर्ति दोनों पारियों की प्रार्थना सभाओं में से 5–5 मिनट कम करके की जायेगी। 2. 1 जुलाई 2011 से सभी विद्यालय यथासंभव एक पारी में चलाये जायेंगे। यदि विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तो विद्यालय की परिस्थितिवश 1 जुलाई, 2011 के आगे भी दो पारी/आंशिक दो पारी में चलाना हो तो संस्था प्रधान पर्याप्त औचित्य के साथ प्रस्ताव सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) औचित्य की जांच कर संबंधित उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) से स्वीकृति प्राप्त कर ही विद्यालय को दो पारी में चलाने की स्वीकृति देंगे और सूचना निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करेंगे। 3. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक रहेगा। वे स्वेच्छा से कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। 4. समस्त संस्था प्रधान विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अनुसार छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनिवार्यतः व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2011 से मार्च, 2012 तक वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 2.00 बजे से 2.30 तक कार्यक्रमानुसार कार्य दिवस को प्रसारित किया जायेगा। 5. जिन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टेलीविजन सेट उपलब्ध है, वहां विद्यालय समय प्रातः 9.30 से 3.30 तक रहेगा। 6. रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जावे। (प्रारम्भिक शिक्षा) 7. कल्प हेतु चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था) में भी प्रति सप्ताह रोटेशन के आधार पर प्रति कक्षा एक कालांश का निर्धारण किया जावे। (प्रारम्भिक शिक्षा) 8. पाठ्यक्रम विभाजन पुस्तिका के अनुसार प्रारम्भिक योजना तैयार कर सभी विद्यालय में शिक्षण कार्य कराया जावे। (प्रारम्भिक शिक्षा) 9. राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक कक्षाएं एवं

शिविरा पंचांग 2011-12

जुलाई, 2011

रवि	31	3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

अगस्त, 2011

रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23	30
बुध	3	10	17	24	31
गुरु	4	11	18	25	
शुक्र	5	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

सितम्बर, 2011

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	

अक्टूबर, 2011

रवि	30	2	9	16	23
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

नवम्बर, 2011

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

दिसम्बर, 2011

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	31

जुलाई, 2011 ● कार्य दिवस 26, रविवार 05, अवकाश 0, उत्सव 03 ● 1 जुलाई– शिक्षण कार्य का पुनः प्रारम्भ एवं एक पारी विद्यालय प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक एवं दो पारी विद्यालय प्रातः 7.00 से सायं 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घन्टे) **1 – 7 जुलाई**– वन महोत्सव/केजीबीवी में वृक्षारोपण **1–15 जुलाई**– प्रत्येक विद्यालय में प्रवेशोत्सव/केजीबीवी बालिका शिक्षा सम्बलन अभियान **3 – 7 जुलाई**– सी.टी.एस. सर्वे/अपडेशन **7 जुलाई**– शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम–जिला स्तरीय संयुक्त तैयारी बैठक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज/शिक्षा विभाग) **9 – 14 जुलाई**– अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक का आयोजन एवं बालक–बालिकाओं का नामांकन/शैक्षिक प्रगति हेतु विचार–विमर्श (प्रारम्भिक) **10 जुलाई तक**– पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रेल पुस्तकों का एवं लो विजन वाले बच्चों को लार्ज प्रिन्ट की पुस्तकों का वितरण (प्रारम्भिक)**11 जुलाई**–विश्व जनसंख्या दिवस (उत्सव) **15 जुलाई**– कक्षा 1–5 को छोड़ कर शेष सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि, गुरु पूर्णिमा (उत्सव) **19 जुलाई**– शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम–ब्लॉक स्तरीय संयुक्त तैयारी बैठक, (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पंचायती राज/शिक्षा विभाग) **21 जुलाई**– शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य परीक्षण तैयारी बैठक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पंचायती राज/शिक्षा विभाग के स्थानीय कार्मिकों के साथ) **23 जुलाई**– लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जयन्ती (उत्सव) **23–28 जुलाई के मध्य**– विद्यालय प्रबन्धन समिति की साधारण सभा की बैठक (प्रारम्भिक) **25 जुलाई**– संस्था प्रधान द्वारा समस्त छात्रवृति योजना के बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव एवं सूचियां संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को भेजना। ट्रांसपोर्ट एवं एस्कॉर्ट भत्ते हेतु पात्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आवेदन सम्बन्धी संस्था प्रधान द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक/जिला कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि। (प्रारम्भिक शिक्षा) **28 जुलाई**– विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों की कक्षावार अद्यतन सूची प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपलब्ध कराना (प्रारम्भिक) **30 जुलाई**– संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक आयोजित कर विद्यालय की शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक उन्नयन स्थिति पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेना **30 जुलाई**– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) द्वारा समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं बजट आवंटन के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कर प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, को प्रेषित करना एवं शिक्षक–अभिभावक संघ की बैठक का आयोजन करना (प्रारम्भिक) **नोट** :– **1.** 1 से 31 जुलाई तक सघन नामांकन अभियान एवं सीटीएस अद्यतन करना। **2.** समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का विद्यार्थियों के समक्ष जुलाई के अन्त तक प्रचार करना। **3.** अंतिम सप्ताह में दो दिवसीय प्रथम संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन करना। **4.** विद्यालयों द्वारा वर्षा आरम्भ होते ही वृक्षारोपण का कार्य करना। **5.** विद्यालयों द्वारा विषयवार टीएलएम चिह्निकरण करना। **6.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **7.** जिले द्वारा विद्यालयों को अनुदान राशि हस्तान्तरित करना। **8. 1 से 15 जुलाई 2011 के मध्य**– प्रीपरेटरी कैम्प (केजीबीवी), माँ–बेटी सम्मेलन (एनपीईजीईएल)। **9.** विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाता संख्या का नोडल प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणीकरण। **10.** मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान हेतु विद्यालयों द्वारा प्रस्ताव ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित करना। **11.** केआरपी प्रशिक्षण (6 दिवसीय), लिंग्वालैब प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

अगस्त, 2011 ● कार्य दिवस 23, रविवार 04, अवकाश 04, उत्सव 03 ● 1 अगस्त से 15 सितम्बर– विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच एवं अभिलेख संधारण। **10 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यवसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर पूर्व तैयारी। **12 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर आयोजन। **13 अगस्त**– रक्षा बन्धन (अवकाश), संस्कृत दिवस (उत्सव) **15 अगस्त**– स्वतन्त्रता दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य), बालक–बालिकाओं को अवार्ड का वितरण (नवाचारी शिक्षा) **18 – 20 अगस्त**– प्रथम परख (सभी कक्षाओं के लिए) **20 अगस्त**– इस दिनांक से पूर्व प्रथम/द्वितीय/तृतीय समूह (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) कक्षावार, दलवार खेलकूद प्रतियोगिता एवं नेहरू हॉकी का आयोजन (15 वर्ष छात्र) **22 अगस्त**– जन्माष्टमी (अवकाश–उत्सव) **23 – 24 अगस्त**– जिला स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन (15 वर्ष छात्र), विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता के लिए तहसील स्तर पर पूर्व तैयारी। **25 अगस्त**– डाइस हेतु संकुल/ब्लॉकवार विद्यालयों की सूची तैयार करना (प्रारम्भिक) **25 – 27 अगस्त**– ब्लॉक स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन एवं राज्य स्तरीय नेहरु हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन (15 वर्ष छात्र) **26 – 27 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की तहसील स्तर पर सृजनात्मक प्रतियोगिता का अयोजन। **27–29 अगस्त**– राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता **29 अगस्त**– ध्यानचन्द जयन्ती पर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना **30 अगस्त**– श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2011 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को आवेदन करना। अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर प्रथम परख के प्रगति–पत्र विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार विमर्श। **30 अगस्त से 8 सितम्बर**– प्रथम एवं द्वितीय समूह (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (अधिकतम चार दिवस), केजीबीवी जिला स्तरीय प्रतियोगिता। **31 अगस्त**– ईदुलफितर (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार) **नोट** :– **प्रा. शिक्षा 1.** कक्षा–शिक्षण की समेकित आवश्यकता के आधार पर टी.एल.एम. का क्रय **2.** अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का गठन। **3.** लिंग्वालैब प्रशिक्षण **4.** कक्षा–शिक्षण प्रक्रिया सम्बलन के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन **5.** टीएलएम/एसएफजी/एमआर वितरण की कार्ययोजना एवं राशि हस्तान्तरण। **6.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **7.** केजीबीवी शैक्षिक भ्रमण 22 अगस्त से 31 अगस्त 2011 के मध्य।

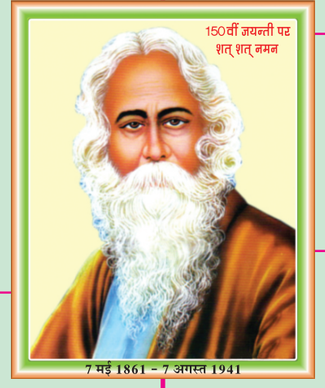

सितम्बर, 2011 ● कार्य दिवस 24, रविवार 04, अवकाश 02, उत्सव 05 ● 5 सितम्बर– शिक्षक दिवस (उत्सव), राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झंडियों की बिक्री का शुभारम्भ **7 सितम्बर**– रामदेव जयन्ती/तेजादशमी (अवकाश–उत्सव) **8 सितम्बर**– विश्व साक्षरता दिवस (उत्सव) **9–10 सितम्बर**– जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश) **12–14 सितम्बर**– जिला स्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेले के आयोजन (कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए दो दिवसीय) **14 सितम्बर**– हिन्दी दिवस (उत्सव) **14 – 16 सितम्बर**– प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता, साथ में निःशक्त विद्यार्थियों हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (प्रारम्भिक) **14 – 19 सितम्बर**– प्रथम समूह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (प्रारम्भिक/माध्यमिक) **15 सितम्बर**– श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2011 के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) द्वारा मण्डल अधिकारी को प्रेषित करना। **19 – 20 सितम्बर**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर पूर्व तैयारी। **21 – 24 सितम्बर**– निःशक्त विद्यार्थियों की सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (प्रारम्भिक) **22 – 27 सितम्बर**– द्वितीय समूह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) **23 सितम्बर**– राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस/किशोर जाग्रति दिवस (उत्सव) **23 – 24 सितम्बर**–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का जिला स्तर पर आयोजन। **24 सितम्बर**– राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है) **24 – 27 सितम्बर**– जिला स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन **28 सितम्बर**– नवरात्री स्थापना (अवकाश) **29, सितम्बर से 1 अक्टूबर**– प्राथमिक विद्यालय जिला स्तर खेलकूद प्रतियोगिता **29 सितम्बर**– राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत झंडियों की बिक्री से प्राप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनाकर प्रेषित करना **30 सितम्बर**– श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार 2011 के प्रस्तावों की समीक्षा कर मण्डल अधिकारी द्वारा आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा को भेजना। इस तिथि तक निःशक्त विद्यार्थियों की वैयक्तिक शिक्षा योजना भिजवाना, निःशक्त विद्यार्थियों को उपकरणों का वितरण, फंक्शनल एसेसमेन्ट केम्पों का आयोजन, चिह्नित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सूची को अंतिम रूप देना एवं प्रेषण (प्रारम्भिक शिक्षा), डाइस प्रपत्र भरने की आधार तिथि। **नोट** :– **प्रा. शिक्षा– 1.** समस्त छात्रवृत्तियों के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बजट की मांग एवं ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना के नवीनीकरण के शेष प्रस्तावों को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित करना एवं भामाशाह योजना का त्रैमासिक प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित करना। **2.** सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करना। **3.** लिंग्वालैब प्रशिक्षण। **4.** शिक्षक टीएलएम क्रय एवं कच्ची सामग्री से टीएलएम का निर्माण करना। **5.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **6.** कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के सम्बलन के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन करना। **7.** केजीबीवी में अन्तर जिला पैनल निरीक्षण दिनांक 15 से 30 सितम्बर 2011 **8.** कम्प्यूटर प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण।

अक्टूबर, 2011 ● कार्य दिवस 15, रविवार 05, अवकाश 11, उत्सव 02 ● 1 अक्टूबर– समय परिवर्तन, एक पारी विद्यालय 10.30 से 4.30 तक एवं दो पारी विद्यालय प्रातः 7.30 से सायं 5.30 तक (प्रत्येक पारी 5 घन्टे)। **1–5 अक्टूबर**– तृतीय समूह जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (माध्यमिक/प्रारम्भिक)। **1–15 अक्टूबर**– डाइस के प्रपत्रों का भरा जाना (प्रारम्भिक)। **2 अक्टूबर**– गांधी जयंती व शास्त्री जयंती (उत्सव), मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, अप्रेल से सितम्बर तक की छात्रवृति का वितरण। **04 अक्टूबर**– दुर्गाष्टमी (अवकाश) **06 अक्टूबर**– विजया दशमी (अवकाश) **10 अक्टूबर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी सम्मान समारोह (आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर)। **10–15 अक्टूबर**– तृतीय समूह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (माध्यमिक/प्रारम्भिक), केजीबीवी राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। **15 अक्टूबर**– विश्व हाथ धुलाई दिवस का विद्यालयों में आयोजन। **17–19 अक्टूबर**– द्वितीय परख (सभी कक्षाओं के लिए), गृह कार्य का प्रथम मूल्यांकन, (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु) **20 से 30 अक्टूबर**– मध्यावधि अवकाश **24 अक्टूबर**– संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (उत्सव) **26 अक्टूबर**– दीपावली (अवकाश) **27 अक्टूबर**– गोवर्धन पूजा (अवकाश) **28 अक्टूबर**– भैया दूज (अवकाश)। **31 अक्टूबर**– इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस), अभिभावकों/शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर द्वितीय परख के प्रगति पत्र विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार विमर्श। समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक/आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना एवं संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर विद्यालय के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक भौतिक उन्नयन पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेना। शिक्षक–अभिभावक संघ की बैठक आयोजित करना।

नोट :– 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति के लिए जिला मुख्यालय पर चयन। चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से प्राप्त करना, कक्षाध्यापकों द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार करना, विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करना। 2. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन। (प्रारम्भिक) 3. लिंग्वालैब प्रशिक्षण। 4. टीएलएम सामग्री से शिक्षकों द्वारा टीएलएम का निर्माण। (प्रारम्भिक) 5. प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। 6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण। 7. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं की मध्यावधि अवकाश के दौरान एक्सपोजर विजिट।

नवम्बर, 2011 ● कार्य दिवस 24, रविवार 04, अवकाश 02, उत्सव 04 ● 07 नवम्बर– ईदुलजुहा (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार), कालीदास जयन्ती (उत्सव)। **9 नवम्बर**– राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा–प्रथम स्तर (कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु) **10–नवम्बर**– गुरुनानक जयन्ती (अवकाश–उत्सव)। **11 नवम्बर**– राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (उत्सव)। **11 – 15 नवम्बर**– राज्य स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन। **11 – 20 नवम्बर**– राष्ट्रीय सेवा योजना के 10 दिवसीय शिविर का आयोजन (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है)। **12 नवम्बर**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर पर आयोजन प्रस्तावित। **14 नवम्बर**– बाल दिवस (उत्सव), विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु पीयर सेन्सटाईजेशन हेतु गतिविधियों का आयोजन। **19 – 25 नवम्बर**– कौमी एकता सप्ताह का आयोजन। **22–23 नवम्बर**– शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु तहसील स्तर पर चयन। **24 – 25 नवम्बर**– शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन। **28–29 नवम्बर**– राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश)। **30 नवम्बर**– शिक्षक टीएलएम, विद्यालय सुविधा अनुदान एवं मरम्मत व रखरखाव अनुदान के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रेषण (प्रारम्भिक)। **नोट** :– 1. विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं/एस.यू.पी.डब्ल्यू. शिविर/वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, तक अनिवार्यतः सम्पन्न किये जावें। 2. विद्यालय सौंदर्यकरण में मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करना। (प्रारम्भिक) 3. प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। 4. लिंग्वालैब प्रशिक्षण।

दिसम्बर, 2011 ● कार्य दिवस 20, रविवार 04, अवकाश 07, उत्सव 02 ● 1 दिसम्बर– विश्व एड्स दिवस एवं विश्व एकता दिवस (उत्सव)। **1 – 10 दिसम्बर**–ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन (प्रारम्भिक)। **03 दिसम्बर**– विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन (समावेशित शिक्षा के उन्नयन हेतु)। **06 दिसम्बर**– मोहर्रम (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार)। **10 दिसम्बर**– मानव अधिकार दिवस (उत्सव)। **12 – 24 दिसम्बर**– अर्द्धवार्षिक परीक्षा (सभी कक्षाओं के लिए)। **14–21 दिसम्बर**– राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन। **15–16 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन। **19 दिसम्बर**– भामाशाह योजना का अर्द्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना। **20–21 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर चयन एव दल गठन। **22–24 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर। **25–26 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। **25–31 दिसम्बर**– शीतकालीन अवकाश (25 दिसम्बर को क्रिसमस अवकाश सहित) नव नियुक्त शिक्षकों हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन। लिंग्वालैब प्रशिक्षण। राज्य कर्मचारियों के हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान को दिसम्बर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौती की कार्यवाही करना। **27–29 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता। **27–30 दिसम्बर**– राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को अंग–उपकरण का वितरण। **नोट** :– माह में कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं विषय आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

जनवरी, 2012 ● कार्य दिवस 24, रविवार 05, अवकाश 02, उत्सव 06 ● 5 जनवरी– गुरु गोविन्द सिंह जयंती (अवकाश–उत्सव)। **12 जनवरी**– स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस उत्सव), केरियर डे का आयोजन (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय)। **14 जनवरी**– मकर संक्रान्ति (उत्सव)। **14–31 जनवरी**– जीवजन्तु संरक्षण पखवाड़े का आयोजन। **19 जनवरी**– महाराणा प्रताप पुण्य तिथि, अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के प्रगति पत्रों का वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार–विमर्श। **20–22 जनवरी**– विद्यार्थियों की द्वितीय स्वास्थ्य जांच एवं अभिलेख संधारण (शारीरिक शिक्षक एवं अध्यापकों द्वारा)। **23 जनवरी**– सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस (उत्सव)। **24 जनवरी**– बालिका दिवस। **26 जनवरी**– गणतंत्र दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य), एनपीईजीईएल अन्तर्गत श्रेष्ठ विद्यालय/शिक्षक को पुरस्कार, डाइस स्कूल रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन। **28 जनवरी**– बसन्त पंचमी एवं सरस्वती जयन्ती (उत्सव) गार्गी पुरस्कार समारोह। **30 जनवरी**– शहीद दिवस (प्रातः 11.00 बजे दो मिनट का मौन), संस्था प्रधान द्वारा स्टॉफ की बैठक लेकर परीक्षा परिणाम उन्नयन की कार्य योजना बनाना। **नोट** :– 1. लिंग्वालैब प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण। 2. प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना।

फरवरी, 2012 ● कार्य दिवस 23, रविवार 04, अवकाश 02, उत्सव 03 ● 2–4 फरवरी– तृतीय परख कक्षा 9 से 12 तक, गृह कार्य का द्वितीय मूल्यांकन (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु)। **04 फरवरी**– बारावफात (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार)। **9 फरवरी**– अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर तृतीय परख के प्रगति पत्र का विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार–विमर्श। **16 फरवरी**– स्वामी दयानन्द जयन्ती (उत्सव)। **20 फरवरी**– महाशिवरात्रि (अवकाश–उत्सव) **28 फरवरी**– राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (उत्सव), **नोट** :– 1. तृतीय सप्ताह में दो दिवसीय द्वितीय संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन। 2. कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सम्बलन के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन करना। (प्रारम्भिक) 3. माह के अन्त में निर्माण कार्यों व अन्य गतिविधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना। (प्रारम्भिक) 4. लिंग्वालैब प्रशिक्षण। 5. प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना।

मार्च, 2012 ● कार्य दिवस 24, रविवार 04, अवकाश 03, उत्सव 03 ● 1 मार्च– दो पारी विद्यालय प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)। **07 मार्च**– होलिका दहन (अवकाश)। **08 मार्च**– धुलण्डी (अवकाश)। **15 मार्च**– विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव), अक्टूबर से मार्च तक की छात्रवृत्ति का वितरण। **16 मार्च से ग्रीष्मावकाश आरम्भ होने तक**– एक पारी विद्यालय प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक। **23 मार्च**– कक्षा 1 में प्रवेश एवं अध्यापनं प्रक्रिया प्रारम्भ। **24 मार्च**– चेटीचण्ड (अवकाश–उत्सव)। **30 मार्च**– राजस्थान दिवस (उत्सव)। **31 मार्च**– निःशक्त विद्यार्थियों हेतु केन्द्र प्रायोजित समावेशित शिक्षा योजना संबंधी व्यय, बचत एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना जिशिअ (मा) को प्रेषित करना। **नोट** :–1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। 2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों में परीक्षा के समय कक्षा 1 से 8, 9 एवं 11 के लिए अध्यापन कार्य की समयावधि प्रातः 11.30 से दोपहर 2.00 बजे तक रहेगी। 3. शेष प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

अप्रैल, 2012 ● कार्य दिवस 22, रविवार 05, अवकाश 03, उत्सव 03 ● 01 अप्रैल– रामनवमी (अवकाश–उत्सव)। **05 अप्रैल**– महावीर जयन्ती, अहिंसा दिवस (अवकाश–उत्सव)। **06 अप्रैल**– गुडफ्राइडे (अवकाश)। **9–23 अप्रैल**– कक्षा 1 से 9 एवं 11 की कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं। **14 अप्रैल**– डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती (अवकाश–उत्सव)। **28 अप्रैल**– सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा परीक्षा परिणामों की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समीक्षा हेतु प्रेषित करना। **30 अप्रैल**– संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार–विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। भामाशाह योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना। सत्र 2011–12 के दौरान विभिन्न छात्रवृत्तियों में मिले बजट, इनके विरुद्ध व्यय, बचत एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना आगामी छात्रवृत्ति के लिए अनुमानित राशि की मांग, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास के आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित करना। **नोट** :– प्रशिक्षकों (कंआरपी, आरपी) के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

मई, 2012 ● कार्य दिवस 14, रविवार 04, अवकाश 13, उत्सव 02 ● 1 मई– नवीन सत्रारम्भ, सत्र 2012–13 की प्रवेश प्रक्रिया एवं शिक्षण कार्य आरम्भ, सभी कक्षाओं के पूरक परीक्षार्थियों/कक्षा 10 में प्रविष्ट परीक्षार्थियों को आगामी कक्षा में प्रवेश देय, परन्तु कक्षा 12 में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 7 दिवस अथवा 15 जुलाई, 2012 तक जो भी बाद में हो, के अनुसार प्रवेश देय। **7 मई**– रवीन्द्र नाथ टैगोर जयंती (उत्सव)। **7–10 मई**– सभी कक्षाओं (कक्षा 10 व 12 को छोड़कर) की पूरक परीक्षा का आयोजन। **10 मई**– राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा–द्वितीय स्तर (कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)। **14 मई**– सभी पूरक परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा। **17 मई से 30 जून**– ग्रीष्मावकाश। **24 मई**– प्रताप जयन्ती (अवकाश उत्सव)। **नोट** :– विषय–वस्तु आधारित प्रशिक्षण आ

राजकीय प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएं निम्नलिखित व्यवस्थानुसार संचालित की जावे :–

1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा	11 एवं 12
			द्वितीय पारी कक्षा	9 एवं 10
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा	9 से 12
			द्वितीय पारी कक्षा	6 से 8
3.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा	9 से 10
			द्वितीय पारी कक्षा	6 से 8
4.	माध्यमिक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय सहित)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा	6 से 10
			द्वितीय पारी कक्षा	1 से 5

कक्षा शिक्षण (प्रारम्भिक शिक्षा) :– **1. (अ)** सभी जिलों में अधिकांश विद्यालयों को विज्ञान एवं गणित की एक–एक किट उपलब्ध कराई गई है। शेष विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से किट उपलब्ध करायी जा रहीं हैं। इन विषयों के विषयाध्यापक कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किटों का उपयोग सुनिश्चित करें। **(ब)** कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की निःशुल्क कार्यपुस्तकें (Work-books) उपलब्ध करवाई गई हैं। संस्था प्रधान एवं शिक्षक कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में प्रत्येक पाठ के पश्चात कार्यपुस्तिकाओं में विद्यार्थियों से अभ्यास कार्य करावें। अत्यन्त आवश्यक होने पर ही पृथक नोट बुक संधारित की जावे। **2.** कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कराने वाले शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण 1 मई 2011 से 31 मार्च 2012 तक आयोजित होंगे। कम्प्यूटर के लिए 10 एवं 12 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। लिंग्वालैब के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित होंगे। कुछ प्रशिक्षण 1 या 2 दिवसीय भी होगे। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 15 अप्रैल 2011 के बाद प्रारम्भ किए जायेंगे। कुछ विशिष्ट प्रकार के एक दिवसीय प्रशिक्षण एज्यूसेट के माध्यम से दिये जायेंगे, एज्यूसेट सुविधा प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी डाइट में तथा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है। राजीव गांधी एज्यूसेट कार्यक्रम, संबंधित जिलों सीकर, जयपुर, बून्दी, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं भरतपुर के चुने हुए विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु विषयवार प्रसारित होंगे। सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक विद्यार्थियों एवं शनिवार को शिक्षकों हेतु प्रातः 10.30 से 12.35 तक उक्त कार्यक्रम प्रसारित होंगे। **3.** चयनित शिक्षकों को कम्प्यूटर आधारित विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षित शिक्षक कल्प विद्यालयों में 6, 7 एवं 8 वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की कठिन पाठ्य वस्तु के आधार पर उपलब्ध मल्टीमीडिया आधारित ई–कन्टेन्ट सीडीज एवं कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करवायेंगे। **4.** अंग्रेजी भाषा में उच्चारण शुद्धता के लिए शिक्षकों/विद्यार्थियों को ऑडियो कैसेट के माध्यम से भाषा वाक्दक्षता प्रशिक्षण कराया जावे। इसके लिए राज्य के समस्त संभाग स्तर पर लैंग्वेज लैब स्थापित किये गये हैं। **5.** रेडियो संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाया जावे। रेडियो लर्निंग कार्यक्रम कक्षा 1 से 4 के लिए सत्र 2008–09 से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि में अंग्रेजी विषय का शिक्षण कराया जावे। **6.** सत्र 2010–11 तक 6650 राजकीय विद्यालयों की उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कल्प कार्यक्रम संचालित है। इन विद्यालयों में एसएसए द्वारा उपलब्ध करायी गई उक्त ई–कन्टेन्ट सीडीज को शिक्षण में काम में लेने हेतु 6 से 8 के लिए विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में प्रति सप्ताह एक कालांश तय किया जावे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों एवं एन.पी.ई.जी.ई.एल. के मॉडल कलस्टर विद्यालयों में भी कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गये है। उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर की सहायता से विद्यार्थी आवश्यक रूप से अध्ययन करें। ऐसी व्यवस्था की जाए। **7.** लहर चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 शिक्षण का दायित्व लहर प्रशिक्षित शिक्षकों को ही दिया जावे। इन विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के लिए विशेष कक्षा कक्ष निर्माण, अतिरिक्त शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण किट का रखरखाव एवं प्रतिदिन प्रयोग सुनिश्चित किया जावेगा। इन विद्यालयों में समय विभाग चक्र का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि प्रतिदिन दो विषयों का बारी–बारी से अधिगम कार्य कराया जा सके। **8.** कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में समस्त नवप्रवेशी बालिकाओं को संघनित पाठ्यक्रम (Condensed Course) के माध्यम से आरम्भिक शिक्षण कार्य कराया जावे।

सहशैक्षिक गतिविधियां :– **1.** समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन प्रसारित आदेशों के अनुसार किया जावे। **2.** कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जावे। बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है, को बुलाकर उनसे संबोधन कराया जावे। ● शिक्षा शनिवार, प्रत्येक माह विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित शनिवार को मनाया जावेगा। इसके अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक होगी, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर विचार–विमर्श होगा एवं बालसभा आयोजित की जायेगी। ● सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2011 तक मनायेंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/एसयूपीडब्ल्यू शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2011 तक वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जा सके तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है। इसके बाद मात्र उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह आयोजित किये जावे। **3.** नेशनल प्रोग्राम फॉर एज्युकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलीमेन्टरी लेवल (NPEGEL) के अन्तर्गत मां–बेटी सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक चयनित मॉडल कलस्टर स्कूल पर बालिकाओं के व्यावसायिक कौशल विकास हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई कार्य प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जावेगा। शिक्षकों को जेण्डर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जायेगा। **4.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृतियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। **5.** प्रत्येक राजकीय एवं अनुदान प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक–अभिभावक संघ की बैठक माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रातः 9.00 से 10.00 बजे तक आयोजित की जावे। **6.** प्रत्येक राजकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक–अभिभावक संघ की त्रैमासिक बैठक उक्तानुसार आयोजित की जावे।

शिक्षण तंत्र का प्रबोधन एवं प्रबन्धन (प्रारम्भिक शिक्षा):– जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों जिनमें कक्षा 1–8 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जावे। सभी शिक्षक/संस्था प्रधान डाइस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।

उत्सव एवं अवकाश :– **1.** प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाये जावें। **2.** उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो तो उसे एक दिन पहले/बाद में मनाया जावे। **3.** उत्सव के दिन निर्धारित आठ कालांश में शिक्षण कार्य हो एवं प्रत्येक कालांश में से 5–5 मिनट घटाकर शेष रहे समय में उत्सव मनाया जावे। **4.** 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मत्रांलयिक कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे। **5.** प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक दीपावली से पहले एवं दूसरा दीपावली के बाद किया जावे। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2011 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें। **6.** जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

जांच एवं परीक्षा :– **1.** समस्त कक्षाओं की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जावे तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 28 अप्रैल, 2012 तक किया जावे। **2.** सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार अथवा अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जावे। **3.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। प्रथम सात दिवस में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस ढंग से किया जावे कि उनकी परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो। **4.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालय में परीक्षा के समय कक्षा 1 से 8, 9 एवं 11 के लिए अध्यापन कार्य की समायवधि प्रातः 11.30 से दोपहर 2.00 बजे तक रहेगी। **5.** प्रारम्भिक शिक्षा में सतत एवं व्यापक आकलन (CCA) पायलेट प्रोजेक्ट के विद्यालयों में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें एवं विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना लागू रहेगी।

पूरक परीक्षा :– प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन सभी कक्षाओं (कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर) की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 07 से 10 मई, 2012 तक पूर्ण कर लिया जावे। परीक्षा परीणाम 14 मई, 2012 तक घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिये जावें।

© सर्वाधिकार आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पास सुरक्षित है।

2. धरोहर स्थलों के आस-पास वृक्षारोपण एवं उनकी बेहतर देखभाल करना।
3. अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अध्ययन करना।
4. ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना।
5. राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि की जानकारी प्राप्त करना और संवर्द्धन करना।
6. राजस्थान के त्यौहारों, मेलों, रीति-रिवाजों का गहन ज्ञान प्राप्त करना।
7. विद्यार्थियों को पर्यटक एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में पर्यटन व्यवसाय से जोड़ना।

वार्षिक कलैण्डर

1. तीन दिवसीय शिविर – प्रत्येक जिले में वर्ष में एक बार
2. एक दिवसीय शिविर – प्रत्येक जिले में वर्ष में पाँच बार (श्रमदान/प्रशिक्षण), अनुस्थापन (Orientation) शिविर
3. संरक्षण हेतु विभिन्न धरोहर संरक्षण इकाइयों द्वारा नजदीकी स्मारकों का अवलोकन व श्रमदान
4. विद्यार्थियों को जिले के धरोहर स्थलों/स्मारकों पर क्षेत्र भ्रमण हेतु ले जाना।
5. विचार गोष्ठियों का आयोजन।
6. **विद्यालय स्तर पर निम्नानुसार विविध कार्यक्रमों का आयोजन–** (i) विभिन्न ऐतिहासिक/सांस्कृतिक दिवसों का समारोह पूर्वक मनाना। (ii) धरोहर से जुड़े विषयों पर विद्यालय स्तर पर निबन्ध, वाद-विवाद और आशु-भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन। (iii) लोक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन। (iv) धरोहर संरक्षण हेतु चेतना रैली का आयोजन– वर्ष में एक बार। (v) प्रश्नोत्तरी (Quiz), नारा लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन। (vi) धरोहर संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन – विद्यालय स्तर पर वर्ष में एक बार। (vii) धरोहर संरक्षण की विभिन्न जिला इकाइयों का पारस्परिक आदान-प्रदान – वर्ष में एक बार। (viii) निकट के विद्यालयों से सम्पर्क कर वहाँ भी धरोहर चेतना का विस्तार करना। (ix) विषय विशेषज्ञों की वार्ताएं आयोजित करना।

11. सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (CCRT), नई दिल्ली द्वारा आयोज्य प्रशिक्षणों के लिए प्रकोष्ठ का गठन

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • आदेश • सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली (Centre for Cultural Resources and Training (CCRT), New Delhi) के तत्त्वावधान में आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षणों को राजस्थान में संचालित सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना से जोड़े जाने एवं इन प्रशिक्षणों के प्रभावी आयोजन एवं अनुश्रवण (follow up) के लिए आयुक्तालय स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। इस प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री ओमप्रकाश सारस्वत, वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका होंगे। • ह. भास्कर ए. सावंत, आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा-माध्य/प्रकाशन/सीसीआरटी/2011 दिनांक 13.5.11

नोट– वर्ष 2011-12 में माह अगस्त, 2011 को मार्च, 2012 की अवधि में केन्द्र द्वारा आयोजन हेतु प्रस्तावित शिविरों की सूची आगे दी जा रही है। इन प्रशिक्षण शिविरों में निम्न योग्यताएं व शर्तें पूर्ण करने वाले शिक्षकों के नाम नोडल अधिकारी को भिजवाए जा सकते हैं– **1.** प्रतिनियुक्त चयनित शिक्षक/शिक्षिका 48 वर्ष से कम आयु के हों। **2.** प्रतिनियुक्त चयनित कर भेजे गए शिक्षक/शिक्षिका को कम से कम दो वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। **3.** प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षक/शिक्षिका एवं प्रधानाध्यापकों को प्रतिभागिता हेतु प्रतिनियुक्त न करें। **4.** प्रतिनियुक्त शिक्षक/शिक्षिका 8 से 12वीं कक्षा तक में शिक्षण कर रहे हों। **5.** एक विद्यालय से केवल एक ही शिक्षक/शिक्षिका को पाठ्यक्रम में प्रतिभागिता हेतु प्रतिनियुक्त करें। **6.** प्रतिनियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाएं भाषा, भूगोल, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र इत्यादि विषय पढ़ा रहे हों। **7.** प्रतिनियुक्त शिक्षकों में शारीरिक शिक्षा/समाजोपयोगी एवं उत्पादक कार्य, योग, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक का चयन केन्द्र में स्वीकृत नहीं होगा। नेत्र शक्तिहीन शिक्षक/शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति भी मान्य नहीं है। **8.** जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं ने पूर्व में अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो उनका पुनः उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त न किया जाए।

क्र.सं.	विषय	तिथि	स्थान
1.	रोल ऑफ स्कूल्स इन कन्सर्वेशन ऑफ द नेचुरल एण्ड कल्चरल हेरिटेज	02 से 12 अगस्त, 2011	हैदराबाद
2.	ओरियेन्टेशन कोर्स	02 से 24 अगस्त, 2011	उदयपुर
3.	सोशियली यूजफूल प्रोडक्टिव वर्क/वर्क एक्सपिरियेन्स	03 से 13 अगस्त, 2011	नई दिल्ली
4.	सोशियली यूजफूल प्रोडक्टिव वर्क/वर्क एक्सपिरियेन्स	17 से 27 अगस्त, 2011	हैदराबाद
5.	ओरियेन्टेशन कोर्स	17 अगस्त से 09 सितम्बर, 2011	नई दिल्ली
6.	रोल ऑफ पपेटरी इन एज्यूकेशन	18 अगस्त से 03 सितम्बर	आसाम
7.	रोल ऑफ स्कूल्स इन कन्सर्वेशन ऑफ द नेचुरल एण्ड कल्चरल हेरिटेज	06 सितम्बर से 16 सितम्बर	हैदराबाद
8.	ओरियेन्टेशन कोर्स	06 से 29 सितम्बर, 2011	आसाम
9.	सोशियली यूजफूल प्रोडक्टिव वर्क/वर्क एक्सपिरियेन्स	07 से 17 सितम्बर, 2011	उदयपुर
10.	रोल ऑफ स्कूल्स इन कन्सर्वेशन ऑफ द नेचुरल एण्ड कल्चरल हेरिटेज	14 से 24 सितम्बर, 2011	नई दिल्ली
11.	रोल ऑफ पपेटरी इन एज्यूकेशन	27 सितम्बर से 13 अक्टूबर, 2011	उदयपुर
12.	रोल ऑफ पपेटरी इन एज्यूकेशन	04 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2011	नई दिल्ली
13.	ओरियेन्टेशन कोर्स	11 अक्टूबर से 04 नवम्बर, 2011	हैदराबाद

क्र.सं.	विषय	तिथि	स्थान
14.	आवर कल्चरल डाईवर्सिटी	12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 2011	आसाम
15.	रोल ऑफ स्कूल्स इन कन्सर्वेशन ऑफ द नेचुरल एण्ड कल्चरल हेरिटेज	01 से 11 नवम्बर, 2011	उदयपुर
16.	ओरियेन्टेशन कोर्स	01 से 24 नवम्बर, 2011	नई दिल्ली
17.	सोशियली यूजफूल प्रोडक्टिव वर्क/वर्क एक्सपिरियेन्स	15 से 25 नवम्बर, 2011	हैदराबाद
18.	ओरियेन्टेशन कोर्स	15 नवम्बर से 08 दिसम्बर, 2011	उदयपुर
19.	ओरियेन्टेशन कोर्स	05 दिसम्बर से 29 दिसम्बर, 2011	नई दिल्ली
20.	रोल ऑफ पपेटरी इन एज्यूकेशन	07 दिसम्बर से 22 दिसम्बर,2011	हैदराबाद
21.	सोशियली यूजफूल प्रोडक्टिव वर्क/वर्क एक्सपिरियेन्स	13 दिसम्बर से 23 दिसम्बर, 2011	उदयपुर
22.	ओरियेन्टेशन कोर्स	27 दिसम्बर 11 से 19 जनवरी, 12	उदयपुर
23.	रोल ऑफ स्कूल्स इन कन्सर्वेशन ऑफ द नेचुरल एण्ड कल्चरल हेरिटेज	02 जनवरी से 12 जनवरी, 2012	हैदराबाद
24.	ओरियेन्टेशन कोर्स	17 जनवरी से 09 फरवरी, 2012	नई दिल्ली
25.	सोशियली यूजफूल प्रोडक्टिव वर्क/वर्क एक्सपिरियेन्स	01 फरवरी से 11 फरवरी, 2012	हैदराबाद
26.	रोल ऑफ पपेटरी इन एज्यूकेशन	06 फरवरी से 22 फरवरी, 2012	उदयपुर
27.	रोल ऑफ पपेटरी इन एज्यूकेशन	21 फरवरी से 7 मार्च, 2012	हैदराबाद
28.	सोशियली यूजफूल प्रोडक्टिव वर्क/वर्क एक्सपिरियेन्स	06 मार्च से 16 मार्च, 2012	उदयपुर
29.	आवर कल्चरल डाईवर्सिटी	07 मार्च से 17 मार्च, 2012	आसाम
30.	सोशियली यूजफूल प्रोडक्टिव वर्क/वर्क एक्सपिरियेन्स	12 मार्च से 22 मार्च, 2012	हैदराबाद

12. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के संचालन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश : वर्ष 2011-12

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक–शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/स–1/ट्रा.वा./22474/2011-12/ दिनांक–17.6.2011 • विषय : बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश : वर्ष 2011-12 • बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए पूर्व वर्षों की भाँति वर्ष 2011-12 में भी ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना का संचालन किया जाएगा। योजना के संचालन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिनका भलीभाँति अवलोकन कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के तहत छात्रा ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत (कक्षा 9 से 12 तक) होना एवं राजकीय विद्यालय उसके निवास स्थल से 5 किलोमीटर अथवा इससे अधिक होना आवश्यक है। **2.** छात्रा द्वारा रोडवेज बस/प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी में निश्चित किराए की दर से यात्रा करना एकल व्यवस्था माना जावेगा। **3.** विद्यालय विकास समिति द्वारा मासिक किराए की दर पर टैक्सी व्यवस्था करने पर जहाँ रोडवेज बस/प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी का निश्चित किराए पर संचालन नहीं है, न्यूनतम पाँच छात्राओं द्वारा एक साथ यात्रा करना सामूहिक व्यवस्था माना जावेगा। **4.** एकल/सामूहिक व्यवस्था में प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन विद्यालय आने/जाने (दो तरफा) का वास्तविक किराया अथवा प्रतिदिन पाँच रुपये में से जो भी कम हो देय होगा। **5.** एकल व्यवस्था में छात्रा को 100/- (एक सौ रुपये मात्र) अग्रिम दिया जाना है तथा इसका समायोजन मार्च 2012 में करना होगा। **6.** विद्यालय आने/जाने (दो तरफा) का प्रतिदिन का किराया पाँच रुपये से अधिक होने पर अधिक राशि को स्वयं छात्रा द्वारा वहन किया जावेगा। **7.** सामूहिक व्यवस्था में छात्राओं को अग्रिम राशि देय नहीं है बल्कि प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी का मासिक किराया विद्यालय विकास समिति द्वारा निश्चित किया जावेगा तथा पाँच रुपये प्रति छात्रा कुल मासिक विद्यालय कार्य दिवस के हिसाब से समस्त छात्राओं को किराया (राजकीय अंशदान) राजकीय मद से और शेष प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी मासिक किराया समस्त छात्राओं द्वारा बराबर हिस्से से (छात्र अंशदान) विद्यालय विकास समिति कोष में जमा कराया जावेगा तथा प्रत्येक को प्राप्ति रसीद भी दी जावेगी। इस प्रकार से राजकीय मद और छात्राओं को प्राप्त शेष मासिक किराया मिलाकर विद्यालय विकास समिति द्वारा प्राईवेट बस/प्राईवेट टैक्सी मासिक को चुकाया जाएगा। **8.** छात्राओं को साईकिल योजना के स्थान पर ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा लेकिन इस योजना के अन्तर्गत पात्र छात्राओं को साईकिल योजना या ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना में से किसी एक योजना का ही लाभ दिया जाएगा। **9.** कक्षा 9 में साईकिल योजना से लाभान्वित छात्राओं को आगामी कक्षा में ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा यदि वह उसी विद्यालय में अध्ययनरत रहती है। लेकिन यदि कोई छात्रा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य किसी ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेती है जो उसके रहवास से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है तो उस छात्रा को ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सकता है। **10.** जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) प्रत्येक माह की सात तारीख तक व्यय एवं लाभान्वित छात्राओं की संख्या अपने मण्डल अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं मण्डल अधिकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपने अधीनस्थ जिलों की सूचना निम्नांकित प्रपत्र में फैक्स से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे–

प्रपत्र
ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना

प्रगति माह : .....

क्र. सं.	जिले का नाम	आवंटित बजट	योजना से लाभान्वित विद्यालयों की संख्या	कुल पात्र छात्राओं की संख्या	गत माह का व्यय	वर्तमान माह का व्यय	कुल व्यय (कॉलम 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

11. महत्वपूर्ण :- वर्ष 2011-12 के लिए कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25409/2011-12/4 दिनांक 09.6.2011 के द्वारा ऑनलाईन बजट आवंटन किया जा चुका है।

इस योजना के उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं योजना का लाभ प्रत्येक पात्र छात्रा को दिलाना सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय के सूचना पट्ट पर जानकारी के साथ-साथ प्रार्थना सभा में इस योजना की विस्तृत जानकारी भी छात्राओं को प्रदान की जावे। शेष निर्देश समसंख्यक पत्र दिनांक 16.06.2009 के अनुसार रहेंगे अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का भी भली-भाँति अवलोकन कर लें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

13. आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत ऑनलाइन बजट आवंटन एवं विभागीय वेबसाइट पर बजट आवंटन अपलोड करने बाबत

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक– शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2010-11/87 दिनांक– 09.06.2011 • विषय : आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत ऑनलाईन बजट आवंटन एवं विभागीय वेबसाइट पर बजट आवंटन अपलोड करने के क्रम में। • प्रसंग : वित्त विभाग का पत्र क्रमांक F-4(42)FD-1(1)B/2010 दिनांक 18.03.11, 28.03.2011 एवं 30.03.2011 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त सचिव, बजट, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक F-4(42)FD-1(1)B/2010 दिनांक 18.03.11, 28.03.2011 एवं 30.03.2011 के प्रासंगिक आदेशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित समस्त लेखामदों का मूल बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु IFMS सिस्टम के तहत Online जारी किया जा चुका है। साथ ही उक्त आवंटन आदेशों की प्रतियाँ लेखामदवार एवं जिलेवार विभागीय वेबसाईट (rajshiksha.gov.in) पर अपलोड कर दिया गया है ताकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले समस्त आहरण-वितरण अधिकारी अपने कार्यालय/विद्यालय में संचालित लेखामदों से सम्बन्धित बजट आवंटन की प्रतियाँ सुगमता से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकें।

समस्त उपनिदेशक/जिशिअ (माध्यमिक) को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने अधीनस्थ आने वाले समस्त कार्यालयों/विद्यालयों को इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी/निर्देश प्रदान करावें ताकि असुविधा से बचा जा सके।

भविष्य में भी आयोजना व्यय से सम्बन्धित समस्त योजनाओं के बजट आवंटन सम्बन्धी आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जावेंगे, अतः आवंटन पत्रों की प्रतियाँ वेबसाईट से प्राप्त की जा सकेगी। • ह. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/2010-11/ 87 दिनांक 09.06.2011

14. राजकीय विद्यालयों की भूमि/भवन के उपयोग से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराएं

• कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक– शि/प्रा/सा.प्रा./सी/रा.रा.मार्ग/09/326 दिनांक 10.6.11 • परिपत्र : प्रत्येक राजकीय विद्यालय की भूमि-भवन एवं अन्य सामग्री राजकीय सम्पत्ति है। अतः इन सभी का अन्य उपयोग होने पर/अवाप्त होने पर प्राप्त मुआवजा राशि सीधे ही राजकोष में जमा होनी चाहिए।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में ऐसे कई प्रकरण सामने आये हैं, जिनमें इस प्रकार प्राप्त की गई राशि को सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकोष में जमा नहीं करवाकर निर्माण कार्य/अन्य उपयोग में ले लिया गया है, जो कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की अवहेलना है।

अतः भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त प्रकार से प्राप्त राशि को सम्बन्धित संस्था/संस्था प्रधान द्वारा तत्काल सीधे ही राजकोष में ही जमा करवाया जाए। अत्यावश्यक परिस्थितियों में यदि इस राशि का उपयोग किया जाना हो तो राज्य सरकार को इसके विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि का उपयोग किया जाए। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शि/प्रा/सा.प्रा./सी/रा.रा.मार्ग/09/326 दिनांक 10.6.11

15. कक्षा आठवीं के लिए विषयवार प्रति सप्ताह कालांश निर्धारण

• कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक– शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3511/समान परीक्षा/11-12 दिनांक 15.6.11 • विषय : कक्षा 8 के लिए एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम अन्तर्गत कालांश व्यवस्था जारी करने बाबत। • उपरोक्त विषयान्तर्गत कक्षा 8 के लिए एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम जो सत्र 2011-12 से प्रारम्भ हुआ है, के अन्तर्गत निम्नानुसार कालांश व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश इस पत्र के साथ जारी किए जा रहे हैं। जिन्हें आप अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पालनार्थ जारी करावें।

क्र.सं.	विषय	कालांश व्यवस्था
1.	अंग्रेजी	6
2.	हिन्दी	6
3.	संस्कृत	6
4.	गणित	6
5.	विज्ञान	6
6.	सामाजिक विज्ञान एवं हमारा राजस्थान	6
7.	कार्य एवं शिक्षा (कार्यानुभव)	2
8.	कला शिक्षा	2
9.	पुस्तकालय	1
10.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	2
11.	निदानात्मक शिक्षण	5
	योग	**48 प्रति सप्ताह**

आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

आवश्यक निर्देश इस प्रकार हैं–

- सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षण अन्तर्गत भूगोल विषय पढ़ाते समय ''हमारा राजस्थान'' पाठ्यपुस्तक में समाहित भूगोल से सम्बन्धित विषय सामग्री की जानकारी भी सम्मिलित की जाए। इसी प्रकार इतिहास, राजनीति विज्ञान,

अर्थशास्त्र एवं अन्य विषय सामग्री भी सम्मिलित की जाए।

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन अन्तर्गत एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी शिक्षण हेतु निदानात्मक शिक्षण के लिए 5 कालांश प्रस्तावित किए हैं। ये कालांश हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अनुभूत कठिनाईयों के निवारण एवं उस कक्षा का स्तर प्राप्त करवाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।
- पूर्व में राज्य में कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए पृथक-पृथक पाठ्यपुस्तकें प्रचलित थी तथा इनके लिए 4-4 कालांश निर्धारित थे। एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम में इन विषयों के लिए पृथक से पुस्तक नहीं है, किन्तु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 कला, कार्य, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर बल देता है। अतः इनके पाठ्यक्रम अनुसार इन विषयों हेतु निर्धारित शैक्षिक प्रवृत्तियों यथा खेल, स्वास्थ्य, व्यायाम, गाइड, स्काउट, कला, कार्य आदि भी जानकारी निर्धारित 2-2 कालांश में दी जानी प्रस्तावित है।

कार्य एवं शिक्षा– कार्यानुभव के अन्तर्गत सृजनात्मक कार्य, उत्पादक कार्य, दैनिक जीवन में उपयोगी उपकरणों का रखरखाव एवं सामुदायिक कार्यों की जानकारी दी जाए।

कला शिक्षा– सौन्दर्य बोध एवं सौन्दर्यपरक जीवन जीने की क्षमता, सृजनात्मकता, मौलिकता, अपनी संस्कृति व लोक परंपराओं की जानकारी, कल्पनाशीलता का विकास, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जावें।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा– के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक उपचार, संतुलित भोजन, व्यायाम, योग, स्काउट/गाइड एवं खेलों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाए।

- एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों में यथा स्थान सन्दर्भ पुस्तकों, सन्दर्भ साहित्य के अध्ययन हेतु निर्देशित किया गया है तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 भी पुस्तकालय पर बल देता है। अतः निर्धारित कालांश में विद्यार्थियों को पुस्तकालय में अध्ययन का अवसर दिया जाए।

16. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के दस नए कार्यालय स्वीकृत

• कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • कार्यालय आदेश • राज्य सरकार के पत्र क्रमांक– प.1(11)प्राशि/आयो/2010 जयपुर, दिनांक 30.05.11 के द्वारा नवसृजित 10 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा पत्रांक–प.1(11)शिक्षा-1/प्राशि/आयो/2010 जयपुर दिनांक 07.06.11 द्वारा पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने के कारण नवगठित निम्न पंचायत समिति मुख्यालयों पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है–

क्र.सं.	पंचायत समिति	जिला
1.	खाजूवाला	बीकानेर
2.	चितलवाना	जालौर
3.	बूंदी	बूंदी
4.	ऋषभदेव	उदयपुर
5.	बावड़ी	जोधपुर
6.	धड़साना	श्रीगंगानगर
7.	रावतसर	हनुमानगढ़
8.	संगरिया	हनुमानगढ़
9.	पीलीबंगा	हनुमानगढ़
10.	टीबी	हनुमानगढ़

उक्त के मण्डल अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त कार्यालय स्थापित कर संचालित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/साप्र/बी/2634/नये कार्यालय/वो-2/9-10 दिनांक 17.06.2011

17. पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति हेतु राशि के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में अन्तिम तिथि 1.8.2011

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/द/एस.सी.एस.टी/2011-12 दिनांक 23.6.11 • विषय : पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए वर्ष 2011-12 के लिए छात्रवृत्ति के वास्तविक प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में • प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/एससी.एसटी/2011-12 दिनांक 19.04.11 • उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अपने जिले की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पात्र एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की कक्षावार संख्या व वांछित राशि के वर्ष 2011-12 के वास्तविक प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में सीधे ही छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को दिनांक 21.05.2011 तक आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिये गये थे लेकिन आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के उक्त छात्रवृत्ति के प्रस्ताव निम्नलिखित प्रपत्र में भरकर दिनांक 01.08.2011 तक आवश्यक रूप से छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ को भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र

योजना का नाम	कक्षा 6 से 8			कक्षा 9 से 10			योग राशि (4 व 7)
		सं.	राशि		सं.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
अजा. पूर्व मैट्रिक	छात्र			छात्र			
	छात्रा			छात्रा			
अजजा.पूर्व मैट्रिक	छात्र			छात्र			
	छात्रा			छात्रा			

• ह. प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

छात्रवृत्तियां 2011-12

संवेदनशील होकर भरवाएं छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र

❑ गिरिराज प्रसाद किराड़ू

कमजोर एवं जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ शासन द्वारा प्रदान की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिए पात्रता एवं माता-पिता की वार्षिक आय सीमा आदि निर्धारित है। इस प्रकार वांछित पात्रताएं रखने वाले छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं तिथिक्रम के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2011-12 हेतु विभिन्न छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम प्रसारित कर अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को विभाग की वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in पर भी अपलोड कर दिया गया है। संस्थाप्रधान, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं इस वेबसाइट से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी और जहाँ आवश्यक है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र के प्रारूप आदि मण्डल स्तर पर शिक्षा उपनिदेशक एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

संस्थाप्रधानों एवं शिक्षकों को चाहिए कि वे संवेदनशील होकर छात्रवृत्तियों के आवेदन-पत्र पात्र छात्र-छात्राओं से अपनी देखरेख में भरवाकर यथा समय-यथा स्थान प्रस्तुत करावें। कहना न होगा, ऐसा करके वे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पुण्य के भागीदार भी होंगे। हमारे संवेदनशील आयुक्त महोदय ने भी आपसे ऐसी अपील अपने दिशाकल्प में की है। कृपया शिविरा के इसी अंक में प्रकाशित दिशाकल्प का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें।

ये छात्रवृत्तियां नई नहीं हैं, अपितु पिछले कई वर्षों से सतत चल रहीं हैं। यहाँ तक कि बच्चों और उनके अभिभावकों को भी इनकी जानकारी है लेकिन शिक्षक व सारथी बनकर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करवाते हुए आवेदन-पत्र भरवाने का भागीरथ कार्य तो हमें ही करना है।

छात्र-छात्राओं द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु विभिन्न छात्रवृत्तियों के आवेदन-पत्र पूर्ण कर संस्थाप्रधान को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि सामान्यतः 20 जुलाई, 2011 रखी गई है। इसके पीछे तर्क यह है कि ग्रीष्मावकाश पश्चात् विद्यालय खुलने पर 15 जुलाई तक प्रवेश दिया जाता है और प्रवेश की अन्तिम तिथि के 5 दिन पश्चात् तक सभी आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि छात्र-छात्रा द्वारा प्रवेश लेते समय ही उसके लिए निर्धारित श्रेणी की छात्रवृत्ति का आवेदन-पत्र भरने हेतु उसे आवश्यक जानकारी, आवेदन-पत्र आदि दे दिए जाएं। इस प्रकार अन्तिम प्रवेश तिथि 15 जुलाई तक प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर 20 जुलाई, 2011 तक अपने छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। अधिकांश छात्रवृत्तियों के समेकित प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय में प्रस्तुत करने की निर्धारित अन्तिम तिथि 1 अगस्त, 2011 है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

1. ***छात्रवृत्ति–*** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (साधारण)। • **कक्षा–** 6 से 10 • **पात्रता–** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राएं। • **आय सीमा–** 44,500 रुपये तक। • **दर–** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपये मासिक छात्र तथा 75 रुपये मासिक छात्रा (10 माह के लिए)। कक्षा 9 से 10 के लिए 30 रुपये मासिक छात्र तथा 100 रुपये मासिक छात्रा (10 माह के लिए)। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कक्षा 6 से 8 छात्र/छात्रा 40 रुपये मासिक (10 माह के लिए) तथा कक्षा 9 से 10 छात्र/छात्रा 50 रुपये मासिक (10 माह के लिए)

2. ***छात्रवृत्ति–*** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (साधारण)। • **कक्षा–** 11 व 12 • **पात्रता–** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं। • **आय सीमा–** अनुसूचित जाति 2 लाख रुपये, अनुसूचित जनजाति 1 लाख 45 हजार रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग 44 हजार 500 रुपये। • **दर–** (1) अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए– छात्रावासी 380 रुपये मासिक तथा डे-स्कॉलर 230 रुपये मासिक (2) अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए– छात्रावासी 235 रुपये मासिक तथा डे-स्कॉलर 140 रुपये मासिक (3) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए– छात्रावासी 150 रुपये मासिक तथा डे-स्कॉलर 90 रुपये मासिक।

3. ***छात्रवृत्ति–*** अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (केन्द्र प्रवर्तित) • **कक्षा–** 1 से 10 • **पात्रता–** मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व फारसी अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र-छात्राएं। • **आय सीमा–** 1 लाख रुपये। • **दर–** प्रवेश शुल्क छात्रावासी के लिए : कक्षा 6 से 10 तक 500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो) • गैर छात्रावासी के लिए प्रवेश शुल्क : 500 रुपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो) • शिक्षण शुल्क छात्रावासी के लिए : कक्षा 6 से 10 तक 350 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए। • शिक्षण शुल्क गैर छात्रावासी के लिए : कक्षा 6 से 10 तक 350 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो) 10 माह के लिए। • **रखरखाव भत्ता–** कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण शुल्क छात्रावासी के लिए शून्य एवं गैर छात्रावासी के लिए 100 रुपये प्रति माह (दस माह के लिए), कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण शुल्क छात्रावासी के लिए 600 रुपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो)

एवं गैर छात्रावासी के लिए 100 रुपये प्रति माह (दस माह के लिए)।

4. *छात्रवृत्ति*– अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति • **कक्षा–** 1 से 10 • **पात्रता–** अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के छात्र व छात्राएं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) • **दर–** प्रवेश शुल्क छात्रावासी के लिए : कक्षा 1 से 2 तक -, प्रवेश शुल्क डेस्कालर के लिए : 110 रुपये मासिक • प्रवेश शुल्क छात्रावासी के लिए : कक्षा 3 से 10 तक 700 रुपये, प्रवेश शुल्क डेस्कालर के लिए : 110 रुपये मासिक। • डेस्कालर को 750 रुपये एवं छात्रावासी को 1000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

5. *छात्रवृत्ति*– करगिल युद्ध में अर्थात् 01.04.99 के पश्चात् युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति • **कक्षा–** 1 से 12 • **पात्रता–** 01.4.99 के पश्चात् हुए युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के सभी अध्ययनरत पुत्र व पुत्रियाँ • **दर–** कक्षा 1 से 12 तक 180 रुपये मासिक कुल 1800 रुपये (10 माह के लिए)।

6. *छात्रवृत्ति*– प्री-करगिल युद्धों अर्थात् 01.04.99 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांग के आश्रितों को छात्रवृत्ति • **कक्षा–** 1 से 12 • **पात्रता–** 01.4.99 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थायी विकलांगों के सभी आश्रित एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राएं • **दर–** कक्षा 1 से 12 तक 180 रुपये मासिक कुल 1800 रुपये (10 माह के लिए)।

7. *छात्रवृत्ति*– भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति • **कक्षा–** 11 व 12 • **पात्रता–** 55 प्रतिशत प्राप्तांकों से सैकण्डरी उत्तीर्ण पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियाँ • **दर–** कक्षा 11 व 12 तक, 100 रुपये मासिक (10 माह)

8. *छात्रवृत्ति*– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (विभागीय योजना) • **कक्षा–** 6 से प्रवेश तथा नवीनीकरण कक्षा 12 तक • **पात्रता–** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 1100 छात्र व छात्राओं हेतु जिनके गत कक्षा में 50 प्रतिशत अंक हो। चयन के लिए पात्र होंगे। • **आय सीमा–** आयकर दाता नहीं होना चाहिए। • **दर–** 37 विशेष उच्च प्रतिष्ठित शाला में अध्ययन करने के लिए समस्त खर्चे सम्बन्धित संस्था के प्रोस्पेक्ट्स अनुसार न्यूनतम एवं आवश्यक हो। राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाते हैं। जिसमें डेस्कालर व छात्रावास दोनों प्रकार के विद्यालय सम्मिलित हैं। निःशुल्क आवास, भोजन व्यय भी सम्मिलित हैं।

9. *छात्रवृत्ति*– अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्ति (टी.ए.डी. के माध्यम से) • **कक्षा–** 6 से प्रवेश तथा नवीनीकरण कक्षा 12 तक • **पात्रता–** अनुसूचित जनजाति के 200 छात्र-छात्राओं हेतु, जिनके गत कक्षा में 50 प्रतिशत अंक हों। आवेदन के लिए पात्र होंगे। • **आय सीमा–** आयकर दाता नहीं होना चाहिए। • **दर–** 37 विशेष उच्च प्रतिष्ठित शाला में अध्ययन करने के लिए समस्त खर्चे सम्बन्धित संस्था के प्रोस्पेक्ट्स अनुसार न्यूनतम एवं आवश्यक हों। राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाते हैं। जिसमें डेस्कालर व छात्रावास दोनों प्रकार के विद्यालय सम्मिलित हैं। निःशुल्क आवास, भोजन व्यय भी सम्मिलित हैं।

10. *छात्रवृत्ति*– भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली संस्कृत छात्रवृत्ति (भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना) • **कक्षा–** 9 से 12 • **पात्रता–** कक्षा 8 संस्कृत सहित उत्तीर्ण हो, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों व कक्षा 11 से 12 के छात्र जिन्होंने ऐच्छिक विषय संस्कृत लिया हो। • **दर–** कक्षा 9 से 10 तक 250 रुपये तथा कक्षा 11 से 12 तक 300 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह की छात्रवृत्ति देय। प्रति जिला कक्षा 9 से 12 तक 50-50 छात्रवृत्तियाँ देय।

11. *छात्रवृत्ति*– अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम योजना (भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना) • **कक्षा–** 9 व 10 से 12 तक का पुनः नवीनीकरण • **पात्रता–** कक्षा 8 उत्तीर्ण शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय का नियमित छात्र • **आय सीमा–** आयकर दाता नहीं होना चाहिए। • **दर–** चयनित 3 विद्यालय में छात्रावास का न्यूनतम व्यय विशेष कोचिंग, पुस्तकें, प्रयोगशाला की अतिरिक्त सुविधाएं।

12. *छात्रवृत्ति*– अनुसूचित जाति/जनजाति की योग्यता अभिवृद्धि हेतु एस.आई.ई.आर.टी. के माध्यम से शिविर का आयोजन • **कक्षा–** 9 • **पात्रता–** कक्षा 8 उत्तीर्ण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय का नियमित छात्र • **आय सीमा–** आयकर दाता नहीं होना चाहिए। • **दर–** शिविर में चयनित प्रत्येक जिले से 10 छात्राओं को प्रतिमाह 200 रुपये की दर से छात्रवृत्ति।

13. *छात्रवृत्ति*– जीवन बीमा निगम के माध्यम से पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार के दो बच्चों को छात्रवृत्ति कार्यकारी एजेन्सी– 1. शहरी क्षेत्र-नगर निगम/नगरपालिका, 2. ग्रामीण क्षेत्र-ग्राम पंचायत। • **कक्षा–** 9 से 12 • **पात्रता–** बी.पी.एल. परिवार के अधिकतम दो बच्चों को देय है (छात्र/छात्रा सहित) • **दर–** कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 100 रुपये (12 माह के लिए)।

उपर्युक्त वर्णित छात्रवृत्तियों के अलावा समय-समय पर विभिन्न पात्रताओं के विद्यार्थियों के लिए नई-नई छात्रवृत्ति योजनाएं जारी की जाती हैं। इनकी जानकारी पत्र-परिपत्रों के माध्यम से अधीनस्थ कार्यालयों को भिजवाई जाती रहती हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि उन योजनाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर पात्र छात्र-छात्राओं को उनका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

आयुक्तालय स्तर पर छात्रवृत्ति कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए पृथक से अनुभाग का गठन किया गया है जो सरकार की इस कार्य के प्रति गम्भीरता का स्वयमेव प्रतीक है। मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में उपनिदेशक एवं जिशिअ को छात्रवृत्ति कार्य के सम्पादन के लिए सहायक निदेशक/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को सामान्यतः प्रभारी बनाया हुआ है, आयुक्तालय स्तर से किसी जानकारी के लिए इन अधिकारियों से वार्ता की जा सकती है– **1.** श्री ओमप्रकाश सारस्वत, प्रभारी अधिकारी (094140-60038), **2.** श्री गिरिराज प्रसाद किराडू, अनुभाग अधिकारी (094144-26353), **3.** श्री नूतन हर्ष, सहायक लेखा अधिकारी (094140-26136)

– अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

पुस्तकें करें राष्ट्र निर्माण

❑ प्रवीण अरोड़ा

विचार संप्रेषित करने के विविध माध्यमों में ''पुस्तक'' ही ऐसा सशक्त साधन रहा है। जो संस्कृति के घटक जीवन मूल्य जातियों के अस्तित्व की विशेषताएं, देशकाल, भाषा, धर्म, कला संगत आदि की विरासत को अगली पीढ़ी को संस्कारित करने की सार्वदेशिक और सार्वकालिक क्षमता रखता है। राष्ट्र निर्माण एक अंतरंग प्रश्न है जो समान भाषा, समान धर्म, एकता इतिहास, समान जाति, भौगोलिक एकता और समान संस्कृति आदि से निर्मित होता है लेकिन भारत की संस्कृति, इतिहास में ऐसे आदर्श रहे हैं जिन्होंने विविधता में एकता को हृदयंगम किया है। युगों से राष्ट्र निर्माण का निरूपण शिक्षा व इसका साधन पुस्तकों द्वारा किया जाता रहा है।

अतीत से ही शिक्षा; विवेक, बुद्धि और न्याय को प्रस्थापित करने वाली रही है, बिना शिक्षा के विद्वान भी विपरीत आचरण करने वाला राक्षस बन जाता है। इसी कारण अरस्तू ने कहा है–

साक्षरों विपरीतत्वे राक्षसों भक्ति ध्रुवम्।

सदियों से चली आ रही शिक्षा की इस त्रिभुजी प्रक्रिया में एक दौर पर शिक्षक होता है, दूसरे पर विद्यार्थी; आधार से प्रारम्भ होने वाली दोनों भुजायें जहाँ मिलती है वहीं पर विद्या का जन्म होता है। यदि शिक्षा साध्य है तो उसका साधन पुस्तकें हैं यदि साध्य और साधन पवित्र हैं तो स्वतः ही राष्ट्र निर्माण होता जाएगा, उसे निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा को पुस्तकें समेटे हुए हैं और पुस्तकों के बेजान अक्षरों को अध्यापक अपनी प्रभावशाली वाणी द्वारा छात्रों तक पहुँचाता है, ज्ञान का निस्तारण जितना विद्यार्थी के अन्तर्मन को छू जाता है तो समझिये उतना ही अधिगम प्रगाढ़ हुआ। कबीरदास जी ने कहा है– *गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है,/गढ़ गढ़ काढ़े खोट।/अंतर हाथ सहार दे,/ बाहर वाहै चोट॥*

अर्थात् गुरु वह है जो भीतर से सहारा देता है और बाहर से चोट करता है, भीतर के सहारे से घड़े की दीवाल निर्मित होती है, बाहर की चोट से मजबूत होती है। सशक्त पाठ्यपुस्तकों और अध्यापक द्वारा प्रभावी संप्रेषण का सम्मिश्रण छात्र के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को इस तरह गढ़ देता है कि वह संकीर्णता, अहम के दायरे से बाहर आ जाता है। सच मानिये, शिक्षा की गंगा का उद्गम स्थल ही अध्यापक है।

पाठ्यपुस्तकों व राष्ट्र निर्माण का अन्योन्याश्रित होना– प्राचीन काल से ही पाठ्य पुस्तकें राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को जीवंत बनाये हुए हैं। यद्यपि मध्ययुग में राष्ट्र निर्माण कुछ धूमिल अवश्य हुआ लेकिन भारतीय परम्पराएं, संस्कृति, ग्रंथ साहित्य आदि राष्ट्र निर्माण को धूमिल नहीं कर पाएं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी राष्ट्र निर्माण का समता मूलक आदर्श प्रस्तुत किया गया जो आज भी प्रासंगिक है–

समानों व आकृतिः समाना हृदयनिवः।
समानमस्तु को मनो यथा वः सु सहावसित॥

पाठ्य पुस्तकों में महापुरुषों के जीवन चरित्र की समाहितता छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं विशेषतया प्राथमिक स्तर के बालकों में जाने पहचाने महापुरुषों का चित्रण उनके मन-मस्तिष्क में स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। महापुरुषों के चरित्र का वर्णन सत् मार्ग पर तो ले जाता है। साथ ही राष्ट्र को एक आदर्श संहिता भी सुझाता है। महापुरुषों की पाठ्य पुस्तकों में समाहितता छात्रों की राष्ट्र के प्रति पाठ्य पुस्तकों के प्रति निष्ठा पैदा करती है।

आज हिन्दी साहित्य की पाठ्य पुस्तकों में समाविष्ट पाठ– ईदगाह, ईद और होली, शरणागत, प्यार की नींव, पंच-परमेश्वर आदि पाठ, वर्णित प्रसंग चाहे महात्मा बुद्ध के हो अथवा रविन्द्र नाथ ठाकुर के– 'क्रोध को शांति से तथा बुराई को अच्छाई की शक्ति से जीतो, जब हृदय सूख जाए, उसमें करुणा की वर्षा करो। विद्या के पथ पर कई बार विफलताओं की पुनरावृत्ति विद्यार्थी के मन को अकर्मण्य व निराश बना देती है, वहीं पुस्तकों में उल्लिखित प्रेरणास्पद पंक्तियाँ नवस्फूर्ति का संदेश देती हैं। संसार की कोई भी बाधा कर्मनिष्ठा को बाधित नहीं करती तभी तो मानव की विलक्षण शक्ति को पहचानते हुए दिनकर सोये हुए मानव को जागृति का संदेश सुनाते हैं– *कहा आगन्तुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीन/हार बैठे जीवन का दाँव, जीतते मर कर जिसको वीर?/हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा जीवन की निःशेष/ कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में घर सुन्दर वेश।*

इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकें नारी के सम्मान व चरित्र को भी बहुत सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त करती हैं, जैसे कामायनी की श्रद्धा, साकेत की उर्मिला, यशोधरा की यशोधरा, प्रिय प्रवास की राधा, गोदान की धनिया, चन्द्रगुप्त की अलका जैसे नारी पात्र पुनर्जागरण की दृष्टि से भारतीय उपज हैं जो उस तथ्य को साकार रूप देते हैं– *जहाँ स्त्री की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं।*

पुस्तकों में प्राकृतिक स्थल विशेषतया नदियों की वन्दना समन्वित राष्ट्र निर्माण का चित्र उपस्थित करती है– *गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।/नर्मदे, सिन्धु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरूः।*

इसी प्रकार हिन्दी के कवियों ने विविधता में एकता को अंगीकार करते हुए अपनी रचनाओं को सफलतम ढंग से पुस्तकों में समाहित किया है। प्रसाद नाटकों में भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण पक्षों की अभिव्यक्ति व भारतवर्ष एवं अरुण यह मधुमय देश हमारा गीतों में सांस्कृतिक एकता का निरूपण विविधता को एकता के संदर्भ में किया है। बंकिम ने वन्देमातरम के माध्यम से देश की एकता को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत किया वहीं भारतेंदु युग द्विवेदी युग व छात्रावास युग में राष्ट्र निर्माण की अनुगूंज सुनाई देती है।

पाठ्य पुस्तकों की रचना चाहे किसी भी भाषा में क्यों न हो संस्कृत भाषा सदियों से एकमात्र वाहक भाषा ही है। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू की मूल शब्दावली संस्कृत ही है। आर्य समाज सनातन धर्म बौद्धों, जैनों, सिक्खों, मुसलमानों ने संस्कृत भाषा का अनुशीलन किया क्योंकि संस्कृत भाषा में हमारी संस्कृति, साहित्य के उत्कृष्ट रत्न छिपे हैं जो प्रान्तीयता व क्षेत्रीयता की संकीर्णता से जुड़े नहीं हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम के साथ अनिवार्य क्रम से जोड़ा जाए तथा अन्वेषण कर यथासंभव पाठ्यवस्तु के साथ सारगर्भित बनाया जाए।

– व्याख्याता
10/961, मालवीय नगर, जयपुर

प्रभावी सम्प्रेषण के आधार

❑ आशीष शर्मा

कम्यूनिकेशन क्या है? अंग्रेजी में कम्यूनिकेशन लैटिन शब्द 'कम्यून' से बना है, जिसका हिन्दी रूपान्तरण है- सम्प्रेषण। इसका अर्थ है अनुभव की अभिव्यक्ति का आदान-प्रदान। यह एक विधि है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपना सन्देश, विचार, ज्ञान या अनुभवों की यथार्थता का आकलन करता है। यह दोनों ओर से होने वाली एक प्रक्रिया (Process) है, जो मौखिक (Verbal), लिखित (Writing) और अशाब्दिक यानी संकेत, मुद्राएँ आदि (जिसे अंग्रेजी में Body Language कहते हैं), ढंग से स्थापित की जाती है। मौखिक सम्प्रेषण में वक्ता और श्रोता विचारों का तालमेल बैठाते हुए विषय-वस्तु की सत्यता स्थापित करते हैं, यह प्रक्रिया तभी अच्छी तरह से पूरी होती है, जब- 1. श्रोता को वक्ता के विचारों को जानने की जिज्ञासा होती है। 2. वक्ता को एक या अनेक श्रोताओं की आवश्यकता होती है।

सम्प्रेषण का इतिहास- कम्यूनिकेशन की आवश्यकता हमारे जन्म के साथ ही होती है। एक नवजात शिशु, चूँकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है रोने, हँसने, चिल्लाने से अपनी माता को संकेत करता है कि वह भूखा-प्यासा है अथवा उसे Uneasy Feeling है या कोई तकलीफ महसूस हो रही है और फिर माँ तत्काल उसकी देखभाल में जुट जाती है। इसका इतिहास मानव जाति की सभ्यता के साथ ही शुरू होता है। जब जंगली पशुओं से आत्मरक्षा का प्रश्न उठा, तब एक आदमी की बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए कम्यूनिकेशन की जरूरत महसूस की गई। बाद में लिखे गये वेदों एवं उपनिषदों के विचार मौखिक विधि से विश्व में स्थापित हुए और आधुनिक युग तक पहुँचे।

प्रभावी सम्प्रेषण की खोज- इसके बारे में हमारे उपनिषद् बतलाते हैं कि भृगु ऋषि के अन्दर ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा तभी शान्त हुई, जब वे वरुण के पास गए और वरुण ने इसका उपदेश एक ही बार में न करके उन्हें धीरे-धीरे पहले इस योग्य बनाया कि वे इसके रहस्य को भलीभाँति समझ सकें। ऋषि गौतम ने भी न्याय दर्शन में विचारों के आदान-प्रदान के लिए सम्प्रेषण की समुचित पृष्ठभूमि पर बल दिया था। इन दोनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रभावी सम्प्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि- • हम अपने विचारों को प्रकट करने से पहले तथ्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करें। • तत्पश्चात् दूसरे व्यक्ति के समक्ष हम अपने विचार समुचित ढंग से रखें। • वह व्यक्ति भलीभाँति समझकर उन विचारों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे अर्थात् अपने विचार अभिव्यक्त करें।

किसी तथ्य की जानकारी के निम्नलिखित पाँच आधार हैं- 1. **प्रत्यक्ष-** जो ज्ञानेन्द्रियों से होता है। 2. **अनुमान-** जो कल्पनाशक्ति से लगाया जाता है। 3. **उपनाम-** जो तुलनात्मक आकलन है। 4. **शब्द-** प्रयुक्त प्रमाण है। 5. **अनुभव-** स्वयं जानकारी है।

अनुभव की चीज में यह विशेषता होती है कि इसे व्यक्त करते समय आत्मविश्वास झलकता है और यही श्रोताओं को प्रभावित करता है। वेदों का जो भी ज्ञान हम तक पहुँचा है, वह परम्परागत रूप में मौखिक ही रहा है।

कम्यूनिकेशन एक टू-वे प्रोसेस है, इसमें तीन घटकों का होना अनिवार्य है– 1. सम्प्रेषक (Sender) 2. सन्देश (Message) 3. संग्राहक (Receiver)

सम्प्रेषण- प्रक्रिया की आवश्यकताएँ-

1. सम्प्रेषक के स्तर पर- • संदेश की पृष्ठभूमि में विचारों का सृजन। • संदेश का निर्माण। • सम्प्रेषण की विधि तय करना। • सम्प्रेषण के अवरोधों की जाँच करना। • संदेश का संचार।

2. संग्राहक के स्तर पर- • संदेश ग्रहण करना। • संदेश का मनन करना। • संदेश को स्वीकार या अस्वीकार करना। • प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति का प्रकार तय करना। • प्रतिक्रिया का संचार।

याद रखें ...

इफेक्टिव कम्यूनिकेशन में Skill की जरूरत होती है। यह Skill क्या है? "Skill is defined as the ability to do something well, especially as a result of experience."

सम्प्रेषक को अपना संदेश अनुभव के आधार पर अथवा दक्षतापूर्ण भेजना चाहिए, जिसमें उसका आत्मविश्वास झलके। ऐसे सम्प्रेषण में किसी प्रकार के संदेह अथवा अपूर्णता या असत्यता की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसा सम्प्रेषण प्रभावी होता है, क्योंकि यह उसके विचारों से तालमेल रखता है, उसके समझने और मनन करने योग्य है और उसका Response भी अवश्यम्भावी है। यदि इनमें से एक का भी अभाव है, तो यह माना जाएगा कि कम्यूनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहा।

आज New Technology का युग है। प्रायः सभी संस्थानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न प्रकार की बैठकें, गोष्ठियाँ या कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं, जिसमें प्रबन्धक और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होता है। प्रबन्धक की जिम्मेदारी है समय के अन्दर उनसे कार्य लक्ष्य या उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति करवाना। आज किसी भी प्रतिष्ठान की प्रगति 'हुक्म' से नहीं, बल्कि सभी के आपसी सहयोग से ही सम्भव है, चाहे नेतृत्व का प्रश्न हो या कार्य सम्पादन का, शॉप की इकाई-स्तर से लेकर पूरे प्रतिष्ठान स्तर की तमाम गतिविधियों का समुचित संचालन और नियंत्रण प्रोपर कम्यूनिकेशन के अभाव में सम्भव नहीं है।

किसी संस्थान में इफेक्टिव कम्यूनिकेशन के स्थापन से अग्रलिखित लाभ होते हैं– • कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा होता है। • उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। • टीम भावना का विकास होता है। • प्रतिष्ठान की साख बढ़ती है।

सम्प्रेषण एक कला है। आप एक ही बात दूसरे लोगों को अनेक ढंग से पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव एक-सा नहीं होता। कभी-कभी वे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अतः जरूरी है कि प्रभावी सम्प्रेषण में तकनीक का प्रयोग किया जाए।

"A clear and simple message will make your communication effective."

– व्याख्याता

शेखावाटी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डूण्डलोद, झुन्झुनूं

प्रकृति का अमूल्य उपहार - ''ग्रीन गोल्ड''

❑ अशोक गुप्ता

''वन'' एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसका कई सदियों से आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय महत्त्व सर्वविदित रहा है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही वन हमें भोजन, वस्त्र, ईंधन व आश्रय जैसी मूलभूत सुविधायें तो प्रदान कर ही रहे हैं, किन्तु साथ ही 'नीलकण्ठ' बनकर प्रदूषण से उत्पन्न विषैली गैसों को भी ग्रहण कर, बदले में हमें प्राणवायु ऑक्सीजन गैस भी प्रदान कर रहे हैं। वनों से हमें फल-फूल, चारा, रेशे, इमारती काष्ठ, गोंद, रेजिन, रंग, लाख, कागज, गत्ता, टेनिन, कत्था, नील, मसाले, स्याही, शहद, तेंदुपत्ता, पत्तल-दूने, माचिस की तीली, झाड़ू जड़ी-बूटियाँ व औषधियाँ इत्यादि अनेक मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों की शीतल छाया में जहाँ पथिक को विश्राम मिलता है, वहीं वन कई कीट-पतंगों, पक्षियों, कृमियों व जीव-जन्तुओं को आश्रय व जनन स्थान भी प्रदान करते हैं। छोटे-छोटे जीवाणु, कवक, लाइकेन्स, लतायें, शाक, वृक्ष व अनेक जीव-जन्तुओं से युक्त ये वन जैव विविधता के विशाल भण्डार हैं, जो 'खाद्य-शृंखला व खाद्य-जाल' के माध्यम से 'पारिस्थितिकीय संतुलन' बनाये रखने में मदद करते हैं। वन-वृक्षों की जड़ें, मृदा को बाँधे रखकर भू-संरक्षण का कार्य तो करती ही है, साथ ही मृदा-अपरदन व भूस्खलन को भी रोकती है, जहाँ एक ओर वन, वर्षा लाने में सहायक हैं, वहीं दूसरी ओर बाढ़ रोकने में भी सहायक है। वनों में उपस्थित वृक्ष 'विण्डब्रैक्स' का कार्य कर वायु के वेग को नियंत्रित कर मरुस्थल के फैलाव को भी रोकते हैं। शोर को अवशोषित कर ध्वनि प्रदूषण रोकने में भी वन सहायक है। वनों में पेड़-पौधों की पत्तियाँ, फल-फूल, टहनियाँ इत्यादि के गिरने से वन के फर्श पर जो कचरा एकत्रित होता है, वह कई सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर 'ह्यूमस' बनाता है, जिससे मृदा का स्तर मोटा, स्पंजी, वायवीय व जल अवशोषक बन जाता है। इस प्रकार वहाँ की मृदा उपजाऊ होकर अन्य पादपों को पनपने में सहायक तो होती ही है, साथ ही जल-धारण क्षमता बढ़ जाने से भूजल स्तर बढ़ाने में सहायता भी करती है। वनों में बने हुए राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य, जहाँ एक ओर 'जैव विविधता' के संरक्षण में सहायक हैं, वहीं दूसरी ओर 'पर्यटन' के माध्यम से 'विदेशी मुद्रा' अर्जित करने में भी सहायक है। इस प्रकार वनों के अनेकानेक लाभ व महत्त्व प्रतिपादित होने के कारण ही वनों को हरा सोना अर्थात् 'ग्रीन गोल्ड' कहा जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टी.एम. दास ने तो 50 वर्ष पुराने एक वृक्ष द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किये गये लाभ की कीमत ''15.70 लाख रुपये'' आँकी थी, जिससे स्पष्ट है कि यह वन रूपी ग्रीन-गोल्ड वास्तव में एक बहुमूल्य प्राकृतिक धरोहर है, जिसकी सुरक्षा करना हम सबका मूल कर्तव्य है।

महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि वृक्ष संवेदनशीलता व असीमित उदारता की जीती जागती प्रतिमूर्ति है, जो स्वयं के जीवन के लिए आपसे कुछ नहीं माँगते, वरन् अपने जीवन के सभी तत्व आपको उदारता के साथ जीवनभर अर्पित करते रहते हैं। वृक्ष उस कुल्हाड़ी लिए हुए व्यक्ति को भी छाया प्रदान करते हैं, जो उसे निर्ममता से काटते हैं।

किसी भी देश के स्वच्छ पर्यावरण हेतु लगभग एक तिहाई भूभाग अर्थात् 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना चाहिए, किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या की माँग पूर्ति एवं मानव के अत्यधिक लालची व स्वार्थी हो जाने के कारण भारत में वन केवल 20 प्रतिशत से भी कम भूभाग पर ही बचे हैं। राजस्थान में तो 11 प्रतिशत से भी कम भूभाग पर वन बचे हैं। लालची मनुष्य वनों को 'सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी' समझकर, सभी अण्डे एक साथ ही प्राप्त करने पर आमादा हैं। वृक्ष तो बिना मानव के भी जी लेंगे, किन्तु मानव बिना वृक्ष के नहीं जी सकता है।

वन-विनाश के दुष्परिणाम-

(1) भारत की एनर्जी सर्वे कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार वनों से प्राप्त जलाऊ लकड़ी की खपत 58 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 42 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हो रही है। जलाऊ लकड़ी हेतु वनों के कटाव से ईंधन, चारे व अन्य वन उपज का उत्पादन लगातार घट रहा है, जिससे हमारी परम्परागत सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है।

(2) वनों के विनाश से एवं बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण से उत्पन्न Co_2 जैसी गैसों के प्रभाव से तथाकथित 'ग्रीन हाउस प्रभाव' उत्पन्न हो रहा है, जिससे वायुमण्डल के औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। इससे निकट भविष्य में ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र के तटवर्ती नगर डूब जायेंगे।

(3) वृक्षों की कमी से प्राकृतिक 'जल-चक्र' बिगड़ गया है, कहीं भयंकर सूखा, तो कहीं भयंकर बाढ़ें आ रही हैं। कभी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाने वाला 'चैरापूंजी' वर्षाविहीन हो गया है, तो राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में बाढ़ें आ रही हैं।

(4) वन-विनाश के कारण ही वर्षा जल के बह जाने से भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।

(5) वन-विनाश से मृदा अपरदन बढ़ रहा है, जिससे बाँधों व तालाबों के पैंदों में मिट्टी तेजी से जमती जा रही है और उनकी गहराई कम हो रही है, जिससे निकट भविष्य में सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं को भी खतरा मँडराएगा।

(6) वन-विनाश से जैव विविधता में कमी आई है तथा कई बहुमूल्य एवं उपयोगी वन्य जीव व दुर्लभ वनस्पतियाँ विलुप्त हो गई हैं, तो कई विलुप्ति के कगार पर है।

(7) वन-विनाश में प्राणवायु-ऑक्सीजन के विपुल भण्डार में कमी आ गई है।

(8) वन-विनाश से हमें भविष्य में जलाऊ लकड़ी या जीवाश्मीय ईंधन उपलब्ध नहीं हो पायेंगे।

(9) वन-विनाश से प्राकृतिक खाद्य शृंखला व खाद्य जाल के विक्षोभित होने से 'पारिस्थितिकी संतुलन' बिगड़ जायेगा।

कैसे बचायें, 'ग्रीन गोल्ड' को ?

यदि हमें अपना शेष जीवन एवं हमारी भावी पीढ़ियों का जीवन सुखमय एवं स्वस्थ

रखना हो, तो हमें अभी से इस 'ग्रीन गोल्ड' रूपी धरोहर को बचाना ही होगा तथा इसके विस्तार के भी गम्भीर प्रयास करने होंगे। जैसे-

(1) वन क्षेत्रों में अत्यधिक पशु चराई को रोकना चाहिए।

(2) ऐसे वन क्षेत्रों में, जहाँ पर अत्यधिक चराई एवं वृक्षों की कटाई से भूमि बंजर हो गई है, उसे वृक्षारोपण कर पुनः उत्पादक एवं उपयोगी बनाया जा सकता है।

(3) सघन वन क्षेत्रों के चारों ओर अग्निरोधक वृक्षों की पंक्तियाँ लगाकर, उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है।

(4) वन क्षेत्रों के चारों ओर कंटीले तार लगा देने चाहिए अथवा कंटीली वनस्पतियाँ उगा देनी चाहिए।

(5) सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। तथा इनकी समय-समय पर मोनिटरिंग होनी चाहिए।

(6) रेलवे लाइन के किनारे, सड़क मार्ग के दोनों ओर तथा नहरों के किनारों पर सघन वृक्षारोपण कर 'ग्रीन गोल्ड' का विस्तार भी किया जा सकता है और मृदा संरक्षण भी।

(7) आम नागरिकों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को काम लेने हेतु प्रेरित करना चाहिए जैसे निर्धूम चूल्हा, सौर ऊर्जा, विद्युत शवदाहगृह का उपयोग इत्यादि।

(8) लकड़ी के फर्नीचर के उपयोग पर सरकारी स्तर से ही पूर्णतया पाबन्दी होनी चाहिए, इसके स्थान पर प्लास्टिक या स्टील फर्नीचर काम में लेना चाहिए।

(9) सबसे ज्यादा जरूरी 'पर्यावरण शिक्षा' को बढ़ावा देकर जन मानस को वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों पर अमल करने से ही हम हमारी प्राकृतिक सम्पदा 'ग्रीन गोल्ड' को सुरक्षित रख पायेंगे। अभी भी समय रहते इसे बचाने के गम्भीर प्रयास नहीं किये गए, तो प्रकृति तो अपना कार्य करेगी ही, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा।

– प्राध्यापक- जीव विज्ञान
राजकीय महात्मा गाँधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा, कोटा

अन्तर्राष्ट्रीय वन वर्ष की सार्थकता

❑ शिवनाम सिंह

हमारे जीवन के लिए समृद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। इसके लिए हमें विश्वभर के वनों की संरक्षा तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह अभियान न केवल सतत विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा बल्कि वन्य जीवन को आश्रयस्थल देते हुए उष्मीकरण का भी मुकाबला करेगा। इस दिशा में विश्व गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को अन्तर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया है। हम सब भी इस महत्त्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान देंगे।

प्रकृति संरक्षण वन्य जीवों से बनता है, जो पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। दूषित पर्यावरण से मनुष्य का जीवन गम्भीर संकट में पड़ जाता है। इसलिए प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा आवश्यक है। वनों के काटे जाने से वन्य जीवों की विलुप्ति हो रही है। जंगल में शिकार अधिक हो रहा है। तस्करी के माध्यम से वन्य जीव उत्पाद विदेशों को मोटे दाम पर बेचा जा रहा है। इससे वन्य जीवों पर संकट आ रहा है। जंगल का राजा शेर, बाघ, चीता, चिंकारा, गैंडे, हरिणों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, गोडावण, बाज, चील का भी बेरहमी से शिकार हो रहा है। ये सभी मनुष्य तथा प्रकृति के साथी हैं, इसकी पूर्ण सुरक्षा आवश्यक है।

मनुष्य ने प्राचीन समय से पाप-पुण्य के आधार पर वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण के प्रति चेतना को जाग्रत करने का प्रयास किया था। वह सफल भी रहा है, बट अमावस्या, सोमवती अमावस्या को पीपल की पूजा, कार्तिक माह में तुलसी की पूजा तथा खेजड़ी की पूजा करने से महिलाओं को वृक्षों के संरक्षण से जोड़ दिया गया है। राजस्थान में खेजड़ली नामक स्थान पर खेजड़ी (वृक्षों) की रक्षा के लिए अमृता देवी की देखरेख में 363 स्त्री-पुरुष तथा बालिकाओं ने खेजड़ों को न काटने देने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। पर्यावरण तथा वन संरक्षण की यह मिसाल विश्व में एक इतिहास के रूप में जानी जाती है।

स्वाधीनता के बाद हमारे देश में वनों का चीर हरण हो रहा है, अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं, वन्य जीवों का संहार हो रहा है, जो प्रकृति के लिए घातक है। राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर 33 प्रतिशत भू-भाग पर वन आच्छादित तथा 8 प्रतिशत भू-भाग वन्य जीवों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन यह प्रतिशत बहुत कम है। इससे जंगल साफ हो रहे हैं, हरे वृक्षों पर कुल्हाड़ियों से हमला हो रहा है। जंगलों के साफ होने पर पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। वनों को धरती का फेफड़ा माना जाता है। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भाग इन्हीं जंगलों से मिलता है। कभी पृथ्वी के चारों ओर इनकी हरी पट्टियाँ थीं, लेकिन वृक्षों के अंधाधुंध विनाश से धरती के जीवन को खतरों में डाल दिया है। वनों का अपना विशिष्ट महत्त्व है। पेड़-पौधे पर्यावरण की सुरक्षा कर प्रकृति संतुलन बनाए रखते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक वन लगाकर अपने क्षेत्र को हरा-भरा तथा लुभावना बनाएँ। वनों का विनाश हमारे पर्यावरण का विनाश है। उपजाऊ भूमि का कटाव, भयंकर बाढ़, भूस्खलन, भयावह सूखा, वर्षा की कमी, पर्यावरण प्रदूषण वन उन्मूलन के ही परिकार्य है। इस प्रकार वनोन्मूलन से होने वाली हानि अपरिमित है। इसका पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। अतः हमें समय रहते हुए वनों के विनाश को रोकना है। धरती की हरियाली को पुनः स्थापित करना है। इस हेतु वन प्रबन्धन में सुधार की आवश्यकता है। वनों की कटाई पर नियंत्रण तथा वन संरक्षण पर जोर देना पड़ेगा, तब ही हम वन संरक्षण कर सकेंगे। तब ही हम अन्तर्राष्ट्रीय वन वर्ष की सार्थकता को सिद्ध कर सकेंगे।

– सेवानिवृत्त रीडर
114, अमरसिंहपुरा, बीकानेर

उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द : जीवन व लेखन

❑ रामगोपाल राही

नियति में संघर्ष, लेखनी व कलम में सुयश। बात करें हिन्दी साहित्य के महान लेखक प्रेमचन्द जी की। प्रेमचन्द जी, हाँ- प्रेमचन्द जी, जिनके व्यक्तित्व व कृतित्व से देश व दुनियाँ परिचित है। जिनके साहित्य में मार्मिक मानवीय भावनाओं का सार्थक, सकारात्मक चिन्तन मिलता है। वस्तुतः प्रेमचन्द जी नये मूल्यों के जनक भी थे तथा सामाजिक चेतना में प्रेमचन्द जी साहित्य में शीर्ष व प्रमुख हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में कथोपकथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रेमचन्द जी ने अपने साहित्य में स्त्रियों सम्बन्धी सभी समस्याओं पर अपनी कलम चलाई और सकारात्मक चिन्तन प्रस्तुत किया है, जैसे- दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, संयुक्त परिवार में नारी की स्थिति, कर्त्तव्यपरायणता तथा उनका आभूषण प्रेम, यहाँ तक कि 'सेवासदन' उपन्यास में वेश्याओं तक की समस्या पर उन्होंने दृष्टिपात किया है। किन परिस्थितियों में नारी वेश्या बनने को मजबूर होती है, इस प्रश्न के बारे में प्रेमचन्द जी ने समाधान प्रस्तुत किया है। उनके साहित्य में नारी जीवन पर भरपूर लिखा हुआ मिलता है। सद्चरित्र और दुश्चरित्र नारी में क्या अन्तर है, किस तरह का वातावरण और परिस्थितियाँ उनके जीवन पर हावी हो जाती हैं, नारी जब एक बार गिरती है तो गिरती ही जाती है... उसका संभलना कठिन होता है। प्रेमचन्द जी ने नारी संदर्भों में कर्म और विचार की संकीर्णता से मुक्त, अपनी सशक्त अभिव्यक्ति व सजीव यथार्थता के साथ अपने साहित्य में स्थान दे वर्णित किया है। प्रेमचन्द जी आदर्शवादी कथाकार व लेखक थे, उनका मत था कला जीवन के लिए है न कि मात्र कला के लिए। प्रेमचन्द जी के साहित्य में कथानक सामान्य होते हुए भी वर्णन-पटुता एवं आकर्षक शैली में सजीव हैं। प्रेमचन्द जी की बहुचर्चित कहानियाँ, आज भी विद्यार्थी वर्ग को पढ़ने को मिलती हैं, स्वतः स्थान बना लेती है, कहानियाँ आज भी प्रासंगिक व असरदार हैं। वस्तुतः प्रेमचन्द जी प्रगतिशील साहित्यकार थे। भारतीय कथा साहित्य में नवयुग के प्रवर्तक थे। साहित्यकार के रूप में कई लोग उन्हें तुलनात्मक रूप से भारत का गोर्की तथा हार्डी मानते थे। उल्लेखनीय विदेशी साहित्यकार गोर्की व हार्डी के साहित्य में मेहनतकश लोगों की दशा का

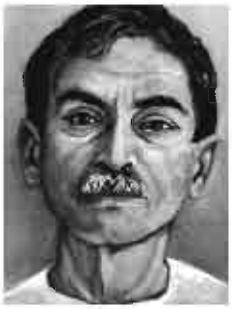

चित्रण होता था। हिन्दी साहित्य के महान लेखक प्रेमचन्द जी का जन्म 1880 ई. में 31 जुलाई को बनारस के समीप लमही गाँव में हुआ। इनका शुरू का नाम धनपत राय था, इनके चाचा इनको नवाब कहते थे, इनके पिता अजायबराम तथा माँ आनन्दी देवी थी। प्रेमचन्द जी के पारिवारिक जीवन में तीन बहिनें, एक छोटा भाई था। इनमें दो बहिनें अकाल मृत्यु का ग्रास हो गई थीं। पिता डाकखाने में काम करते थे। वेतन अल्प था, घर खर्च भी मुश्किल से चलता था। प्रेमचन्द जी पाँच वर्ष के थे, इनकी माँ मर गई। इन्हें फिर बड़ी बहिन का स्नेह मिला, बड़ी बहिन की शादी के बाद, प्रेमचन्द जी अकेले रह गए। प्रेमचन्द की पढ़ाई-लिखाई का हाल बड़ा विचित्र था। प्रारम्भिक शिक्षा के दौरान यह विद्यालय से गायब रहते थे, पूछने पर नित नये बहाने बना लेते थे। शिक्षा फारसी-उर्दू में हुई, क्योंकि उस समय का दौर ही कुछ ऐसा ही था। पिता का अक्सर जगह-जगह स्थानान्तरण होता, इन्हें नई-नई जगह देखने को मिलती, इससे इनको नई-नई जगह का काफी अनुभव मिला। चौदह वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। पत्नी सुन्दर नहीं थी, स्वभाव भी ठीक नहीं था। इनकी पत्नी से बनीं नहीं, वह इन्हें छोड़ हमेशा के लिए मायके चली गई। बाद में प्रेमचन्द जी ने बालविधवा शिवरानी से शादी की। प्रारम्भिक शिक्षा फारसी, उर्दू में होने से इन्हें हिन्दी नहीं आती थी, इन्हें उर्दू उपन्यास पढ़ने का काफी शौक था, उपन्यासों के चक्कर में यह स्कूल जाना भी भूल जाते थे। रेनाल्ड के उपन्यास भी उन्होंने खूब पढ़े। इसी दौरान तत्कालीन कथा साहित्य में तिलिस्म इ-होशरूबा को कई बार पढ़ा, इसी उम्र में इन्होंने पुराणों के उर्दू में अनुवाद भी पढ़ लिए।

घर में बीबी सौतेली माँ, उसके दो बच्चे, आमदनी तनिक नहीं, जो जमा था वो भी पिता की लम्बी बीमारी के बाद मृत्यु पर क्रिया-कर्म में खर्च हो गया। इनकी इच्छा थी एम.ए. करने की, वह पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। नौकरी मिलना आसान न था, मिल भी जाती तो सामान्य तथा दस-बारह रुपया महीना मिलता था। यह उस वक्त की बात है जब यह बनारस के क्वीन्स कालेज में दसवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, हेडमास्टर ने फीस माफ कर रक्खी थी। परीक्षा के दिनों में वह शहर से पाँच मील दूर पैदल किसी लड़के को पढ़ाने दिन में साढ़े तीन बजे निकलते, रात आठ बजे से पहले घर आना होता नहीं था। खाने के बाद लैम्प रोशनी में पढ़ने बैठते, कब नींद आ जाती थी, पता भी नहीं रहता। इन हालातों में परीक्षा में नहीं बैठ सके। पिता की मृत्यु के बाद बढ़ती उम्र, जिम्मेदारियों का अहसास, आर्थिक हालत बड़ी खराब थी, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़े भी सही पर फीस माफ नहीं हुई। अगले साल परीक्षा में बैठे- द्वितीय श्रेणी में पास हुए, प्रथम श्रेणी में होते तो फीस माफ होती व प्रवेश मिलता। अब प्रेमचन्द जी ने हिन्दू कालेज में प्रवेश लेना चाहा, मगर दाखिले के इम्तहान में गणित में फेल हो गए, वह गणित में बहुत कमजोर थे। इन्होंने खुद लिखा "गणित मेरे लिए गौरीशंकर की चोटी थी।" अब हालात और भी खराब हो गए, मुसीबतों की जिन्दगी या जिन्दगी ही मुसीबत हो चली थी। जीवन की हर डगर पर निराशा कम न थी, मुसीबतों से बचने की कोई सूरत न थी। इन्होंने स्वयं लिखा "पैसों की दिक्कत तो मुझे हमेशा ही रहती थी।" बनारस में पढ़ते वक्त उन्हें अपना गर्म कोट, दो रुपये में बेचना पड़ा, जो बड़ी मुश्किल से कुछ अर्से पूर्व सिलाया था। भाग्यहीनता-दीनता की पराकाष्ठा, वह नौकरी भी करना चाहते थे पर खुद यह नहीं जानते थे, कहाँ जाएँ, कैसे कोशिश करें। हालात पूरी तरह बिगड़ चुके, क्योंकि महाजन ने भी उधार देने से मना कर दिया था। इन्हीं कुसंयोगों व परिस्थितियों के बीच इन्होंने अपनी सारी पढ़ी घर में रखी किताबें किसी दुकानदार को बेची और दुकान से नीचे उतरे, इतने में एक बड़ी-बड़ी मूछों वाले व्यक्ति ने जो वहीं दुकान के नीचे बैंच पर बैठा था, सब सुन

देख रहा था, इनसे स्वतः परिचय किया। वस्तुतः वह व्यक्ति किसी प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर था, जिसे अपने स्कूल में अध्यापक की जरूरत थी, उसने अगले ही दिन से प्रेमचन्द जी को अठारह रुपये महीने में अपने स्कूल में अध्यापक रख लिया। समझे-वक्त ने करवट ली हो।

अब बात उपन्यास सम्राट - प्रेमचन्द के लेखन की, देखने में यही अहसास होता है, लेखन के क्षेत्र में, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के धनी थे। उदात्त सृजनात्मक-कल्पना के फलस्वरूप उनकी भाषा अत्यन्त मधुर, ओजपूर्ण, मुहावरेदार व रचना कौशल में आकर्षक शब्दावलीयुक्त देखी जा सकती है। प्रेमचन्द जी की भाषा में नैसर्गिक प्रवाह स्वमेव मुखरित होता नजर आता है। प्रत्येक पात्र की चारित्रिक विशेषताओं, योग्यता, परिस्थिति और अवस्था के अनुरूप कहीं तो भाषा अत्यन्त परिमार्जित, कहीं सारगर्भित तो कहीं साहित्यिक और कहीं संस्कृतनिष्ठ लगती है। वस्तुतः प्रेमचन्द जी की वर्णन-शक्ति बड़ी प्रबल व असरदार है। उनके कथोपकथन बहुत ही सजीव, पात्रों के अनुकूल सारगर्भित और प्रभावशाली नजर आते हैं। प्रेमचन्द के उपन्यासों में पात्रों का चरित्र चित्रण अपने आपमें काफी आकर्षण रखता है। डॉ. नगेन्द्र के अनुसार प्रेमचन्द जी का सबसे प्रधान गुण है उनकी व्यापक सहानुभूति। उनके व्यक्तित्व का मानव-पक्ष अत्यन्त विकसित था। प्रेमचन्द जी के लेखन में उनकी सरकारी नौकरी का बड़ा योगदान रहा। जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण होता, नई जगह नए लोग मिलते और मिलते नए अनुभव, एक लेखक के लिए अनुभव सबसे बड़ी पूँजी हुआ करती है। नए-नए अनुभवों का प्रभाव प्रेमचन्द जी के उपन्यास व कहानियों में अनुभव किया जा सकता है। सन् 1910 में जब गणित ऐच्छिक विषय हो गया, प्रेमचन्द जी ने इण्टरमीडिएट पास किया। इसके बाद बी.ए. की परीक्षा में भी सफल रहे। लेखन 1901 में आरम्भ कर चुके थे, इनकी पहली कहानी उर्दू में जमाना पत्रिका में छपी थी - नाम था ''अनमोल रत्न'', कहानी काफी चर्चित हुई। कहानी की सबसे खास बात यह थी जो इन्होंने लिखी कि देश की आजादी में बहाए गए खून का एक कतरा दुनियाँ के मँहगे से मँहगे रत्न से ज्यादा कीमती है। कहानियों से पूर्व हम प्रेमचन्द जी के उपन्यासों की चर्चा करते हैं। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों को हम इस तरह देखे– 'सामाजिक'– सेवासदन, वरदान, प्रतिज्ञा कायाकल्प, निर्मला और गबन। प्रेमचन्द जी सामाजिक उपन्यासों में 'गबन' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 1931 में गबन के प्रकाशित होने तक प्रेमचन्द जी उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित हो चुके थे। गबन एक समस्यात्मक सामाजिक उपन्यास है तथा दुखान्त-सुखान्त का मिश्रण है। प्रेमचन्द जी के राष्ट्रीय उपन्यासों में प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि। उपन्यासों में सामाजिक उपन्यास– राष्ट्रीय उपन्यासों की बुनियाद है। प्रतिज्ञा, वरदान, सेवासदन (1907), प्रेमाश्रम (1922), निर्मला (1923), रंगभूमि (1924), कायाकल्प (1928), गबन (1931), कर्मभूमि (1932), गोदान (1936), मंगलसूत्र (अपूर्ण रहा)। प्रेमचन्द जी के कुछ उपन्यासों के कथानकों में 'वरदान' में प्रेम और विवाह की सामाजिक समस्या का चित्रण है। 'प्रतिज्ञा' में विधवाओं की समस्याओं पर आधारित था। 'सेवा सदन' में वेश्या-समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण, 'प्रेमाश्रम' में किसान जमीदारों के सम्बन्ध की बात इनके वृहद उपन्यास 'रंगभूमि' में प्रेम, त्याग, बलिदान का आदर्श प्रस्तुत हुआ है। वस्तुतः प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में तत्कालीन समय अथवा युग की समस्याओं का दर्पण समझा जा सकता है, उपन्यासों में स्वाधीनता की गूँज स्पष्ट दिखाई देती है।

अब चर्चा प्रेमचन्द जी की कहानियों की, कहानियों के क्षेत्र में भी प्रेमचन्द्र जी की कहानियाँ पाठकों पर अमिट छाप छोड़ती हैं। कहानियों में मार्मिक प्रसंग और दृश्यों का चुनाव, प्रभाव की व्यंजना तथा मनःस्थितियों का चित्रण हृदय पर छाप छोड़ता ही छोड़ता है, इनकी कहानियाँ भी उपन्यासों से कम प्रभावी नहीं। कहानियों में जीवन सम्पर्क सहानुभूति के साथ कल्पना की मनोरमता, मानव स्वभाव का सूक्ष्म विश्लेषण, वैचित्रय तथा प्रवाह है, अतः इन्हें हिन्दी कहानी के जन्मदाता भी कहा जाता है। इनके कहानी संग्रहों में सप्त सरोज, अग्नि समाधि, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम पचीसी, प्रेम-पूर्णिमा, प्रेम प्रसून, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रमोद, प्रेम द्वादशी, प्रेम पचीसी, प्रेम चतुर्थी, पंचफूल, कफन, समर यात्रा, मानसरोवर (चार भाग)। इनके उर्दू के कहानी संग्रहों में प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, प्रेम चालीसा, सोजे-वतन, फ़िरदोसे ख्याल, ज़ादेराह, दुःख की कीमत, वारदात, आखिरी तोहफा, ख्वाबो ख्याल, खाके परवाना आदि-आदि। ऐतिहासिक कहानियों के साथ इन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी। राष्ट्रीय सोच, स्वाधीनता सोच पर लिखी कहानियों के संग्रह सोजे वतन पर इनको कलक्टर ने बुलवाया और डांटा और कहा 'अंग्रेजी राज में तुम न होते - तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाते।' आइन्दा न लिखने की चेतावनी देते हुए - सोजे वतन की सारी प्रतियाँ जब्त करने को कहा। कलम के धनी प्रेमचन्द जी बराबर लिखते रहे, इनके मित्र निगम साहब ने इन्हें अब प्रेमचन्द के रूप में ही प्रस्तुत किया। पहले यह नवाब के नाम से लिखते थे। 1915 में जब प्रेमचन्द जी की पंच परमेश्वर कहानी छपी, इस सुविख्यात कहानी से प्रेमचन्द जी को काफी लोकप्रियता मिली। जनसम्पर्क भी इनका पहले से अधिक हो गया। वस्तुतः प्रेमचन्द जी का साहित्य में भरपूर योगदान रहा है, इन्होंने कर्बला, रूहानी शादी, संग्राम, प्रेम की वेदी नाटक लिखे, वहीं निबन्धों में कुछ विचार (दो भाग), कलम, तेग और तलवार, जीवनियों में महात्मा शेखसादी, दुर्गादास, बाल साहित्य में, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, रामचर्चा, मनमोदक आदि पुस्तकें लिखीं। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा अनुवादित पुस्तकें भी हैं।

लेखन में मशगूल प्रेमचन्द जी ने काफी लिखा, अस्वस्थता भी बढ़ने लगी थी। 1921 में इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उल्लेखनीय है प्रेमचन्द जी पूर्व में ही 1928 में शिक्षा विभाग में डिप्टी इन्सपेक्टर बन चुके थे। इस्तीफा के बाद ये गाँधी जी के चलाए असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हो गए, जेल भी गए। आन्दोलन में शामिल होने पर इन्होंने लिखा 'गोरखपुर में गाँधी जी ने दो लाख लोगों के बीच भाषण दिया। उनमें एक श्रोता (मैं प्रेमचन्द भी था), वह लिखते हैं महात्मा जी के दर्शनों का यह प्रभाव था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा। इन्होंने जागरण पत्र भी निकाला, माधुरी, हंस का सम्पादन भी किया, यह अपनी आमदनी हंस के घाटे में लगा देते थे। सरस्वती प्रेस का कार्य भी देखा। इसी बीच साहित्य प्रेमी अलवर नरेश ने प्रेमचन्द जी को अपने यहाँ आने के लिए व्यक्ति भेजा, उसके साथ पत्र भेजा। अलवर नरेश ने लिखा था चार सौ रुपया महीना, मोटर, बंगला आदि सभी सुविधा देने को लिखा। अलवर नरेश ने इन्हें सपरिवार बुलाया था। प्रेमचन्द जी का उत्तर था– ''मैं बागी आदमी हूँ,

इसीलिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, राजा साहब को पत्र में यह भी लिखा ..... मैं इतने में ही अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप मेरे लिखे को ध्यान से पढ़ते हैं।'' घाटे व कर्जदारी के चलते इन्होंने खादी की दुकान भी लगाई, मगर दुकान चलाना इनके बस की बात न थी। 1934 में प्रेमचन्द जी फिल्म कम्पनी के बुलावे पर बम्बई (मुम्बई) चले गए। आठ हजार रुपए वार्षिक पर इकरार हुआ। क्योंकि कर्ज चुकाना था। विचारधारा मेल नहीं खाई, यह साल भर रुक लौट अंतिम बार लमही चले गए। बाद में बनारस आ गए। इधर हंस पत्रिका पर भारतीय साहित्य परिषद का अधिकार हो गया, प्रेमचन्द जी को इससे मानसिक कष्ट हुआ। इसी बीच लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, प्रेमचन्द जी सभापति पद से बोले (भाषण के अन्तिम शब्द) **''हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का वर्णन हो (प्रकाश) हो।''**

इसी दौरान जून 1936 में पेट में अचानक दर्द हुआ, खून के दस्त, कै, रोग बढ़ता ही आ रहा था। वह लमही जाना चाहते थे पर पत्नी शिवरानी ने जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि इलाज की समस्या सामने थी। अंतिम समय निकट समझ अपने मित्र अपने मित्र दयानारायण निगम और नैनेन्द्र कुमार को बनारस ही बुला लिया। बोले ''दुबारा मुलाकात की उम्मीद नहीं'' देर रात तक बातें करते रहे, सात अक्टूबर की रात - आठ अक्टूबर की प्रातः (दिन) भारत के कर्मठ साहित्यकार प्रेमचन्द जी की छप्पन वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई।

देश के महान साहित्यकार प्रेमचन्द जी अपने अमर साहित्य के साथ हमेशा अमर हैं। भारत के महान साहित्यकार प्रेमचन्द जी की कीर्ति आज भी देश व दुनियाँ में है। हिन्दी साहित्य व देश को प्रेमचन्द जी पर हमेशा गर्व रहेगा। प्रेमचन्द जी का साहित्य-चेतना से भरा पूरा प्रकाश पुंज है, जिसकी प्रासंगिकता कभी भी नहीं भुलाई जा सकती।

– से.नि. व्याख्याता
मोहल्ला गणेशपुरा, वार्ड-5,
लाखेरी-323615, जिला - बूँदी (राज.)

लहर कार्यक्रम - एक परिचय

❑ **निर्मला शर्मा**

बालकों को खेल-खेल में आनन्ददायी शिक्षण गुणात्मकता के साथ शिक्षा देने वाले कार्यक्रम का नाम है– 'लहर कार्यक्रम'।

कक्षा 1 व 2 के बालकों के लिए राजस्थान में अभी इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। यह कार्यक्रम 33 जिलों में संचालित है, जिसमें प्रथम चरण (2008-09) में 4735 विद्यालय, द्वितीय चरण (2009-10) में 1412 नये विद्यालयों, तृतीय चरण (2010-11) में 4435 नए विद्यालयों का चयन कर प्रारम्भ किये गये हैं।

इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए सात जिलों में यूनिसेफ के सहयोग से कार्य सम्पादित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु एक जिला समन्वयक एवं क्षेत्र में कार्य करने हेतु एफ.आर. लगाये गये हैं। इस कार्यक्रम के संचालन में सर्व शिक्षा अभियान, कार्यालय, डाइट, यूनिसेफ का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

लहर कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक बालक को महत्त्वपूर्ण मानते हुए स्वयं की गति, क्षमता, स्तर से सिखाने के अवसर प्रदान करना है।

बालकों की अन्तर्निहित शक्तियों को सही दिशा प्रदान कर नैतिक गुणों को विकसित करने वाला कार्यक्रम है– लहर कार्यक्रम LEAR ''Learning Enhancement Activity in Rajasthan'' लहर कार्यक्रम R.T.E. 2010 की भावनाओं के अनुरूप बाल केन्द्रित शिक्षा को बढ़ावा देने वाला। लहर कार्यक्रम एक प्रक्रिया है, जिसमें गतिविधियों के माध्यम से बालकों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही बालक के पास स्वयं सीखने के अवसर उपलब्ध हैं, जिससे वह पूर्णतया स्वतंत्र रूप से अपनी गति को तीव्र करके सीखता हुआ, सहपाठियों को सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकता है।

लहर कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि प्रारम्भिक स्तर पर बालकों की नींव मजबूत करनी अति आवश्यक है। विद्यालय से बालकों के जुड़ाव को सुनिश्चित करते हुए नामांकन एवं ठहराव में बढ़ोत्तरी करने, शिक्षाक्रम के अनुसार क्षमताएँ अर्जित करने के लिए आनन्ददायी शिक्षण करना आवश्यक है, जिसमें बालक की क्षमता, गति, स्तर को ध्यान में रखते हुए बाल केन्द्रित शिक्षण कराया जाए।

अतः लहर कार्यक्रम उपरोक्त अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। बालक इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय समय में सक्रिय रहते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखता रहता है, जिससे बालक के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ता मिलती है। लहर कार्यक्रम के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं–

(1) यह कार्यक्रम प्रत्येक बालक पर केन्द्रित। (2) बच्चे के स्तर एवं उसकी गति के अनुसार सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। (3) बालकों का बदलते समूह में बैठना। (4) बहुरंगी सामग्री। (5) बाल मित्र कक्ष। (6) बच्चों के अभ्यास के लिए सामग्री। (7) सहायक किताबें। (8) शिक्षक के पास विभिन्न स्तरों पर काम करने के अवसर। (9) शिक्षक को प्रत्येक बालक का स्तर ज्ञात होना। (10) शिक्षक का बालकों के साथ बैठकर काम करना। (11) सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में ही बच्चों का आकलन। (12) बच्चों द्वारा किये गये काम का कक्षा-कक्ष में नियमित प्रदर्शन। (13) बच्चों के स्तर एवं उनकी प्रगति का कक्षा में प्रदर्शन। (14) अनुपस्थित रहने की स्थिति में बालक ने जहाँ से काम छोड़ा है, वहीं से काम शुरू करना। (15) बालकों का स्वयं करके सीखना। (16) बालक का स्वयं सीखना व सिखाने में सहपाठियों की मदद करना। (17) मजबूती, सुनिश्चितता के साथ बालक का अध्ययन हेतु आगे बढ़ना। (18) कक्षा-कक्ष में चल रहे शिक्षण कार्यों से पिछड़ जाने की सम्भावना से मुक्ति अर्थात् स्वाभाविक गति से बालक सीखने के लिए आगे बढ़ता है।

शिविरा विचार मंच

बालिका शिक्षा और हम

*बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में पाली के जिला कलक्टर **श्री नीरज के. पवन** के सद्प्रयासों को शिविरा के जनवरी 2011 अंक में **धन्यवाद कलक्टर साहब ! आइये हम भी करें कोई पहल** शीर्षक से सुधि पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमनें शिविरा विचार मंच की स्थापना की थी। इस विचार मंच के अन्तर्गत निवेदित विषय **बालिका शिक्षा और हम** के लिए शिक्षक पाठकों के अनुभवाधारित संस्मरण हमें प्राप्त हुए। ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय बस खुले ही हैं। एक नया जोश सबके मन में है। इस वर्ष बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने का संकल्प लें हम। शिक्षक जो ठान लेता है, उसे पूरा कर दिखाता है। शिविरा विचार मंच के लिए प्राप्त संस्मरण यहाँ प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस विषय पर अब भी आप अपने अनुभूत अनुभव एवं सुझाव भेज सकते हैं। कृपया अपना संक्षिप्त परिचय एवं फोटो भी अवश्य भिजवाएं।* **– वरिष्ठ सम्पादक**

आशा की आस हुई पूरी

क्या तुमने प्री-एस.टी.सी का फार्म भर दिया है। दो माह पूर्व 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे चुकी मेरे विद्यालय की छात्रा आशा से मैंने पूछा।

यह क्या, मेरे इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में आशा फफक कर रो पड़ी। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बस, उसके सिर पर हाथ रखकर यही कहा, बेटा रो मत। क्या बात है। मुझे बता।

''गुरुजी, मेरे पिताजी ने मेरा फार्म भरने से मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने जिस लड़के से मेरी सगाई की है, वह निरा अनपढ़ है। इतना ही नहीं, पिताजी कहते हैं कि जितनी भी लड़कियाँ पढ़ी हैं, वे सब अपना ससुराल छोड़ आई है। इसलिए मुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे।'' आशा ने कहा।

बच्ची को दिलासा देकर भेज दिया और सायं को उसके पिताजी से मिलकर उनकी गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए बालिका शिक्षा का महत्त्व समझाया। वे स्वयं अनपढ़ थे। मैंने उन्हें स्वयं का उदाहरण दिया कि यदि पिताजी नहीं पढ़ाते तो एक चरवाहे का बेटा यानि मैं आज भी पशुओं को लिए गाँव-गाँव डोलता। यह पढ़ाई का ही फल है कि आज मैं +2 स्तर विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। आप बालिका को जरूर पढ़ाओ। वह पढ़ने में होशियार है। आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। अन्त में मैंने ब्रह्मास्त्र उपयोग करते हुए प्रस्ताव किया कि वे आशा को मुझे गोद दे दें। अब तक तो वे द्रवित हो चुके थे। मेरे प्रस्ताव पर पलट कर बोले, 'मेरी इतनी अच्छी बेटी को भला गोद कैसे दे दूँ। गुरुजी, आप निश्चिंत रहिए, आशा आगे पढ़ेगी और आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी।

मुझे अपनी जीत में आशा का स्वर्णिम भविष्य दिखाई देने लगा। मेरी दृष्टि में समाज में दकियानूसी विचार, रूढ़िवादिता, गरीबी, बाल विवाह, जल्दी सगाई, सहशिक्षा, उच्च शिक्षा के माहौल का अभाव, बेटी के पराया धन होने की मान्यता एवं बालिका की सुरक्षा की चिन्ता आदि बालिका शिक्षा की राह के प्रमुख काँटे हैं इनसे निजात पाए बिना बालिका शिक्षा का निष्कंटक पथ प्रशस्त नहीं हो सकता।

– मिट्ठूलाल रेबारी, प्रधानाचार्य
रा.उ.मा.वि., निकुम्भ (चित्तौड़गढ़)

महिला सरपंच बनी बालिका शिक्षा की पुरोधा

सन् 1994 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रधानाध्यापक बनने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग बीकानेर जिले के गाँव बरसिंहसर में हुई। वहाँ मैंने देखा कि लड़कियों को बहुत कम पढ़ने को भेजते हैं। साथी शिक्षकों से चर्चा की लड़कियों की पढ़ाई पर वे हामी तो भरते लेकिन अन्ततः यह कहकर चुप्पी धारण कर लेते कि गाँव में ऐसा ही होता है।

स्टाफ के साथ विमर्श करने के बाद हमने जनसम्पर्क का सिलसिला शुरु किया। प्रतिदिन सायं को घर-घर जाकर बालिकाओं की पढ़ाई का महिमा मण्डन करते और बालिकाओं को स्कूल में भर्ती करवाने का अनुरोध करते। उस समय ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती बाधुदेवी थीं। उनके पति श्री भोमराज आर्य प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सरपंच और प्रधान रहने के साथ ही सार्वजनिक जीवन में सशक्त

हस्ताक्षर थे। पन्द्रह अगस्त-छब्बीस जनवरी के समारोहों में वे ही मुख्य अतिथि होते। आर्य साहब से सम्पर्क कर अपना मंसूबा बयां किया। वे खुश हुए कि बालिका शिक्षा की वकालात करने वाला कोई हेडमास्टर गाँव में आया तो सही।

इस बीच गणतंत्र दिवस 1995 आ गया। हमने भोमराज जी से निवेदन किया कि इस वर्ष वे समारोह की अध्यक्षता करें तथा मुख्य अतिथि बनकर झण्डारोहण व परेड की सलामी लेने का कार्य सरपंच महोदया करें और उसी मंच से बालिका शिक्षा की मुहिम शुरु कर दी जावे। स्टाफ उत्साह से सराबोर था। बहुत भव्य समारोह हुआ। सरपंच महोदया ने सिर पर पल्लू धारण कर झण्डारोहण किया तो उपस्थित लोगों का जोश देखने वाला था। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता श्री भोमराज आर्य ने बालिका शिक्षा को केन्द्र बनाकर जोशीला भाषण दिया। ग्रामीणों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि वे अब बालिकाओं को स्कूल के पढ़ने के लिए भेजेंगे।

हमने सर्वे कर स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को चिह्नित किया और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पाँच माह बाद सत्र 1995-96 में बड़ी संख्या में बालिकाओं का नामांकन स्कूल में हुआ। उस वर्ष राज्य सरकार ने कक्षा पहली से आठवीं में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई। सरपंच महोदया ने कक्षा 9-10 की बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें ग्राम पंचायत की ओर से प्रदान कर बालिका शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया।

– संजय सेंगर, प्रधानाध्यापक
रा.मा.वि., गिन्नाणी पंवारसर, बीकानेर

बालिकाओं ने सीखी साइकिल चलानी

वर्ष 2005 से 2008 तक मेरी पोस्टिंग भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील के अन्तर्गत ग्राम पाटन के प्राथमिक विद्यालय में थी। इस दौरान बस में सफर करते समय एक शिक्षक के मुँह से सुना दृष्टांत रह-रहकर याद आता है। जिसमें शिक्षकों द्वारा अप-डाउन करने की बुराई में छिपी अच्छाई वाकई मनन करने योग्य है। निःसंदेह शिक्षकों का यह रूप उन्हें गरिमा दिलाने वाला है। बस में सहयात्री गुरुजी की कहानी उन्हीं की जुबानी प्रस्तुत है–

वासस्थान के कस्बे से पदस्थापन माध्यमिक विद्यालय के बीच 20-25 किलोमीटर की दूरी होने के कारण हम चार सहकर्मी शिक्षक बस से अप-डाउन किया करते थे। यह बात लगभग पन्द्रह वर्ष पहले की है। पदस्थापन विद्यालय के स्थान से बस से उतरने वाले स्थान की दूरी लगभग तीन किमी. होने के कारण हमने वहाँ साइकिलें रखी हुई थीं। बस से उतर कर साइकिल से स्कूल जाते और वापसी में साइकिल से स्कूल से बस स्टॉप तक आते।

बस स्टॉप वाले स्थान से लड़के तो विद्यालय जाते थे लेकिन लड़कियों को भेजने से माँ-बाप घबराते। हम शिक्षकों ने उन्हें समझाया तथा साइकिल पर बालिकाओं को स्कूल भेजने की सलाह दी। गाँव वाले हँस दिए। हमने हार नहीं मानी। समझाईश का दौर चलता रहा। आखिर बात इस शर्त पर बनी कि बालिकाएं हम शिक्षकों के साथ साइकिल चलाती स्कूल जाएंगी तथा इसी प्रकार छुट्टी होने पर लौटकर आएंगी। जिस दिन शिक्षक नहीं आएंगे, उस दिन बालिकाएं स्कूल नहीं जाएंगी तथा किसी दिन यदि शिक्षक पूर्णावकाश से पूर्व लौटकर आएंगे तो बालिकाएं भी उनके साथ ही आएंगी।

इस प्रकार बालिकाओं ने साइकिल चलाना सीखा तथा हमारे साथ आना-जाना कर दसवीं तक की पढ़ाई पूर्ण की। सरकार ने तो अब साइकिल वितरण शुरू की है। हमारा यह दृष्टान्त तो वर्षों पुराना है। शिक्षक चाहे तो बालिका शिक्षा को प्रोन्नत करने की दिशा में कई प्रकार की आहुतियाँ दे सकता है। हमारे इस प्रयास से न केवल बालिकाओं ने पढ़ाई ही की अपितु उनका सशक्तीकरण (Girls Empowerment) भी हुआ।

– पवन स्वामी, अध्यापक
रा.प्रा.वि., सुगनाराम की ढाणी, अक्कासर, बीकानेर

मेरिट में आई बालिका

बात 1983-84 की है। तब मैं श्रीगंगानगर जिले की सीमावर्ती तहसील अनूपगढ़ स्थित राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल में अंग्रेजी विषय के व्याख्याता के रूप में कार्यरत था। स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में सहशिक्षा थी। अध्ययनरत बालिकाओं के उत्साहवर्द्धन के लिए सभी शिक्षक प्रयत्नरत रहते थे। बालिकाएं लड़कों से स्वयं को कमतर नहीं समझें, इस बात का हम ध्यान रखते थे।

अपने कक्षागत शिक्षण के अलावा, मैंने छात्र-छात्राओं को कह रखा था, कि वे रिसेस अथवा किसी रिक्त कालांश में अपनी अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी समस्याओं को लेकर मेरे से मिल सकते हैं। इस सिलसिले में बालिकाएं अक्सर अपने प्रश्न व जिज्ञासाएं लेकर मिलती रहती थी। इससे उनमें अंग्रेजी भाषा के प्रति लगाव बढ़ा।

अंग्रेजी व्याकरण सम्बन्धी मेरे पास रही पुस्तकें भी मैं बालिकाओं को देता। एक बालिका, जिसका नाम अंजना था, सुन्दर-सुन्दर अक्षरों में इन पुस्तकों के नोट उतारती तथा शंकाओं को अलग से लिखकर लाती। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन दिनों विभिन्न प्रकाशक अपनी सहायक पुस्तकों/पासबुकों की नमूना प्रतियाँ शिक्षकों को मानार्थ देकर जाते थे। मैं इन नमूना प्रतियों को भी जरूरतमंद बालिकाओं को दे देता। कुल मिलाकर एक आत्मीय रिश्ता बालिकाओं के साथ स्थापित हो गया। जब बोर्ड की हायर सैकण्डरी परीक्षा का परिणाम निकला तो छात्रा अंजना ने पूरे प्रान्त में चौथा स्थान प्राप्त किया जिसकी उस क्षेत्र में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था।

इस प्रकार शिक्षक के स्नेहिल व्यवहार, हौंसला अफजाईभाव तथा

संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध करवाने से बालिकाओं को जो प्रेरणा व बल मिलता है, उससे उनकी उपलब्धि की सम्भावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं।

– मोहनदान देपावत, व्याख्याता (अंग्रेजी)
पुलिस थाने के पास, गंगाशहर, बीकानेर

खोया विश्वास पुनः पाया बालिका ने

बात कुछ वर्ष पहले की है। मैं दसवीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाती थी। कक्षा में 60 से अधिक लड़कियाँ थीं। इतनी बड़ी कक्षा में सभी पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन था। फिर भी किसी का असामान्य व्यवहार शिक्षक की नज़र से छिपा नहीं रह सकता। मैंने इस कक्षा में पाया कि एक लड़की चुपचाप रहती है। उसकी कोशिश यह रहती है कि कोई उससे कुछ पूछ न ले। उसका व्यवहार मुझे असामान्य सा लग रहा था। अपनी दुविधा से निकलने के लिए मैंने एक दिन उससे प्रश्न पूछा। वो खड़ी हो गयी पर चुपचाप रही। मैंने उसे उत्तर देने के लिए बाध्य किया। जैसे ही वो बोली पूरी कक्षा हँसने लगी। मैंने उस लड़की को पास बुलाया तो वह रोने लगी। लड़की हकलाने के कारण हीनभावना से ग्रसित थी। उसने पढ़ाई छोड़ने की बात मुझसे कही। मैं चिन्तित हो गई पर जैसे-तैसे मैंने उसे समझाया। मैंने इस बात को स्टाफ के अन्य सदस्यों के सामने रखा। सभी की चिन्ता मेरी जैसी थी। यह तय हुआ कि सभी उसका हौंसला बढ़ाएगी।

मैंने अगले ही दिन कक्षा में जाकर गला खराब होने का बहाना कर उसे पाठ पढ़ने के लिए कहा। वह अटक-अटक कर पढ़ रही थी। मैं और पूरी कक्षा उसका हौंसला बढ़ा रहे थे। अब मैंने रोजाना यही नियम बना लिया कि पहले उससे पाठ पढ़वाती फिर अध्यापन करती। मेरी अन्य साथी भी अपनी-अपनी तरह से उसका मनोबल बढ़ा रही थी। उसका खोया विश्वास लौटने लगा। चमत्कारिक रूप से उसका हकलाना भी ठीक हो रहा था। उस लड़की ने दसवीं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। मेरा उससे अनजाना सा रिश्ता बन गया। बारहवीं कक्षा में विदाई समारोह में मेरे मना करने पर भी वो मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा लाई। मैंने उसे खोला तो उसमें एक पत्र था जिसमें लिखा था, मैडम आप नहीं होती तो मैं पढ़ाई छोड़ देती। आपने मुझे माँ जैसा स्नेह दिया। मेरी आँखें छलछला गईं। मेरे लिए वह पत्र किसी पुरस्कार से कम नहीं था। मेरी लाडली अब हकलाती नहीं है। अब वो स्नातक करने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण ले रही है।

– निर्मला शर्मा, अध्यापिका
रा.बालिका उ.मा. विद्यालय, नापासर (बीकानेर)

प्रस्तुति : मुकेश व्यास, वरिष्ठ प्र.स. शिविरा
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सेवा के सोपान

जयपुर : राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, बजाज नगर के तत्वावधान में ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रदेश के शहरों व कस्बों के रेलवे स्टेशनों तथा बस स्टेण्डों पर यात्रियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई। इसी शृंखला में 17 मई 2011 को गाँधीनगर (जयपुर) रेलवे स्टेशन पर शीतल जल सेवा शुरू की गई। यहाँ स्थापित की गई शीतल जल प्याऊ का उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा आयुक्त एवं स्टेट कमिश्नर (स्काउट) **श्री भास्कर ए. सावन्त** ने यात्रियों की जल सेवा करके किया। यह उल्लेखनीय है कि गाँधीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रथम बार ग्रीष्मकालीन शीतल जल सेवा का पुनीत कार्य स्काउट-गाइड की स्थानीय एसोसिएशन, रामनिवास, जयपुर के सौजन्य से इस वर्ष ग्रीष्मावकाश में 17 मई-30 जून 2011 तक किया गया। जिसकी न केवल मुसाफिरों अपितु आम नागरिकों ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस ग्रीष्माकालीन शीतल सेवा का कार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हरसूलिया फागी के प्रधानाध्यापक श्री दीनदयाल गर्ग के नेतृत्व में किया गया।

टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट और प्रशासन व्यवस्था

❑ डॉ. एन.के. खीचा

हर संगठन, संस्थान, उपक्रम समस्याओं के ऊहापोह में है। समस्या निपटान की वैज्ञानिक अप्रोच सम्पूर्णता से, बेहतर ढंग से, गुणवत्ता के आधार पर लागू किये जाने का नाम है **टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट** (टी.क्यू.एम.)। यह नागरिकों को बेहतर सेवा/उत्पाद देने का प्रयास है। टी.क्यू.एम. सतत सुधारों की प्रक्रिया है। टी.क्यू.एम. प्रजातान्त्रिक तरीका है जिसमें कार्यशील सभी कर्मियों की सहमति होती है। इस प्रक्रिया (प्रोसेस) में एक का थोपा हुआ निर्णय नहीं होता है। टी.क्यू.एम. समस्या के समाधान में विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिससे समस्या के भीतर झांकने का अवसर मिलता है। प्रक्रिया विश्लेषण से इसमें निखार आता है। प्रक्रिया में आने वाली बाधाएँ मिटती है। प्रक्रिया लघु एवं सारगर्भित बनती है। अनर्गल चैनल्स प्रतिबन्धित होते चले जाते हैं। टी.क्यू.एम. में कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं हो सकती है। हर संगठन एवं उपक्रम की अपनी सोची-समझी बेहतर प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे उपभोक्ता को अप्रत्याशित आनंद मिले। बेहतर सेवा/उत्पाद मिले। प्रक्रिया सरलीकृत हो जाए। व्यक्ति नहीं बल्कि व्यवस्था (System) स्वतः ही काम करें। कार्य को श्रेष्ठतम ढंग से करना ही टी.क्यू.एम. की भावना (Spirit) है जिससे किये जाने वाले कार्य/सेवा/उत्पाद की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हो। गुणवत्ता सतत बनी रहे।

बेहतर व्यवस्था के मानक : बदलते परिवेश में शहरों, गाँवों तथा कस्बों में आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ रही है, अधिकारों के प्रति सतत सशक्त वातावरण बन रहा है। जहाँ राजकीय तंत्र सबसे बड़ा सेवादाता है तथा बड़ी अधिक संख्या में कर्मियों का उपादान एकाधिकार व्यवस्था में आम नागरिक को सेवा देने में लगा है। प्रश्न है कि दी जाने वाली सेवा की क्वालिटी में कैसे सुधार आवे? यद्यपि कई क्षेत्रों में निजी कम्पनियाँ, सरकारी सेवाओं से स्पर्धा में जुटी हैं जैसे टेलीफोन, यातायात, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, डाक सेवा, प्रशिक्षण तथा संविदा के आधार पर रख-रखाव (साफ-सफाई, सुरक्षा, बागवानी आदि) किन्तु राजकीय तंत्र में कर्मी परिवर्तन के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं लेकिन बदलते स्पर्धा युग में सोचने-विचारने को मजबूर होना ही पड़ेगा। प्रायः राजकीय कार्यालयों में कार्य निस्तारण मंद गति से तथा आपदा आने पर ताबड़तोड़ प्रबंधन व्यर्थ एवं संसाधनों का नुकसान चलता ही रहता है। जरूरी है कि प्रबंधन पर दृष्टिपात हो। हमारी राजकीय व्यवस्था विश्वास (Trust) पर आधारित कम है और प्रायः अविश्वास (Mistrust) को आधार बनाकर चलती है जबकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट विश्वास पर आधारित होती है। यह व्यवस्था दोहरेपन के मापदण्डों में नहीं जीती है। अन्दर-बाहर में अन्तर नहीं करती है। व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम पाँच ''एस'' लागू किये जाने चाहिए– (1) Sorting (छंटाई) (2) Systematization (व्यवस्थापन/कम स्थापन/सुव्यवस्था) (3) Sensitize (सुग्राही बनाना/सुग्राहित) (4) Standardization (मानकीकरण) (5) Self discipline (स्व-अनुशासन)।

सफाई एवं व्यवस्था : कार्यालयों में सर्वप्रथम सफाई की जाये। धूल-धूसरित पत्रावलियों की मिट्टी उड़ाई जाये। जिन पत्रावलियों की जरूरत ही नहीं है उन्हें अभिलेखागार में जमा कराया जाये तथा जिन पत्रावलियों की समयावधि पूर्ण हो गई है उन्हें जाया (Weeding) किया जाये। अभियान चलाकर ये कार्यवाहियाँ करनी चाहिए। कमरों में आलमारियाँ, रैक्स तथा अन्य फर्नीचर जितना जरूरी है उतना ही रखा जाय। बरामदों अथवा खुले में फर्नीचर एवं पत्रावलियों को न रखा जाये। शेष कार्यशील पत्रावलियों को तरकीब से लेबल लगाकर आलमारियों एवं कमरों को व्यवस्थित किया जाये। पत्रावलियों को धूल, धूप एवं आर्द्रता (नमी) से बचाया जाये।

कर्मियों की पहचान : कर्मियों को जागरूक बनाया जाये। उन्हें पहचान दी जाये। कर्मियों को उनकी टेबल पर नेमप्लेट एवं कर्मी को लगाने हेतु लेपल कार्ड, जिस पर स्वयं की फोटो लेमिनेटेड हो, लगाने हेतु आज्ञात्मक (Mandatory) बनाया जाये। अधिकारी छोटा हो या बड़ा, पहल तो उसे ही करनी होगी। अधिकारी समर्पित भाव से नेतृत्व करें। तदर्थ व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। धीरे-धीरे स्वपोषित वित्त व्यवस्था प्रत्येक कार्यालय में लागू की जाये।

मानकीकृत व्यवस्था : कार्य का मानदण्ड, पैमाना एवं गुणवत्ता तय की जाये। अनावश्यक प्रपत्रों को कम किया जाना चाहिए। कागजविहीन, कम्प्यूटरीकृत उत्तरदायी एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। मानक स्थापित किये जायें। गुणवत्ता की निरन्तरता बनाए रखी जाये।

स्व-अनुशासन : प्रत्येक कार्यालय देश, राज्य एवं समाज का अभिन्न अंग हैं। कार्य में की जानी वाली लापरवाही, शिथिलता से हानि आम नागरिकों की होती है। यह सोच कर्मियों में विकसित की जाये जिससे स्व-अनुशासन आवे। थोपे हुए अनुशासन के बजाय स्व-अनुशासन विकसित करने के उपक्रम अबाध चलते ही रहने चाहिए। समाज के प्रेरणास्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। परिणान्मोमुखी गुणवत्ता सम्पन्न व्यवस्था पर दृष्टि रहनी चाहिए। नियमित रूप से प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में प्रशिक्षण कितना दिलाना है यह कार्य प्रशिक्षण में भेजे जाने से पूर्व प्रशिक्षण प्रभारी को संगठन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से विचार-विमर्श एवं आवश्यकता का विश्लेषण करके तय करना चाहिए।

मूल्यांकन : राजकीय संगठन/उपक्रम को चाहिए कि उनके कर्मियों को दिये गये प्रशिक्षण के प्रभाव, ज्ञान, दक्षता एवं रुझान का मूल्यांकन किया जाये।

बिजनेस एक्सलेन्स मॉडल : ब्रिटिश सरकार के विकास के बिजनेस एक्सलेन्स मॉडल (व्यवसाय उत्कृष्ट मॉडल) की भाँति अग्रांकित नौ विभिन्न पैरामीटर्स को विकसित करना चाहिए– (1) समर्पित नेतृत्वशीलता (Committed leadership) (2) कर्मियों का प्रबंधन (People Management) (3) नीति एवं रणनीति (Policy and Strategy) (4) संसाधन (Resources) (5) प्रक्रिया (Process) (6) कर्मियों की सन्तुष्टि (People Satisfaction) (7) उपभोक्ता सन्तुष्टि (Customer Satisfaction) (8) समाज पर प्रभाव (Impact on Society) एवं (9) परिणाम

(Result)। बिजनेस एक्सलेन्स मॉडल का स्वरूप निम्न प्रकार है–

सतत सुधारों के प्रति जागरूक बनना होगा। समयबद्ध एवं सुनियोजित रणनीति अपनानी होगी। टीम आंतरिक सेवा प्रदायकों के साथ मिलकर काम करने के लिए आवश्यक संसाधनों/सुविधाओं का उचित प्रबंधन होना चाहिए। प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। टीम को उचित तकनीकी विकास के साथ समयानुकूल रखना होगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट के पाँच स्तम्भ है– (1) समर्पित भाव (2) नेतृत्व (3) संगठन (4) प्रक्रिया एवं (5) उत्पाद सेवा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेन्ट सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन है।

संगठन/उपक्रम के प्रति समर्पण भाव : राजकीय संगठन/उपक्रम के प्रति समर्पण भाव के लिए आवश्यक है की कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नेतृत्व सकारात्मक, उत्साही, आशावादी तथा कर्मनिष्ठ हो जिसका प्रभाव संगठन के कर्मियों पर पड़े।

विजन-मिशन स्टेटमेन्ट : संगठन के हर स्तर के कर्मी यह जाने कि किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनका कार्यालय काम कर रहा है। अतः हर संगठन/उपक्रम का विजन मिशन स्टेटमेन्ट बनाया जाये। विजन-मिशन स्टेटमेन्ट में संगठन के उद्देश्य लक्ष्य, आपूर्ति के मापदंड आदि-आदि लिखे जाये। प्रबंधकों तथा कर्मियों के प्रत्येक स्तर पर उद्देश्य, लक्ष्य तथा वार्षिक आंकड़े स्पष्ट होने चाहिए कि इस वर्ष उन्हें क्या करना है? कैसे कार्य होगा? परिणाम कैसे प्राप्त करें? रणनीति कैसे बनाई जाये? विजन-मिशन स्टेटमेन्ट कार्यालय के हर कमरे में मार्गदर्शक के रूप में लगाया जाये ताकि विजन एवं मिशन की उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक कर्मी उचित प्रकार से दायित्व का पालन करे। उत्तरदायित्व निभाने या नहीं निभाने पर मानक मापदंड पूर्ण होने या न होने पर त्वरित पुरस्कार अथवा दंड मिलना चाहिए।

प्रशिक्षण : प्रत्येक संगठन के लिपिबद्ध लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कर्मियों का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना न हो।

(लेखक आर.ए.एस. अधिकारी रहे हैं।)

–544, ए, सिद्धार्थ नगर
जवाहर सर्किल, जयपुर-302017

गौरव सिंह राजावत का आई.ए.एस. में चयन

अजमेर के शिक्षक दम्पति श्री शैलेन्द्र राजावत तथा श्रीमती अभिलाषा राजावत के लाड़ले गौरव राजावत का भारतीय प्रशासनिक सेवा 2010 में देश भर में 51वें स्थान पर चयन हुआ है। गौरव अपनी स्कूली शिक्षा से ही सदैव प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। आई.आई.टी., नई दिल्ली से अभियांत्रिकी भौतिकी में बी.टेक करने के पश्चात् आप भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा दूसरे प्रयास में यह विशिष्ट उपलब्धि हासिल की। गौरव की सफलता से समूचा शिक्षककुल गौरवान्वित है।

गितेश बने शिक्षक से प्रशासक

उदयपुर जिले की आदिवासी बाहुल्य झाड़ोल तहसील के गांव बाघपुरा के शिक्षक श्री गितेश श्री मालवीया ने दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कठोर परिश्रम के बल पर अभावों को परास्त कर एक अद्भुत व अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2008 में 34वीं रैंक पर चयनित हुए हैं। उनका यह सफर बड़ा रोमांचकारी है।

निर्धन पारिवारिक पृष्ठभूमि... मकान के नाम पर महज एक झोंपड़ी... बिजली सपनों से भी दूर... पीने हेतु पानी भी दूर से लाना... बापू ही नहीं, माँ का भी अकाल राहत कार्यों में मजदूरी पर जाना... तब कहीं रोटी की व्यवस्था होना। ऐसे में उच्च शिक्षा तो क्या प्राथमिक शिक्षा तक मयस्सर होना मुश्किल। ... लेकिन गितेश ने ठान लिया कि जैसे भी हो माँ-बाप को इस कठिन जीवन से उबारना है। विकल्परहित संकल्प - कड़ी मेहनत करके पढ़ना और जीवन में कुछ कर दिखाना, बस यही भाव रच-बस गया था गितेश के मन में। समीप के गाँव से 12वीं तक पढ़ाई की जहाँ अध्यापकों के पद प्रायः रिक्त रहते। मगर, दृढ़ इच्छाशक्ति ने अपना असर दिखाया और गाँव के इस लाल ने 12वीं (कला) मेरिट में 45वाँ स्थान हासिल किया।

अध्यापक बनकर समाज सेवा करने के जज्बे के साथ बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2001 में राजीव गाँधी पाठशाला में शिक्षा सहयोगी बनकर पढ़ाना शुरू किया। इसके साथ ही घर पर मशीन लगाकर 'वुड कारविंग' का कार्य स्वयं करना शुरू किया। इस हेतु ऋण लेना पड़ा। रात-दिन काम... स्कूल में पढ़ाना, सुबह-शाम मशीन पर काम तथा रात में पढ़ाई। बी.ए. एवं एम.ए. की पढ़ाई बतौर स्वयंपाठी परीक्षार्थी पूर्ण की। अभावों को नतमस्तक कराने का जज्बा जिनके दिल में होता है, उनके रास्ते में कोई अभाव टिक नहीं सकता।

राजीव गाँधी पाठशाला के शिक्षा सहयोगी से 2005 में तृतीय श्रेणी शिक्षक बनकर दो वर्ष तक पूर्ण मनोयोग से पढ़ाया। अब घर की मालीहालात कुछ अनुकूल हुई तो आर.ए.एस. प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुआ। प्रथम प्रयास (2007) में सफलता का वरण न हो सका। इस बीच कोटा खुला विश्वविद्यालय से बी.एड. कर ली। नौकरी एवं सतत अध्ययन की जुगलबंदी ने रंग दिखाया। गितेश का व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर चयन हो गया और उदयपुर के नाई गाँव स्थित राजकीय उ.मा. विद्यालय में पदस्थापन हुआ। एन.ई.टी., जे.आर.एफ. एवं एस.ई.टी. प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिली।

मेहनत, प्रतिबद्धता व समर्पण भाव से लक्ष्य के प्रति श्रद्धावनत रहने वाले गितेश ने अन्ततः प्रादेशिक सिविल सेवाओं में सर्वोच्च गरिमामयी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2008 में 34वें स्थान पर चयन दर्ज करवाकर यह उद्घोष कर दिया है कि सच्चे भाव के होते अभाव ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। उन्हें आखिर जाना ही होता है।

माँ-बाप निरक्षर, परिवार में दूर तक किसी का राज्य सेवा तक में न होना, अभावों से हरवक्त संघर्ष– दो जून के खाने तक की अनिश्चितता... मगर सफलता के प्रति गहरा विश्वास, मेहनत व अनुशासन से दोस्ती, दिल की पवित्रता एवं ईश्वर व माता-पिता के आशीर्वाद की ताकत से गितेश ने न केवल स्वयं एवं परिवार के स्वर्णिम भविष्य का पथ प्रशस्त किया है; मगर युवा पीढ़ी के लिए एक अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। ऐसे जज्बेवान, दृढ़ निश्चयी, अनुशासित शिक्षक को शिविरा की ओर से बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग का परिचय

❑ साधना जोशी

भारत में सन् 1952 में 'शैक्षिक कारवाँ' के नाम से केन्द्रीय फिल्म लाईब्रेरी दिल्ली, भुवनेश्वर अहमदाबाद एवं पुणे के साथ-साथ अजमेर में भी स्थापित की गई। उस समय यह विभाग 'समाज शिक्षा' राजस्थान, बीकानेर के अधीन कार्य करता था। 'शैक्षिक कारवाँ' का नाम सन् 1957 में परिवर्तित कर 'श्रव्य-दृश्य विभाग, अजमेर' किया गया। श्रव्य-दृश्य विभाग, अजमेर सन् 1974 से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के नियंत्रण में संचालित होने लगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर का स्थानान्तरण मार्च, 1990 में अजमेर करते हुए इसमें श्रव्य-दृश्य विभाग, अजमेर का विलीनीकरण कर दिया गया। तभी से यह शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर के नाम से जाना जाता है। यह विभाग अजमेर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय बस स्टैण्ड के सामने स्थित है।

उद्देश्य– राज्य में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु इस विभाग के मुख्य-मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है– • सेवारत शिक्षकों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी की संकल्पना से अवगत कराना। • सेवारत शिक्षकों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्याताओं को शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण प्रदान कराना। • विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का वार्षिक पंचांग निर्माण करना। • विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम हेतु पाठों का चयन कर निर्माण करना। • विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम को रेडियो के माध्यम से प्रसारित करवाने हेतु प्रसार भारती से समन्वय स्थापित करना। • सेवारत शिक्षकों को अल्पव्ययी शिक्षण सामग्री का निर्माण करना सिखाना। • सेवारत शिक्षकों के समक्ष उपलब्ध डॉक्यूमेन्ट्री/शैक्षिक फिल्मों का प्रदर्शन करना। • सार्वजनिक मेलों/जनहित समारोहों एवं स्थानीय विद्यालयों/उत्सवों में शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक फिल्मों का प्रदर्शन करना। • शैक्षिक अनुसंधान करना।

मानवीय संसाधन– विभाग का 'निदेशक' का पद 'संयुक्त निदेशक' पद के समकक्ष है। उनके सहयोग के लिए सहायक निदेशक, अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी, व्याख्याता, मैकेनिक, मंत्रालयिक कर्मचारी एवं सहायक कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रत्येक का योग्यता अनुसार कार्य का बँटवारा किया हुआ है तथा वे वार्षिक पंचांग के अनुसार अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

वित्तीय संसाधन– यह विभाग राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के अधीनस्थ विभागों में से एक है। अतः माँग के अनुसार ही संस्थान द्वारा बजट स्वीकृत किया जाता है। यहाँ के बजट का नियंत्रण निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के अधिकार क्षेत्र में है।

भौतिक संसाधन– विभाग में भौतिक संसाधन इस प्रकार उपलब्ध हैं– **भवन–** विभाग का भवन लगभग 60 वर्ष पुराना है। यहाँ समय-समय पर मरम्मत एवं विस्तार कार्य किया जाता रहा है। भवन को ब्लाक विभक्तीकरण कर प्रशासनिक कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। मुख्य ब्लाक विवरण इस प्रकार है–

अम्बेडकर ब्लाक (प्रशासनिक ब्लाक)– इस ब्लाक में निदेशक कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित है।

राधाकृष्णन ब्लाक (प्रशिक्षण ब्लाक)– इस ब्लाक में सहायक निदेशक कक्ष, प्रशिक्षण सन्दर्भ व्यक्ति कक्ष, प्रशिक्षण संचालन-नियंत्रण कक्ष स्थापित है।

जाकिर हुसैन ब्लाक (अनुसंधान ब्लाक)– इसमें अनुसंधान अधिकारी कक्ष एवं फिल्म लाइब्रेरी है।

टैगोर ब्लाक– इस ब्लाक में पुस्तकालय एवं वाचनालय है।

कल्पना चावला ब्लाक– प्रबोधन कार्य कक्ष एवं शैक्षिक प्रदर्शनी हॉल है।

राजीव गाँधी ब्लाक– इस ब्लाक में लिंग्वा लैब एवं हॉल (पिक्चर हॉल) जिसकी दर्शक क्षमता 250 है।

उपकरण– विभाग में कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित प्रयोगशाला है, जिसमें 12 कम्प्यूटर सैट उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त एक अंग्रेजी भाषा में 'बोलचाल कौशल प्रशिक्षण' हेतु सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लिंग्वा लैब भी स्थापित है, फिल्म प्रदर्शन हेतु 16 एम.एम. प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवर हैड प्रोजेक्टर, ट्रान्सपेरेंसी प्रोजेक्टर तथा ब्राडबैण्ड कनेक्शन उपलब्ध हैं।

विभाग की फिल्म लाइब्रेरी में 2953 प्राचीन एवं दुर्लभ फिल्में संरक्षित हैं। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चलाए गए राष्ट्रीय आन्दोलनों, डांडी यात्रा, गोलमेज सम्मेलन, नोआखली का चित्रण उपलब्ध है। 78 फीचर फिल्म, 08 रंगीन चलचित्र जिसमें 'जागृति', 'रोटी, कपड़ा और मकान' जैसी सामाजिक, धार्मिक आदि फिल्में उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थानी भाषा की फिल्में हैं, जिसमें 'बाबा रामदेव', 'नानी बाई का मायरा' लाइब्रेरी में उपलब्ध है। भारतीय समाचार चित्र से सम्बन्धित 2794 डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास का फिल्मांकन भी उपलब्ध है, जिनमें 123 वीडियो फिल्म तथा शैक्षिक गतिविधियों से सम्बन्धित 1318 फिल्म स्ट्रीप भी विद्यमान हैं। बदलते परिवेश में भी इन ऐतिहासिक सम्पत्ति को विभाग संरक्षित रखने में निरन्तर प्रयासरत है।

दायित्व– पूर्व में विभाग यूनिसेफ द्वारा प्राप्त फिल्म्स, आई.एन.आर. (Indian News Review) फिल्म्स तथा फिल्म निर्माताओं द्वारा प्राप्त टैक्स फ्री फिल्म्स, विभागीय फिल्म निर्माण यूनिट द्वारा राजकीय मुख्य समारोहों की एवं उपलब्धियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर समस्त राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करना मुख्य कार्य था।

शिक्षा के प्रसार हेतु शैक्षिक प्रदर्शनी का आयोजन करना भी विभाग का मुख्य कार्य था, जिसमें विभाग में स्थित अनेक विषयों के मॉडल, चार्ट्स व अन्य प्रदर्शन योग्य सामग्री का विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण मेलों में जाकर इनका प्रदर्शन किया जाता था।

उक्त प्रचार-प्रसार हेतु विभाग के पास फिल्म निर्माण तथा फिल्म प्रदर्शन के अत्याधुनिक

उपकरण के साथ वाहन भी उपलब्ध थे, जो समय के साथ एवं टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण नाकारा होने से समाप्त हो गये।

विभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं– • कम्प्यूटर एवं मल्टीमीडिया प्रशिक्षण। • शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण। • लिंग्वा फोन लैब द्वारा अंग्रेजी भाषा में बोलचाल कौशल प्रशिक्षण। • आकाशवाणी के सहयोग से विद्यालय प्रसारण। • ऑडियो कैसेट निर्माण। • ऑडियो एवं वीडियो सी.डी. निर्माण। • फिल्म प्रदर्शन। • अनुसंधान। • प्रकाशन।

मुख्य कार्य उपलब्धियाँ– • शैक्षिक प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित 19 प्रशिक्षणों के माध्यम से 441 शिक्षकों को लाभान्वित किया गया। • महिला स्वयं सहायता समूह की 16 महिलाओं को विभाग द्वारा 15 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। • कक्षा 8 विज्ञान विषय में प्रायोजना निर्माण सम्बन्धी 2 प्रशिक्षण आयोजित कर 16 संभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। • वीडियो सी.डी. निर्माण एवं अनुसंधान हेतु 39 कार्य गोष्ठियों का आयोजन किया गया। • विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 4 से 10 तक विभिन्न विषयान्तर्गत 80 पाठों पर आलेखन का कार्य सम्पादित कर आकाशवाणी केन्द्र जयपुर/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर को प्रसारण हेतु प्रस्तुत किये गये, जिनका प्रसारण आकाशवाणी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को दोपहर 2.10 से 2.30 के मध्य किया गया। • परीक्षामाला आलेखन कार्यगोष्ठी हेतु विभाग द्वारा कक्षा 8 के लिए नौ, कक्षा 10 के लिए छह एवं कक्षा 12 के लिए इक्कीस परीक्षामालाओं पर आलेखन कार्य करवा कर आकाशवाणी केन्द्रों को रेडियो प्रसारण हेतु उपलब्ध करवाई गई। • सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोत्साहन योजनाओं का बालिका शिक्षा पर प्रभाव पर अनुसंधान किया गया। • बाल चित्र समिति, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं जिला कलक्टर अजमेर के निर्देशानुसार 'बाल चित्र महोत्सव' के उपलक्ष में अजमेर जिले के विभिन्न सिनेमा हॉल में दिनांक 29.9.09 से 6.10.09 तक छोटा सिपाही, एक अजूबा, हेड़ा-होड़ा, सिकसर, लाडली फिल्मों के 22 फिल्म शो प्रदर्शित कर 12,115 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। • स्थानीय विद्यालय में आयोजित एस.यू.पी.डब्ल्यू. शिविर में 174 छात्र-छात्राओं के समक्ष देशभक्ति फिल्मों का प्रदर्शन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। • अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में लगभग 2,000 मेलार्थियों को प्रतिदिन रात्रि को धार्मिक एवं देशभक्ति से परिपूर्ण, जिनमें जय बाबा रामदेव, नानी बाई का मायरो, बाई चाली सासरिये, रोटी, कपड़ा और मकान, महात्मा गाँधी पर आधारित दो फिल्म शो द्वारा मेलार्थियों को लाभान्वित किया। • विभाग द्वारा गत पाँच वर्षों की उपलब्धियों का ब्रोशर तैयार कर मुद्रित करवाया। • कक्षा 8 विज्ञान विषय कठिन प्रत्यय आधारित वीडियो सी.डी. का निर्माण किया गया। • कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी व्याकरण वीडियो सी.डी. का निर्माण किया गया। • कक्षा 8 गणित विषय वीडियो सी.डी. का निर्माण किया गया। • 'हिन्दी स्वर मात्रा' कविता पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।

विभाग द्वारा आयोज्य कार्यक्रम निर्धारित कर वार्षिक पंचांग का निर्माण किया जाता है। सत्र 2010-11 के प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार हैं– • **प्रशिक्षण–** कम्प्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, लिंग्वा फोन लैब द्वारा अंग्रेजी भाषा में उच्चारण कौशल प्रशिक्षण। • **कार्यगोष्ठी–** ऑडियो एवं वीडियो निर्माण का आलेखन, विद्यालय प्रसारण हेतु पाठ आलेखन, परीक्षामाला निर्माण हेतु विशेषज्ञों की कार्यगोष्ठी। • **प्रकाशन–** शैक्षिक सहायक सामग्री पर आधारित पुस्तकों का विभागीय ब्रोशर छात्र उपयोगी सी.डी. का निर्माण। • **प्रसारण–** आकाशवाणी पर विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम, सामाजिक मनोरंजक एवं छात्रों उपयोगी फिल्मों का प्रदर्शन। • **अनुसंधान–** शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित अनुसंधान की क्रियान्विति।

विभाग द्वारा कम्प्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण के अन्तर्गत 12 प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का संचालन एवं उपयोग आधारित 8 प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के अन्तर्गत विभिन्न विषय आधारित 8 प्रशिक्षण एवं सामान्य विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन आधारित 2 प्रशिक्षण अध्यापकों व विषय अध्यापकों के लिए प्रस्तावित हैं। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 4 से 10 तक विभिन्न चयनित विषयों पर आधारित 80 पाठों का तथा कक्षा 8, 10 एवं 12 के विभिन्न विषयों के लिए छात्र/छात्रा उपयोगी परीक्षामाला का आलेख तैयार करवा कर आकाशवाणी को प्रसारण हेतु उपलब्ध करवाना है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कठिन प्रत्यय आधारित, कक्षा 6-8 हिन्दी व्याकरण वीडियो सी.डी. तैयार कर छात्र/छात्रा उपयोगार्थ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों को उपलब्ध करवाना है। इसी प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग हेतु सत्र 11-12 का वार्षिकी पंचांग तैयार करवाना भी प्रस्तावित है। प्रकाशन के अन्तर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का परिचय पुस्तिका, सामान्य विज्ञान कक्षा 8 मार्गदर्शिका, 'पर्यावरण संरक्षण' ब्रोशर प्रकाशित किया जाना एवं 'कम्प्यूटर साक्षरता में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के व्यक्तित्व घटकों का अध्ययन' नामक अनुसंधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में समाजोपयोगी कार्य शिविरों में उच्च शिक्षण संस्थान, अजमेर के प्रशिक्षणार्थियों व राज्य के उत्सव व मेलों में आयोजकों के मांग के अनुसार प्रदर्शन करना।

उपसंहार– राज्य में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने में इस विभाग की अहम भूमिका है। इसके अन्तर्गत छात्रोपयोगी, नवीन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को जानकारी दी जाती है, जिसका उपयोग वे अपने विद्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं के हितार्थ करते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत व्याख्याताओं को प्रशिक्षित करना आधुनिक परिवेश में कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों को अद्यतन जानकारी युक्त किया जाता है, जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग वे अपने परीक्षा परिणाम जैसे विद्यालय कार्यों में कर सकते हैं। प्राचीन फिल्मों को संरक्षण एवं उनका विद्यार्थी हित में समय-समय पर आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन करने में विभाग की महत्ता है। आकाशवाणी पर विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम तैयार करने एवं प्रसारित करने में सम्पूर्ण योगदान विभाग का ही है। छात्र-छात्रों के एवं शिक्षकों के सन्दर्भ में कठिन प्रत्यय आधारित पाठों की ई-लर्निंग सामग्री तैयार कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पाठशालाओं तक पहुँचाना इस विभाग की देन है। अंग्रेजी भाषा में उच्चारण कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से लिंग्वा लैब में शिक्षकों को प्रशिक्षित कर भाषा समृद्धि की ओर उनका कदम बढ़ाने में विभाग का योगदान है।

– निदेशक

शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर

मंत्री का बंगला : *देवकिशन राजपुरोहित; राजपुरोहित प्रकाशन चंपाखेड़ी; सं. 2008; मूल्य 150 रुपये।*

प्रस्तुत व्यंग्य-संग्रह में 26 व्यंग्य हैं। आज की साहित्यिक विधाओं में व्यंग्य अत्यंत लोकप्रिय विधा स्वीकारी जा चुकी है। आदमी ने जब-जब जीवन और जगत में विरूपताओं से साक्षात्कार किया है, तब-तब उसका मन असंतोष और आक्रोश से भर उठा है, उसी समय उसे व्यंग्य एक सही हथियार के रूप में मिला है। विकृति को कोई भी सहृदय सहन नहीं कर पाता। स्व. कन्हैयालाल 'नन्दन' ने कहा भी है– ''हास्य विकृति का रस लेकर वर्णन करता है, विकृति के विरोध में पैदा होने वाली तीव्र बौद्धिक प्रतिक्रिया व्यंग्य के अन्तर्गत आती है। हास्य शब्द कौतुक से भी पैदा हो जाता है, मसखरेपन से भी उत्पन्न किया जाता है, लेकिन व्यंग्य के पीछे विचार की एक गहरी सरणि होती है, जो हँसी भी पैदा कर लेती है, लेकिन उस हँसी के बाद उभरती है कचोट, तिलमिलाहट, जो सोचने को मजबूर करती है।''

व्यंग्य हल्के-फुल्के ढंग से लिखा ही नहीं जा सकता। भाषा का बुलबुलापन उसे हल्का नहीं बनाता। उसे सरस अवश्य बनाता है, पर व्यंग्य पाखंड, अतिचार आदि के विरुद्ध मारक हथियार के रूप में सामने आता है।

'मंत्री का बंगला' राजपुरोहित जी का ऐसा व्यंग्य संग्रह है, जिसके अधिकतर व्यंग्य अच्छे बन पड़े हैं। पौराणिक पात्रों या स्थितियों को लेकर कई रचनाएँ हैं जैसे– 'यम का फैसला', 'नरक में उपद्रव', 'यमराज का कमाल' आदि किन्तु उनमें 'भोलाराम का जीव' (हरिशंकर परसाई) जैसी प्रभविष्णुता नहीं है। 'राम मिलाई जोड़ी' तो चर्चित आख्यान ही है। 'जब मेरी जेब कटी' तो संस्मरण अधिक है। फिर भी कुछ व्यंग्य रचना है प्रभावित करती है।

'ढाई आखर प्रेम का ...' बहुत गहरा व्यंग्य है। गाड़ी पर 'प्रेस' शब्द लिखवा लेने से सभी 'काम' आसान हो जाते हैं। लेखक का चुटीला व्यंग्य पढ़िए- ये ढाई आखर अपराधियों को उनकी मंजिल तक जहाँ सकुशल पहुँचा देते हैं, वहीं भलेमानुसों को कई बार चंगुल में भी फँसा देते हैं। व्यंग्य अभिव्यक्ति का प्रखरतम माध्यम है। व्यवस्था जब प्रतिकूल होने लगती है। उसमें घुन लगने लगता है, तब व्यंग्य का जन्म होता है। प्रस्तुत संग्रह में 'श्मशान का चंदा', 'रिश्वत की आत्मकथा', 'आवागमन', 'संपादक की शादी', 'चंदा', 'गणेश परीक्षा' आदि ऐसे व्यंग्य हैं, जो व्यवस्था की अव्यवस्था से उद्भूत हैं। 'गणेश परीक्षा' अवश्य फैंटेसी अधिक है।

भ्रष्टाचार सभी ओर पाँव पसार चुका है। वह सचमुच अब शिष्टाचार बन चुका है। कभी शिक्षालय इससे थोड़े बहुत परे थे, अब तो सभी कुँओं में भांग पड़ चुकी है। 'चमत्कार' के माध्यम से रचनाकार ने इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। ईमानदार हेडमास्टर आज भी हैं। अध्यापकों की यह नस्ल अभी तक पूरी तरह से खतम नहीं हुई है किन्तु 'आदमी की गिरावट की पराकाष्ठा' भी हमारे सामने है। ताँबे के वजनी रामझरे के स्थान पर रजिस्टर में पीतल का मामूली सा रामझरा इंद्राज था। यह चमत्कार ही तो था। हेडमास्टर जो स्वयं ताँबे का रामझरा लाया था, वह हैरान था।

एड्स भी अच्छी व्यंग्य है जो द्वि-अर्थक है– विज्ञापन तथा एड्स (रोग)। व्यंग्यकार भी हैरान है– 'किसी की एड्स के बिना मृत्यु हो रही है तो किसी की एड्स से मृत्यु हो रही है। *(पृ. 67)*

इस संग्रह में भाषा का सौन्दर्य तो यत्र-तत्र-सर्वत्र दिखाई देता है। लेखक का भाषा पर अच्छा अधिकार है। इनसे अधिक सशक्त व्यंग्य संग्रहों की आशा है।

– डॉ. मदन केवलिया
सी-68, सादुलगंज, बीकानेर (राज.)

विमुक्तकेशा : *डा. मनमोहन सिंह, पुस्तक मन्दिर, जुबली नागरी भण्डार परिसर, बीकानेर, संस्करण 2010, मूल्य 150 रुपये।*

व्यक्तियों के सद्मनोभाव से ही सुव्यवस्थित समाज की संरचना बनती है। सद्मनोभावों को बनाने में साहित्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी गई है। चूँकि साहित्य के माध्यम से ही समाज में अच्छे विचारों का वितान होता है और उन्हीं से मानव में मानवीय मूल्यों का संवर्धन होता है। डा. मनमोहन सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास 'विमुक्तकेशा' भी इस दिशा में किया गया एक अच्छा प्रयास है।

डा. सिंह ने उपन्यास में गाँव और शहर के लोगों की जीवनशैली को, उनके व्यवहार एवं मनोभावों के आधार पर जिस ढंग से प्रस्तुत किया है वह उनका अनूठा प्रयास है।

उपन्यास का प्रारम्भ और समापन मरु प्रदेश के गाँव से किया है। जो ग्रामीण जीवन के प्रति लगाव के साथ-साथ प्रकृति-सौन्दर्य के प्रति डा. सिंह की अभिरुचि को दर्शाता है।

जीवन में शिक्षा के महत्त्व को दर्शाते हुए डा. सिंह ने शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी के लिए है, इसे उपन्यास के पात्र 'कैकू' गडरिये के माध्यम से दर्शाया है। वे लिखते हैं– 'कैकू के लिए आज शब्द और संगीत की अधिष्ठात्री देवी ने करवट बदलकर कहा, 'हे वसुन्धरा तेरे समस्त पुत्र मेरे लिए ज्ञान के पात्र हैं क्या छोटा और क्या बड़ा, मेरी निगाहों में ज्ञान से पूर्व सारे गडरिये ही हैं।

यह सत्य भी है चूँकि हमारे यहाँ कहा गया है कि विद्या, वनिता और बेल, इन्हें जो अपनाते हैं वे उनकी जात-पाँत पर विचार नहीं करते हैं परन्च आधार की मजबूती अवश्य चाहते हैं। इसी दृष्टि को ध्यान रखते हुए लेखक ने एक ओर 'कैकू' गडरिये सरीखे लोगों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया है वहीं दूसरी ओर उपन्यास की मुख्य पात्र 'विमुक्तकेशा' (निरंजना) के चरित्र का चित्रण भी किया है। चूँकि उसने अपने जीवन साथी का वरण सभी योग्यताएं यथा- चरित्र, अर्थोपार्जन की क्षमता, शिक्षा, बुद्धिमत्ता तथा तन-मन की स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए किया है जो आवश्यक है, इनके अभाव में गृहस्थ जीवन नरकतुल्य बन जाता है।

समाज में रिश्तों की भूमिकाएँ महत्त्वपूर्ण होती है तथा प्रत्येक एक-दूसरे से अपेक्षाएँ रखते हैं जो उनके स्वस्थ व्यवहार के कारण ही सम्भव हो पाते हैं फिर चाहे वे माता-पिता और सन्तान के मध्य हो अथवा भाई-भाई, मालिक-सेवक, सास-बहू, शिक्षक-विद्यार्थी, पति-पत्नी आदि के मध्य ही क्यों न हो। 'विमुक्तकेशा' में डा. सिंह ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णित किया है।

'विमुक्तकेशा' शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास है जो उपन्यास-विधा की पूर्ति करता है, अतः पठनीय है। इसमें लेखक की दर्शनशास्त्र की शिक्षा परिलक्षित होती है। भाषा शैली तथा मुद्रण सुस्पष्ट-सरल व सुन्दर है। आवरण सामान्य है। मूल्य उचित है।

– कु. अंशुप्रभा श्रीमाली
जस्सुसर गेट रोड, धर्म कांटे के पास,
बीकानेर (राज.)

भामाशाह

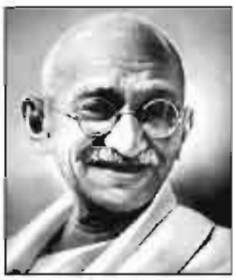

प्रत्येक भारतवासी का यह भी कर्त्तव्य है कि वह ऐसा न समझे कि अपने और अपने परिवार के खाने-पहनने भर के लिए कमा लिया तो सब कुछ कर लिया। उसे अपने समाज के कल्याण के लिए दिल खोलकर दान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

– महात्मा गांधी (इण्डियन ओपिनियन दिनांक 20 अगस्त 1903)

जालोर

रा.उ.प्रा.वि., सेदरिया बालोतान आहोर में तोलचन्द जैन ने 28,000 रुपये मूल्य के 200 स्वेटर छात्र-छात्राओं को वितरित किए तथा 35000 रु. लगाकर पूरे विद्यालय में लाइट फिटिंग करवाई। उन्होंने 26 जनवरी व 15 अगस्त के अवसर पर छात्र-छात्राओं को लड्डू वितरित किए।

झुन्झुनूं

रा.मा.वि., नारी को श्री अमर सिंह लमोरिया से 100 सैट टेबिल (15×2×2.5) एक स्टूल (15×1×1) मूल्य 1,05,000 रुपये तथा सर्वश्री सुबेदार मेजर ओमप्रकाश लमोरिया, हवा सुमेर सिंह चौहान प्रत्येक से एक-एक आलमारी मूल्य 5,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.मा.वि., बड़ाऊ** को श्री विजय कुमार शर्मा से 40 सैट छात्र टेबिल एवं स्टूल मूल्य 30,000 रुपये तथा एक क्रिकेट किट मूल्य 1,000 रुपये। **रा.मा.वि., बाजला** में ग्रामवासियों से 120 टेबिल-स्टूल व खिड़कियों की जाली मूल्य 1,65,000 रुपये श्री सोहनलाल व प्रतापसिंह खिचड़ (पूर्व सरपंच) से 62,000 रुपये नकद तथा दो पंखे, श्री रामेश्वर लाल व मोहन लाल शर्मा से नकद 5,100 रुपये, सर्व श्री मूलचन्द (पूर्व सरपंच), इन्दाज सिंह खिचड़ प्रत्येक से एक-एक आलमारी, सर्वश्री इदरीश खाँ, रूगाराम सरावग, मूलचन्द (पूर्व सरपंच) रणधीर सिंह खिचड़, धन्नाराम सुबेदार प्रत्येक से 1,100 रुपये नकद, सर्वश्री प्रताप सिंह लाम्बा, मोहन सिंह शेखावत, शिशुपाल सरावग, रामेश्वर खीचड़ प्रत्येक से 500 रुपये नकद।

पाली

रा.सी.मा.वि., निमाज में सर्वश्री शांतिलाल, सोहनलाल, भेरूलाल, महावीर चन्द, महेन्द्र कुमार, गौतमचन्द गंगवाल परिवार से 75,000 रुपये लागत से विद्यालय भवन एवम् स्टेडियम के रंग-रोगन व पुताई। **रा.उ.मा.वि., जोजावर** में सर्वश्री नेमीचन्द, हेमन्त कुमार नाहर से 1,53,000 रुपये लागत से स्टेज निर्माण करवाया। **रा.उ.मा.वि., कुड़की** को श्री सांवलाराम पटेल से 50 सैट टेबिल-स्टूल लोहे की, मूल्य 41,000 रुपये, डॉ. सा. पुष्पेन्द्र सिंह ने 31,000 रुपये की लागत से सरस्वती माँ की संगमरमर की मूर्ति 4 फिट बड़ी बनवाई, श्री महावीर गादिया से 26,000 रुपये की टेबिल-स्टूल लोहे की, विजयराज गदिया द्वारा 26,000 रुपये मूल्य का मुख्य दरवाजा (लोहे का), श्री छोटूलाल जोशी से 30,000 रुपये मूल्य लोहे का पाइप, गूदड़राम खदाव से 10,000 रुपये मूल्य की 10 सैट टेबिल-स्टूल लोहे की, श्री हरिओम देबर से 10,000 रुपये मूल्य की विद्यालय सामग्री व श्री हनुमान सिंह राठौड़ से 2,100 रुपये मूल्य की विद्यालय सामग्री प्राप्त हुई। **सेठ टेकचन्द भाणालाल रा.सी.मा.वि., नाणा** को रणजीत से 5,000 रुपये मूल्य की तीन व्हील चेयर, श्री कैलाश चन्द्र से 5,000 रुपये मूल्य की चार आरामदायक कुर्सी, श्री मदनलाल से 8,000 रुपये की लागत से सफेदी पाँच कमरा मय डिस्टम्बर कराया गया। **रा.उ.मा.वि., दुजाणा** में श्रीमती सुमित्रा द्वारा 5,800 रुपये मूल्य का केनन कम्पनी का एक लेजर प्रिन्टर भेंट। **रा.उ.मा.वि., सारण** को शिक्षकों, छात्र छात्राओं तथा गणमान्य भामाशाह ने लोहे के टेबिल-स्टूल 45,000 रुपये की लागत से 51 सैट प्रदान किए। श्री सुभाषचन्द्र डंक से 21 जोड़े कपड़े निर्धन छात्रों को प्रदत्त। **रा.उ.मा.वि., बिजोवा** को सर्वश्री कान्तिलाल (सरपंच) लच्छाराम चौधरी ने लोहे के टेबिल-स्टूल 1,00,000 रुपये लागत से 150-150 सैट प्रदान किए। **रा.मा.वि., विरमपुरा** को श्री भलाराम मेघवाल ने 20,101 रुपये का मर्सीवैल वाटर पम्प, श्री छोगाराम से रंगरोगन हेतु 5,100 रुपये, सर्वश्री महेन्द्र सिंह सिंहल, नाथुसिंह राठौड़, गोविन्द दास तथा बाघसिंह प्रत्येक से लाइट फिटिंग हेतु 3,500 नकद, श्री महावीर सिंह से लाइट फिटिंग हेतु 2,500 रुपये नकद, सर्वश्री रतनलाल, सकाराम, सरदार सिंह प्रत्येक से एक-एक छत पंखा मूल्य 1200 रुपये, सर्वश्री छोगाराम, मंछाराम, बाबूलाल प्रत्येक से रंग-रोगन हेतु 1,100 रुपये नकद, सरदार सिंह से एक छत पंखा मूल्य 1,200 रुपये, श्री भगाराम से रंग-रोगन हेतु 700 रुपये नकद तथा सर्वश्री मंछाराम, लादुराम, मालम सिंह, प्रत्येक से रंगरोगन हेतु 500 रुपये नकद। **रा.मा.वि. इटन्दरा मेंडमियान** में श्री दलाराम चौधरी ने एक कम्प्यूटर सैट मूल्य 15,000 रुपये भेंट, श्री मांगीलाल जैन से शिक्षण व्यवस्था हेतु 15,000 रुपये नकद, श्री नगाराम चौधरी से 8,100 रुपये की लागत से टी.वी. सैट मय डी.वी.डी. प्राप्त हुई। श्री रूपाराम चौधरी से लोहे की आलमारी लागत 4100 रुपये तथा पुखराज चौधरी से खेल सामग्री हेतु 2,000 रुपये नकद प्राप्त हुए। **रा.मा.वि., भाचुन्दा** में अर्जुन सिंह ने 10,000 रुपये की लागत से एक राउण्ड चेयर, एक आफिस टेबिल, टेबिल ग्लास, टेबिल पोस दो प्रदान किए। श्री दिनेश कुमार से दरी फर्श (18×12) लागत 1,620 रुपये, श्री बींजाराम वैष्णव से 2,000 रुपये की लागत से एक लेक्चर स्टैण्ड प्राप्त हुआ। **रा.मा.वि., बोथा** में श्री रमेश भाई व्यास द्वारा पूरे विद्यालय भवन की मरम्मत लागत 1,00,000 रुपये, श्री मोहन सिंह राजपुरोहित ने 11,000 रुपये की लागत से एक लोहे की टेबिल व एक रिवालविंग चेयर भेंट की। श्री सोहन सिंह व्यास ने एक लकड़ी का बड़ा लेक्चर स्टैण्ड लागत 5,000 रुपये का बनवाकर सप्रेम भेंट। श्री छगन व्यास ने विद्यालय नाम के 5 बड़े 5 मध्य लेटर पैड व 100 धन्यवाद पत्र छपवाकर भेंट किये।

(पाठक पीठ पृष्ठ सं. 4 का शेष ...)

दिशाकल्प में आदरणीय आयुक्त महोदय के विचार ''शिक्षक होना गौरव की बात है। मुझे विश्वास है कि विश्व कवि की भावना के अनुरूप हमारे शिक्षक, शिक्षण कार्य पर श्रद्धा करते हुए अपनी सम्पूर्ण योग्यता एवं ऊर्जा शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित करेंगे'' श्रीमान आपके इन शब्दों को पढ़कर मेरे मन में असीम ऊर्जा का संचरण हुआ। मुझे विश्वास है कि हर सच्चे शिक्षक के मन में यह ऊर्जा जाग्रत होगी।

– मोहनलाल बोथरा, बाड़मेर

दिशाकल्प में आयुक्त महोदय का संदेश न सिर्फ शिक्षक वर्ग अपितु समस्त शैक्षिक जगत को जाग्रत रहकर सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपने शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों की सरल व्याख्या कर व्यावहारिक क्रियान्विति का आह्वान किया है। इस दिशा में अभिभावकों के सहयोग एवं शिक्षकों की समर्पित सेवा द्वारा उक्त संदेश के उद्देश्य तथा लक्ष्यों को सफल बनाया जा सकता है। ऐसे अद्भुत दिशाकल्प को पढ़कर अपने शिक्षक बनने पर गर्व महसूस होता है।

– परमिनास मैथ्यू, उदयपुर

शिविरा मई-जून 2011 में बापू के 'विद्यार्थी जीवन के कुछ अनुभव' लेख प्रेरणादायी है। सामान्य विद्यार्थी से मानवता की उच्चतम सीढ़ी तक पहुँचे सभी व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय है। कृपया ऐसे अनमोल आलेख समय-समय पर प्रकाशित करते रहें।

– महेन्द्र कुमार शर्मा, भवानीखेड़ा (अजमेर)

मई-जून 2011 की शिविरा पढ़कर दिल को सुकून मिला। क्रिकेट विश्वकप में भारत के विश्व चैम्पियन बनने की उद्वेलनकारी उपलब्धि को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, वह अद्भुत एवं प्रशंसनीय है। विद्यालय स्तर से ही विद्यार्थी खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन के लिए आपके इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत आभार।

– नरेश कुमार ओझा, बनका खेड़ा (भीलवाड़ा)

शिविरा मई-जून 2011 में प्रकाशित आलेख 'आनंददायी एवं उपयोगी शिक्षक प्रशिक्षण' सचमुच हमारे शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए शैक्षिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है। दिशाकल्प में प्रस्तुत विचार, टैगोर का शिक्षा दर्शन, गीतांजलि की समीक्षा, लेख, स्थाई स्तम्भ सब कुछ सराहनीय व प्रेरणादायी है।

– डॉ. सुशील कुमार गर्ग, अलवर

शिविरा मई-जून 2011 का अंक वस्तुतः मानसिक वैचारिक ऊर्जा का स्रोत है। शिविरा विभाग की गरिमा का दर्पण है या कहें कि गरिमा ग्रंथ है। यह अंक रूप-स्वरूप, आत्मस्वरूप में कायाकल्प मुखावरण पर महाकवि का चित्र, चित्र में उनकी आँखों में झलकता देशप्रेम का गौरवपूर्ण भविष्य की अनुभूति कराता प्रतीत हुआ। सभी आलेख अत्यन्त उपयोगी एवं प्रस्तुति भाव विभोर कर चेतना भरने वाली है।

– रामगोपाल राही, लाखेरी (बूंदी)

हमारे राष्ट्रगान के अमर रचयिता रवीन्द्रबाबू की 150वीं जयन्ती के अवसर पर शिविरा में उनके शिक्षादर्शन, महत्वपूर्ण रचनाओं और विशेषकर उनके पहले हिन्दी भाषण को पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। शिविरा का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। सच में यह तो गागर में सागर है।

– मंजू वर्मा, काली बेरी (जोधपुर)

रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती पर प्रकाशित शिविरा का विशेषांक पढ़ा। जितना सुन्दर इसका भौतिक स्वरूप है, उससे भी अधिक सुन्दर इसके अन्दर के आध्यात्मिक स्वरूप को निखारने का प्रयास है।

– कृपाशंकर व्यास, स.ले.अ. (से.नि.), बीकानेर

शिविरा, मई-जून 2011 में विभाग के स्वनामधन्य पुराने शिक्षाविदों के आलेखों को एक माला में पिरोकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना अतिश्लाघनीय प्रयास है। छपाई, कागज की उत्तम क्वालिटी, आदेश-परिपत्रों की रंगीन पृष्ठों पर प्रस्तुति, सब शानदार है। आप इसी प्रकार उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें, बस यही प्रार्थना है।

– गंगाशरण त्यागी, बीकानेर

शिविरा के मई-जून 2011 अंक में उत्कृष्टता की ओर कदम, खोल दे माँ खोल दे दरवाजे, अनुभूत सूत्र, सफर कला संस्कृति व भाईचारे का प्रतिध्वनि जैसे आलेख पढ़कर अध्यवसायी संपादक मण्डल से परिचय हुआ। रवीन्द्र बाबू की पहला हिन्दी भाषण छापकर आपने पाठकों को अमूल्य भेंट प्रदान की है। शिविरा के इस अंक की छपाई साफ सुथरी तथा कागज उच्च स्तर का है।

– अरविन्द कुमार ढण्ढ, चूरू

शिविरा में श्रीमान् आयुक्त महोदय ने लगभग 2 वर्ष पश्चात् इतना विस्तृत दिशाकल्प लिखा। यह उनका पत्रिका से आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। रवीन्द्र बाबू की 150वीं जयन्ती पर केन्द्रित इस अंक में सभी लेख ख्यातनाम लेखकों व उच्चाधिकारियों द्वारा लिखे होने के कारण अंक और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है।

– रमेश कुमार जांगिड़, भादरा (हनुमानगढ़)

शिविरा मई-जून 2011 अंक में रवीन्द्र के जीवन के अछूते प्रसंगों, छाया चित्रों ने मन को बाँधकर रख दिया। सभी रचनाएँ पढ़े बिना शिविरा पत्रिका को छोड़ने का मन ही नहीं किया। 'हजार सुरों में गूँजता एक विराट संगीत– श्री भवानीशंकर व्यास ने तो अभिभूत कर दिया। अंक का चप्पा-चप्पा सुन्दर, उपयोगी व संग्रहणीय है। सम्पादक मण्डल को साधुवाद।

– डॉ. पुष्पलता शर्मा, कोटा

शिविरा मई-जून 2011 अंक का वैशिष्ट्य निराला है। मुखावरण और अंतिमावरण ने जहाँ पत्रिका के बाह्य कलेवर को नई ऊँचाई दी वहीं अन्दर के पृष्ठों की सामग्री ने मानसिक ताज़गी प्रदान की। राष्ट्र के गौरव रवीन्द्र बाबू के बहुआयामी व्यक्तित्व को अविस्मरणीय बनाने वाले शिविरा के इस अंक के समक्ष प्रत्येक भावनाशील साहित्यकार, कलाकार नतमस्तक है।

– प्रवीण अरोड़ा, जयपुर

आभार

शिविरा पत्रिका के मई-जून 2011 संयुक्तांक पर व्यापक प्रतिक्रियाएं पत्रों, फोन एवं व्यक्तिशः प्राप्त हुईं। पाठकों की इस कृपा के लिए हम हृदय से आभारी हैं। जोधपुर से वेदमित्रजी ने तो ''शिविरा का शिवत्व'' शीर्षक से पाँच पृष्ठों की विस्तृत समीक्षा लिखने की कृपा की है। हम पाठकों के इस प्रेम से अभिभूत हैं। स्थानाभाव के कारण प्रतिक्रियाओं के अंश ही प्रकाशित कर पा रहे हैं। आशा है, आप हमें क्षमा करेंगे। –व.सं.

प्रतिध्वनि

"इक रात अंधियारी
थीं दिशाएं कारी-कारी
मंद-मंद पवन था चल रहा
अंधियारे को मिटाने
जग में जोत जलाने
इक छोटा-सा दीया था,
कहीं जल रहा
अपने मन में मगन
उसके तन में अगन
उसकी लौ में लगन भगवान की
ये कहानी है दीये की और तूफ़ान की।"

अभावों की हार, दृढ़ निश्चय की जय-जयकार

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन परीक्षा परिणामों का विभिन्न तरह से विश्लेषण किया जाएगा; यथा गत-वर्ष की तुलना में कमी-बेसी, छात्र-छात्राओं, शहरी-ग्रामीण, सरकारी-गैर सरकारी, नियमित-स्वयंपाठी विद्यार्थियों के परिणाम। इन परीक्षा परिणामों को एक अन्य नज़रिये से भी परखा जाना चाहिए और वह है भौतिक दृष्टि से सम्पन्न एवं अभावों में रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रिजल्ट और उनके अन्तर्निहित संदेश।

यह माना कि किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी संसाधनों का होना आवश्यक है; मगर देवयोग से यदि वे संसाधन न हों या कम हों तो क्या वाँछित सफलता मिलती ही नहीं है? संसाधन नहीं होने से सफलता नहीं मिलने अथवा सफलता में सिरमौर बनने वालों के पास अधिक संसाधन होने का आलाप करने वालों को बोर्ड के परीक्षा परिणामों को देखना चाहिए। बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा कला एवं विज्ञान वर्ग में राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की रामकथा सुनकर किसे विस्मय नहीं होगा। आइए, इसे जानने का प्रयास करते हैं–

- 12वीं कला वर्ग में 94.62 प्रतिशत अंकों के साथ राज्य में अव्वल रहने वाले शंकरलाल के पिता खीमाराम भेड़-बकरी चराकर परिवार का भरणपोषण करते हैं। माँ रूपी देवी कोसों दूर पैदल चलकर सिर पर पानी लाती है। घर में बिजली कनेक्शन तक नही है।
- 12वीं विज्ञान वर्ग के 96.62 प्रतिशत अंकों के साथ राज्य में सर्वोपरि रहे छात्र रवि चंचल के पिता छाजूराम क्रेशर पर मजदूर हैं।

ऊपर के उदाहरण हमें यह कहते हैं कि यदि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय एवं आत्मानुशासन हमारे पास है, तो बड़े से बड़ा अभाव भी हमें अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक नहीं सकता। इन उपलब्धियों के संदर्भ में हम शिक्षकों के चरित्र पर भी किंचित विचार करने की जरूरत है। किसी विद्यार्थी के मेरिट में आने, विद्यालय का रिजल्ट अच्छा रहने पर हम सीना चौड़ा करके अपनी मेहनत व शिक्षण में प्रवीणता का बखान करते हैं। बच्चों के मुँह से यह सुनकर कि अमुक गुरुजी के आशीर्वाद से वह यह उपलब्धि हासिल कर सका, वे गुरुजी फूले नहीं समाते लेकिन आइए, जरा तस्वीर के दूसरे पक्ष को देखते हैं।

क्या परीक्षा परिणाम खराब रहने पर हमारे में से कोई यह कहने का साहस करता है कि हमारी फलां कमी के कारण बच्चों का साल खराब हुआ? क्या किसी असफल विद्यार्थी के मुँह से शिक्षक यह सुनना पसन्द करेंगे कि उनके कारण वह फलां मुकाम हासिल नहीं कर पाया। तर्कशास्त्र तो यही कहता है कि जब काम एवं उसे करने की परिस्थितियाँ समान हैं, तब विनर्स एवं लूजर्स दोनों के लिए समान रूप से उत्तरदायी क्रियान्वयक एवं निरीक्षक ही होते हैं।

विजेताओं की विजय का श्रेय हमें और पराजितों की असफलता स्वयं उनकी। कैसी विडम्बना है यह। जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में यह मान्यता चले तो भगवान जाने, मगर कम से कम शिक्षक तो ऐसा न करें। एक शिक्षक के रूप में मेरा मन बार-बार कहता है कि यदि असफल विद्यार्थियों की असफलता की जिम्मेदारी उन्हीं की है तो फिर सफल छात्रों की सफलता की हकदारी भी उन्हीं की है। हम कौन होते हैं उसका श्रेय लेने वाले। सफलता के ढोल की आवाज में क्या हमें असफल रहे बालकों का विलाप सुनाई देता है। आखिर वे भी तो पढ़े थे हमारे पास। उन्हें सहानुभूति एवं मार्गदर्शन देने का काम प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

बहरहाल इतना ही कहना है कि संसाधनों की दृष्टि से निर्बल मगर जज़्बातों की दृष्टि से सबल, परिश्रमी, अनुशासन प्रिय और लक्ष्य के प्रति सतत जागरूक लोगों को संसाधनों का अभाव आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। यह तो दीये और तूफान वाली बात है जिसमें अन्तिम जीत दीये की ही होती है। शंकर और रवि तथा शिविरा के इसी अंक में पृष्ठ 48 पर शिक्षक से प्रशासक बने गितेश श्री मालवीया के उदाहरण यही तो कहना चाहते हैं।

– ओमप्रकाश सारस्वत, व.सं.
opsaraswat58@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक भास्कर ए. सावन्त द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। -सम्पादक : भास्कर ए. सावन्त

बैठक : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत XI Project Approval Board Meeting दिनांक 13-14 जून 2011 को जयपुर में आयोजित हुई। इस अवसर पर परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त माध्यमिक शिक्षा श्री भास्कर ए. सावन्त। उनके दाएं प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, श्री अशोक सम्पतराम एवं शिक्षा सचिव, भारत सरकार श्रीमती अंशु वैश्य सहित केन्द्रीय दल के प्रतिनिधि अधिकारी विराजमान हैं।

अभियान : राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड की स्थानीय एसोसिएशन, रामनिवास बाग, जयपुर के तत्वावधान में पक्षियों के लिए परिण्डे लगाए गए। इस अवसर पर परिण्डे में पानी भरते माध्यमिक शिक्षा आयुक्त एवं स्टेट कमिश्नर (स्काउट) श्री भास्कर ए. सावन्त।

दीक्षा : सहायक जिला कमिश्नर (स्काउट) का छः दिवसीय आमुखीकरण शिविर आबू पर्वत पर दिनांक 8-13 जून 2011 को आयोजित हुआ। समापन पर सहायक जिला कमिश्नर (स्काउट) एवं प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि., 40 जीबी, श्रीगंगानगर के बैज लगाते स्टेट चीफ कमिश्नर श्री निरंजन आर्य।

शिविर : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रा.उ.प्रा.वि., मोहनपुरा, नोखा जिला बीकानेर में ग्रीष्मावकाश में आयोजित शिक्षक आमुखीकरण शिविर का अवलोकन करने प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक डॉ. (सुश्री) वीणा प्रधान पधारीं।

अभियान : स्काउट-गाइड अभियान के अन्तर्गत ग्रीष्मकाल में पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध करवाने हेतु परिण्डे लगाए गए। अजमेर में एक परिण्डे में पानी भरती जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती मंजू राजपाल।

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक)/जुलाई, 2011
प्रकाशन तिथि 2 जुलाई, 2011 पृष्ठ संख्या 56
प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66

हमारी धरोहर

माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय भवन

लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, शिल्प व वास्तु का अद्भुत उदाहरण है– माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय का यह भवन। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण बीकानेर के 21वें महाराजा श्री गंगासिंह ने करवाया था। लॉर्ड इरविन एसेम्बली हॉल के नाम से विख्यात इस भवन में रियासत काल में बीकानेर की विधान सभा संचालित होती थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान के विभिन्न भागों को महत्त्व देने के उद्देश्य से बीकानेर में शिक्षा विभाग का राज्यस्तरीय मुख्यालय स्थापित किया गया, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा सम्मिलित थी। तत्कालीन राजपूताना के विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभागों का विलय कर 814 कार्मिकों के साथ तत्समय वृहद् शिक्षा विभाग बीकानेर में स्थापित किया गया तथा इसके लिए बीकानेर राजघराने के द्वारा ऐतिहासिक एसेम्बली भवन को शिक्षा विभाग के कार्यालय के लिए उपलब्ध कराया गया।

प्रथम शिक्षा निदेशक के रूप में अजमेर-मेरवाड़ एज्यूकेशन काउन्सिल के चेयरमैन श्री मदनमोहन वर्मा ने 28 अप्रैल 1950 को पद ग्रहण किया। प्रारम्भिक शिक्षा का पृथक निदेशालय सन् 1997 में स्थापित किया गया।